इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 36 अंक : 135 दिसंबर 2022

पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

G20

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

MAKE IN INDIA

Digital India Power To Empower

पीएम किसान सम्मान निधि

अटल पेंशन योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

UPI एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

mudra

स्टैंड अप इंडिया

नवनियुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए बैंक की कार्यपालक निदेशक **सुश्री एस श्रीमती,** साथ में हैं महा प्रबन्धक **श्री शुभेन्दु कुमार वर्मा**

नवनियुक्त कार्यपालक निदेशक **श्री संजय विनायक मुदालियर** का स्वागत करते हुए महा प्रबंधक गण

वाणी

वर्ष : 36 अंक 135 दिसंबर 2022

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश 3

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 4

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 5

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 6

संपादकीय

वैश्विक मंच और भारत 7

विशेष आलेख

भारतीय संस्कृति और हिंदी 10

हिन्दी में भारत, भारत में हिन्दी 19

विश्व स्तर पर हिन्दी 45

जी-20 सम्मेलन व भारत 48

कंठस्थ 2.0 52

बैंकिंग व अन्य लेख

आर्थिक सुधारों के कारण मजबूत हुए सरकारी बैंक 8

यूडीआइएन – जाली लेखाकार प्रमाणपत्रों से बचाव का कवच 13

बड़े बैंक बड़ी जिम्मेदारी, जी-सिब से डी-सिब तक 17

नवीनतम तकनीक एवं बैंकिंग 21

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता और चुनौतियां 24

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और एमएसएमई 57

कविता

खेल लेने दो न ! 12

वादा 23

कुछ सच अधूरा है 44

क्यों नहीं किसी को आपत्ति है ? 56

साहित्य का सफ़रनामा

है अंधेरी रात पर दीया जलाना कब मना है 27

वैश्विक पटल पर हिन्दी

मॉरीशस में हिन्दी 42

फोटो फ़ीचर

नराकास से प्राप्त पुरस्कार 30

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बैंक की तिरुपति शाखा के निरीक्षण की झलकियाँ 31

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की झलकियाँ 32

कृति दर्पण

अपने ही रचे द्वंद से निकलने की छटपटाहट का नाम है 'प्रमेय' 15

नज़र कानूनी

निज डाटा रक्षां कुरू 34

प्रवासी भारतीय

मॉरीशस के प्रबुद्ध साहित्यकार राज हीरामन 36

विविधा

यह कैसी आज़ादी 40

शब्द शब्दांतर 39

हंसी की फुलझड़ियाँ 51

ज्ञान के मोती 51

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 59

प्रतिस्पन्दन 60

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 36 अंक 135 दिसंबर 2022

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
शुभेन्दु कुमार वर्मा
महा प्रबन्धक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक

संपादन सहयोग
फणीष मणि त्रिपाठी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

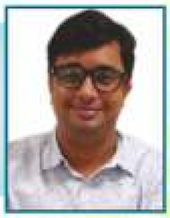

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

एमडी व सीईओ के रूप में प्रभार ग्रहण करने के पश्चात यह पहला अवसर है जब मैं वाणी के माध्यम से आप सभी से रूबरू हूँ । साथियो, दिसंबर तिमाही का वित्तीय परिणाम आ चुका है । आप सभी अवगत हैं कि बैंक ने दिसंबर तिमाही में रु. 555 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है । आपके अथक प्रयासों से बैंक ने जो लाभार्जन किया है, हमें उसे बढ़ाते रहने के लिए अनवरत कोशिश करनी होगी । हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो लाभ करोड़ के तीन अंकों में है, हम आगामी तिमाही में अपने सुनियोजित प्रयासों से उसे बढ़ा चार अंकों तक ले जायें ।

भारतीय बाज़ार सकारात्मक माहौल की ओर इशारा कर रहा है । कासा और ऋण व्यवसाय में बढ़ोत्तरी के बाजार में पर्याप्त अवसर हैं । ध्यान रहे अवसर मिलते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है । रीटेल, कृषि और एमएसएमई सेग्मेंट में छलांग लगाने के लिए अपार संभावनाएँ बनी हुई हैं । हमें प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में संभावनाओं को अवसर में बदलकर, बैंक के सकल व्यवसाय को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देना है । इसके लिए डिजिटल तकनीक की सहायता लें । नवीन तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग कर, ग्राहकों को अपने उत्पादों से परिचित करवाएँ । ग्राहकों को, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करने संबंधी सभी समर्पित पोर्टल एवं एप्लिकेशन की उचित जानकारी दें । विदित है कि हमारे पास ग्राहकों के हर वर्ग के लिए उत्पाद मौजूद हैं । अपने उत्पादों का पूरे जोश के साथ प्रचार-प्रसार करें ।

व्यवसाय में वृद्धि के साथ-साथ हमें मौजूदा खातों को एनपीए होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा । हमारा मूल मंत्र - वसूली के लिए निर्धारित सभी मानदंडों का उपयोग कर, ऋण खातों की संपूर्ण वसूली है । किसी भी खाते के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए । बैंक के लिए प्रोविजनिंग, शुद्ध लाभ को दिखाने में बाधक की भूमिका अदा करता है । दिसंबर तिमाही में हमारा सकल एनपीए 8.19% रहा है, जिसे आगामी तिमाही में 7.90 प्रतिशत या इसके नीचे लेकर आना है । मुझे यकीन है कि सभी के साझा प्रयासों से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे ।

हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं । हमें टीम के रूप में कार्य करते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित सभी लक्ष्यों को साधने हेतु भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए । मार्च तिमाही के सफल समापन के लिए सभी कार्यालय एवं शाखाएँ सुदृढ़ रणनीति बनाएँ । आत्मावलोकन करें कि बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का कितना प्रतिशत आपने प्राप्त कर लिया है और कहाँ आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है । उत्साह एवं ऊर्जा के साथ एकाग्रता से लक्ष्य की ओर बढ़ें, जीत अवश्य होगी ।

आपको दिसंबर तिमाही के सफल समापन पर शुभकामनाएं देते हुए, मुझे प्रसिद्ध कवि हरिवंशराय बच्चन जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं –

"जग के पथ पर, जो न रुकेगा,
जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा,
उसका जीवन, उसकी जीत ।"

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाएं अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। हमारे देश की विशेषता है कि यहां हमें विभिन्न बोलियों और भाषाओं को सुनने, समझने का अवसर मिलता है। उत्तर भारत की सैर करेंगे तो हिन्दी के ही कई रूप आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु में भी अलग-अलग क्षेत्रों में तमिल भाषा का थोड़ा-बहुत परिवर्तित रूप मिल जाएगा। भारत की इसी भाषा-विविधता को देखते हुए कहा गया है कि- कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। परन्तु इन सभी भाषाओं और बोलियों को एकसूत्र में पिरोने और जोड़ने का काम हिन्दी करती है। हमारी गृह पत्रिका वाणी भी बैंक में कार्यरत विभिन्न भाषा के बोलने वालों को एक मंच पर लाने का कार्य करती है। पत्रिका के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को हिन्दी में अपनी बात कहने का मौका मिलता है।

बैंकिंग क्षेत्र में भी भाषा की बेहद अहम भूमिका है। ग्राहक सेवा की दृष्टि से भी और कारोबार के नज़रिए से भी। भाषा ग्राहकों से जुड़ने का सबसे मजबूत माध्यम है। हम सेवाएं देते हुए और अपने उत्पाद बेचते हुए जनमानस की भाषा बोलते हैं। हमें ग्राहकों के साथ संवाद करते हुए हिन्दी में बात करनी चाहिए। जहां कहीं भी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है वहां हमें क्षेत्रीय भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे स्टाफ सदस्य स्थानीय भाषा में बात करेंगे तो हम ग्राहकों के दिल से जुड़ पाएंगे।

बैंक के विज्ञापन एवं ग्राहक से सम्बन्धित सूचनाएं हिन्दी के साथ-साथ स्थानीय भाषा में भी प्रसारित और प्रदर्शित की जानी चाहिए। इससे हमें न सिर्फ नया कारोबार पाने में सफलता मिलेगी बल्कि वैसे लोग, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझ पाते हैं उन्हें बैंकिंग परिधि में लाने में सहायता मिलेगी। हम अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचा सकेंगे। क्षेत्रीय भाषा का उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा।

आजकल डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग बढ़ रहा है। डिजिटल माध्यम से बैंक द्वारा ऋण भी दिया जा रहा है। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सरल, सुगम और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बैंक से जोड़ सकेंगे।

आज बैंकिंग क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक बैंक ग्राहक को लुभावने ऑफर देकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। यदि हम ग्राहक से उसकी भाषा में बात करेंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए हम सब हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा में ग्राहकों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें और ग्राहक को उसकी भाषा में सेवा प्रदान करें। ऐसा करके निश्चित ही हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे।

हिन्दी इस देश का गौरव, हिन्दी भविष्य की आशा है
हिन्दी हर दिल की धड़कन है, हिन्दी जनता की भाषा है

शुभकामनाओं सहित!

श्रीमती

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" के जरिए आप सभी से पहली बार बातचीत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस प्रतिष्ठित बैंक का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने पाया है कि ग्राहक सेवा की लंबी परंपरा हमारे बैंक की सबसे बड़ी पूंजी है। हमें इस पूंजी को संभालना है और ग्राहक सेवा देने में खुद को और बेहतर बनाना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे स्टाफ सदस्य हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। युवा शक्ति जोश और आत्मविश्वास से भरी होते हैं । वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। बस उन्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे अनुभवी स्टाफ सदस्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अनुभव और युवा स्टाफ सदस्यों की शक्ति मिलकर बैंक को नए शिखर पर ले जा सकती है।

मानवीय शक्ति के साथ यदि तकनीक का सहयोग मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बड़े तकनीकी बदलावों से गुज़र रहा है। बैंक अब, पारंपरिक बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा बैंक भी डिजिटल बैंकिंग में काफी मजबूती के साथ कदम रख चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर ऋण देने तक की प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया जा चुका है। डिजिटल बैंकिंग आज के समय की मांग है। हमारे ग्राहक नए ज़माने के हैं जिनके पास मोबाइल और लैपटॉप जैसे गजट्स हैं। हाई स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध है। अब उन्हें बैंकिंग सेवाएं शाखा में नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर चाहिए। वे अपने मन के मुताबिक कहीं से भी और कभी भी बैंकिंग करना चाहते हैं। ग्राहकों की मांग और उनकी आशाओं ने बैंकिंग की दुनिया को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। इस बदलाव के साथ कदम मिलाना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम ग्राहकों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें।

डिजिटल बैंकिंग न सिर्फ ग्राहकों को लुभाती है बल्कि हम बैंकरों का काम भी आसान कर देती है। इससे खर्च में कमी आती है और समय की भी बचत होती है। इस समय का सदुपयोग हम दूसरे बैंकिंग कार्यों में कर सकते हैं। आज बैंक की लाभप्रदता सिर्फ ब्याज पर निर्भर नहीं है। हमें आय के दूसरे स्रोतों को भी मजबूत करना होगा। हम ग्राहकों को इंश्योरेंस, म्युचुअल फंड, सरकारी बचत योजनाएं और पेंशन स्कीम ऑफर कर सकते हैं। हमें ग्राहक की ऋण से लेकर निवेश तक की सभी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम बनना होगा। हमें स्मार्ट बैंकर बनकर ग्राहकों के बोलने से पहले उनकी ज़रूरतों को समझना होगा । हम निवेश सलाहकार बनकर उनके पैसे को सही स्रोतों में लगाने की राय दे सकते हैं । ताकि हम ग्राहकों का भरोसा जीत सकें ।

मुझे यकीन है कि अपने बैंक को ग्राहकों का प्रिय बैंक बनाने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुझे प्रेरणा से भरी दो खूबसूरत पंक्तियां याद आ रही हैं जो साथ मिलकर चलने का संदेश देती हैं।

हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो,
चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो

-मखदूम मोहिउद्दीन

संजय मुदालियर

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

वाणी का नूतन अंक आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है । 'वाणी' के ज़रिए मैं प्रत्येक तिमाही आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए अपने कुछ विचार साझा कर पाता हूँ । जीवन में जितना महत्व साधना का होता है, उससे कही अधिक महत्व साध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधनों का भी होता है । सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं । हमें जिस प्रकार सफलता को ग्रहण करना आना चाहिए । उसी प्रकार असफलता को संभालना भी आना चाहिए । मेरा इशारा वर्तमान में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया की ओर है । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है – "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ।" अर्थात केवल कर्म पर ही हमारा अधिकार है, अतः हमें उसके फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए । कर्म के फल की चिंता किए बिना इष्टतम सेवाएँ देने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए । इस प्रक्रिया में परिणाम चाहें आपके अनुकूल रहें अथवा प्रतिकूल, हमें सकारात्मक रहना होगा । असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि हममें कहीं कमी रह गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सफल होने वालों की तैयारी हमसे अधिक थी । जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है –

"प्रयास करो, सफल हुए तो नेतृत्व करोगे और असफल हुए तो मार्गदर्शन करोगे ।"

सेवा क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पहचानते हुए उनको सही उत्पाद की पेशकश कर सकें । हमें ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों से जुड़ना होगा । भाषा इस जुड़ाव में उस सम धरातल के रूप में कार्य करती है, जिसके ऊपर सम्प्रेषण की नींव रखी जाती है । इसी नींव को आधार बनाकर बहुआयामी बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों तक पहुँचाना होगा । चाहे हमारे ऋण उत्पाद हों या हमारे अन्य बैंकिंग उत्पादों की क्रॉस सेलिंग, हमारी बैंकिंग सेवाएँ हों या पैरा बैंकिंग उत्पादों की बिक्री, चाहे अनर्जक ऋणों की वसूली हो या सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति, ये सभी भाषाई जुड़ाव के बिना दुष्कर है । भाषाई जुड़ाव के माध्यम से हम अपनी शुल्क आधारित आय का सृजन कर सकते हैं, जो अंत में बैंक के लाभार्जन के रूप में परिणामित होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व और अधिक गहरा हो जाता है । क्षेत्रीय भाषा में संवाद न सिर्फ अभिव्यक्ति को सहजता देगा बल्कि ग्राहकों को बैंकिंग प्राणाली से तारतम्य बैठाने का सुअवसर भी प्रदान करेगा । शाखा परिसर में सूचनाओं को राजभाषा हिन्दी के साथ क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित करना तथा ग्राहकों से उनकी भाषा में संवाद करना इस ओर एक सार्थक कदम होगा ।

शुभकामनाओं सहित...

शुभेन्दु कुमार वर्मा

महा प्रबन्धक

वैश्विक मंच और भारत

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 135वां अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है । इस अंक में हमने हमेशा की तरह सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए, समकालीन विषयों पर विभिन्न आलेखों को भी समावेशित किया है । आप सभी का ध्यानाकर्षण चाहूँगा, इस अंक से हमने एक नया स्तंभ "प्रवासी भारतीय" नाम से शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेश में बसे भारतवंशियों द्वारा वैश्विक स्तर पर दिये जा रहे योगदान को रेखांकित करना है । इस स्तंभ के पहले आलेख में, प्रसिद्ध साहित्यकार राज हीरामन जी के साहित्यिक योगदान को समेटने का प्रयास किया गया है । आशा करता हूँ कि इस स्तंभ को भी हमारे अन्य स्तंभों की तरह पाठको का ढेर सारा प्यार मिलेगा ।

आज़ादी के अमृतकाल में भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना, हम सभी के लिए गौरवशाली पल है । इस सम्मेलन को सफल बनाने की कड़ी में देश के कई बड़े शहरों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है । भारतीय संस्कृति से उत्सर्जित 'वसुधैव कुटुंबकम' जिसे जी-20 की थीम के रूप में चिन्हित किया है, ने संपूर्ण विश्व को नजदीक लाकर एक बना दिया है ।

हम वैश्विक घटनाओं से अछूते नहीं रह सकते । चाहे युद्ध की त्रासदी हो या भूकंप की दिल दहला देनी वाली प्राकृतिक आपदा, परोक्ष व अपरोक्ष रूप से, हम सभी इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं । हाल ही में घटित विश्वव्यापी घटनाएँ, एक बार फिर हमें पर्यावरण को लेकर सचेत रहने की ओर इशारा कर रही हैं । इस संबंध में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी जोर देते हुए कहा है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को व्यक्तिगत महत्व के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से निभाने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है । पर्यावरण को जनभागीदारी अथवा जनचेतना से जोड़ने की आवश्यकता है ।

राजभाषा कार्यान्वयन में पत्रिका प्रकाशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है । हमारी गृह पत्रिका वाणी को पाठको ने बहुत प्यार दिया है और समय-समय पर प्रतिष्ठित मंचों से सम्मान भी प्राप्त हुआ है । यह आप सभी के साझा सहयोग से संभव हो पाया है । मैं इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । पत्रिका का रसास्वादन मोबाइल पर कहीं भी, कभी भी किया जा सके, इस उद्देश्य से कवरपेज पर क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन कर पाठक फुर्सत के पल में पत्रिका पढ़ सकते हैं । पत्रिका को ग्राहकोन्मुखी बनाने के क्रम में, हमने पत्रिका के अंतिम कवरपेज पर बचत खाता खोलने के लिए भी एक क्यूआर कोड उपलब्ध करवाया है, जिसे स्कैन कर ग्राहक बचत खाता खोल सकते हैं । शाखा प्रबंधकों से निवेदन है कि वे इस अंक को ग्राहकों की सुविधा के लिए शाखा परिसर में उस स्थान पर रखें, जहाँ उनकी पहुँच आसानी से हो । इससे समय और लेन-देन लागत दोनों में किफायत होगी ।

हमें विश्वास है कि आप सभी को वाणी पत्रिका का ताजा अंक खूब पसंद आएगा । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में ......

आपका,

(कृष्ण कुमार गुप्ता)

मुख्य प्रबंधक सह संपादक

आर्थिक सुधारों के कारण मजबूत हुए सरकारी बैंक

सुरेश कुमार रूंगटा, अंशकालिक निदेशक

किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति बैंकों के सीधे योगदान के कारण ही संभव हो सकी है। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन आदि संबंधित आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की विकासशील स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है। साथ ही सरकारी बैंकों की सेहत में लगातार सुधार दिखने लगता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बैंकों के प्रदर्शन और ऐसेट क्वालिटी में और सुधार होगा। फिलहाल 12 सरकारी बैंक 86 हजार से ज्यादा शाखाओं के जरिए और 22 निजी क्षेत्र के बैंक 28 हजार से ज्यादा शाखाओं के साथ लगभग 80 प्रतिशत से अधिक आबादी तक सेवाएँ पहुंचा रहे हैं। बैंकों का मजबूत होना अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त है। सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद बैंक प्रमुखों के चेहरे पर रौनक बढ़ी है। क्योंकि इस तिमाही के दौरान बैंकिंग उद्योग शानदार मुनाफा दर्ज़ करने में सफल रहे। अब तो दिसम्बर तिमाही के अच्छे नतीजे के बाद बैंकों की चाल थोड़ी और तेज हो गई है।

बैंकों के मुनाफे में तेजी की सबसे बड़ी वजह शुद्ध ब्याज आय (आवंटित ऋण पर अर्जित ब्याज और जमा रकम पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बीच के अंतर) में इजाफा है। लगभग सभी सरकारी बैंक तिमाही (सितंबर से दिसम्बर) आधार पर सकल और शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपतियों (एनपीए) में कमी लाने में सफल रहे हैं। बैंकों से ऋण आबंटन बढ़ने के संकेत भी स्पष्ट रूप से मिलने लगे हैं। उन्होंने ऋण मंजूर करना शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि इनके आबंटन में थोड़ा समय लग रहा है। खुदरा ऋण की मांग लगातार बनी हुई है। अब तो कंपनियों के भी ऋण आबंटन में तेजी आयी है। चालू वित्त वर्ष में ऋण आबंटन में दो अंकों की तेजी दर्ज़ की गई है। अगर ऋण आबंटन इसी गति से बढ़ता है तो एनपीए के प्रतिशत में और कमी आएगी, बशर्ते फंसे ऋण की मात्रा और नहीं बढ़े। देश के सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होने की वजह से अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार को तरफ से बैंकों में नई पूंजी डालने की घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात रेगुलेटरी जरूरत से ज्यादा हो चुका है और इस समय यह 14 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत के बीच है। ये बैंक अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बाजार से फंड जुटा रहे हैं। इसके अलावा वे अपनी गैर-प्रमुख परिसंपतियों की बिक्री का तरीका भी अपना रहे हैं।

सरकार ने पिछली बार वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी तरफ से बड़ी मात्रा में पूंजी डाली थी। उसमें अनुपूरक मांग अनुदान के जरिए बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये तय किए थे। पिछले पाँच वित्तीय वर्ष यानी 2016-17 से 2020-21 के दौरान सरकार की तरफ से सार्वजनिक बैंकों में 310997 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जा चुकी है। इनमें से 34977 करोड़ रुपये का इंतजाम बजट आबंटन से किया गया जबकि 2.76 लाख करोड़ रूपये इन बैंकों के लिए बॉन्ड जारी कर जुटाये गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को सदन में पेश कर चुकी हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होता, क्योंकि इसके अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल 15306 करोड़ का लाभ कमाया था। दूसरी तिमाही में यह राशि बढ़कर 25685 करोड़ रूपये हो गई है। अगर एक साल पहले से तुलना करें तो पहली तिमाही में इन बैंकों के लाभ में 9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ 32 प्रतिशत बढ़कर 40991 करोड़ रूपये रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद इन बैंकों का कुल लाभ दोगुना से अधिक होकर 66539 करोड़ रूपये रहा था। कई सार्वजनिक बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में

लाभांश देने की घोषणा की थी। कुल 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शेयरधारकों को 7867 करोड़ रूपये लाभांश के तौर पर बांटे थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26वाँ वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन एक माह पूर्व 29 दिसम्बर 2022 को जारी किया था। इस प्रतिवेदन में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बतलायी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए कई आर्थिक निर्णयों के चलते देश में न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार होता दिख रहा है, बल्कि वित्तीय स्थिरता में भी लगातार सुधार दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

विदित है कि बैंकिंग उद्योग को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पिछले दशक में वैश्विक मंदी के उपरांत भारतीय बैंकों ने आँख मूंद कर ऐसे लोगों को ऋण बांटे जिन्होंने जानबूझकर (विलफुली) बैंकों के ऋण वापस नहीं किए। राजनीतिक पहुंच के कारण बैंक भी ऐसे लोगों से ऋणों की वसूली करने में अपने को असमर्थ पाते थे। 2014 में मोदी सरकार आने के उपरांत पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने बैंकों की लगभग सभी समस्याओं के समाधान हेतु कई सकारात्मक कदम ईमानदारी से उठाये। गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से निपटने के लिए "दिवाला और दिवालियापन" संहिता लागू की गई। देश में ब्याज की उचित दरों को लागू करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। साथ ही बैंकों को आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3.10 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि इन्हें उपलब्ध कराई गई।

सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को और अधिक मजबूत बनाये जाने के उद्देश्य से बैंकों का आपस में विलय किया गया। वर्ष 2017 में सरकारी क्षेत्र के कुल 27 बैंक थे, जिन्हें आपस में विलय करने के उपरांत अब 12 सरकारी बैंक रह गए हैं। इन बैंकों के विलय में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि इनके विलय से किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी न हो। ये तकनीकी लिहाज से एक प्लेटफॉर्म पर आ जायें, ताकि इन बैंकों की कार्य संस्कृति एक हो जाए और इन बैंकों का व्यवसाय बढ़ सके। विलय के बाद इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आकार बढ़ा है। जिस कारण इन बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इन बैंकों की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति के साथ ही इनकी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बन रही है। विलय के बाद इन बैंकों की प्रचालन लागत में भी कमी आयी है। इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों की लागत में भी सुधार हो रहा है। इन बैंकों के द्वारा बैंकिंग व्यवसाय हेतु नई तकनीक को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिससे इनकी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होता दिख रहा है। अब इन बैंकों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, फलतः इन बैंकों की बाजार से संसाधनों को जुटाने की क्षमता में भी इजाफा हुआ है।

देश की आर्थिक गतिविधियों में हो रहे सुधार के चलते भारतीय बैंकों के व्यवसाय में आशातीत वृद्धि हो रही है। व्यक्तिगत ऋण राशि में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी दहाई आंकड़े में वृद्धि दर्ज़ की गई है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऋण की मांग में भारी वृद्धि हो रही है। बैंकों की जमा राशियों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती दिख रही है। वहीं 2 दिसम्बर 2022 को समाप्त हुए एक वर्ष के समय में बैंकों की ऋण राशि में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है। बैंकों की ऋण राशि का स्तर 131.06 लाख करोड़ रूपये पर पहुंच गया है तथा ऋण-जमा अनुपात 75 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। बैंकों में हो रही तेज व्यवसायी गतिविधियों के कारण अब इन बैंकों की लाभप्रदता में भी तेजी से वृद्धि होगी। अब तो यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लाभ एक लाख करोड़ रूपये के पार पहुंच जायेगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में सरकारी बैंकों ने बैड लोन में बड़ी कटौती की है। जिससे इनके लाभ में मजबूती आयी है और यह क्रम 2023 में भी जारी रहने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंकों का मार्केट शेयर 60 प्रतिशत से ऊपर है। बैंकों के बड़े खातों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। सरकारी बैंकों का प्रदर्शन निजी बैंकों से बेहतर हो रहा है। उनका सकल एनपीए में 4.2 प्रतिशत की कमी आयी है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के सकल एनपीए में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध फंसे कर्ज में 4 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध फंसे कर्ज में 22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों का प्रदर्शन उम्दा रहा। इस दौरान सूचीबद्ध बैंकों का सामूहिक शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 61 प्रतिशत बढ़ा है जबकि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 140 प्रतिशत बढ़ा है, जो 5847 करोड़ से बढ़कर 14012 करोड़ रूपये तक जा पहुंचा है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध मुनाफा 28 प्रतिशत ही बढ़ा है। परिचालन लाभ के क्षेत्र में भी सरकारी बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उनका परिचालन लाभ निजी बैंकों से करीब दोगुना होकर 16 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह जून तिमाही में सरकारी बैंकों के शुल्क से आय में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है,जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की यह बढ़ोत्तरी 20.5 प्रतिशत ही रही। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हालत में आहिस्ता-आहिस्ता सुधार दिखने लगा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और गति देगा।

विशेष आलेख

भारतीय संस्कृति और हिंदी

शिव कुमार गुप्ता, महा प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

हिंदी भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। हिंदी भारतीय संस्कृति और मानस के बीच सेतु का काम करती है। हिंदी के बगैर भारतीय संस्कृति को बचाना, मुश्किल ही नहीं असंभव है । हिंदी के बगैर मर्यादा पुरूषोत्तम राम 'रामा' और लीलाधर कान्हा 'कृष्णा' हो कर रह जाते हैं। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिनांक 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में कहे गए लार्ड मैकाले के उस कथन पर जिसने अंग्रेजी शासन की सोच बदल दी और कालांतर में उसने इस कथन के अनुरूप कार्य कर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली संस्कृति तथा आध्यात्मिक चिंतन और सोच के टुकड़े – टुकड़े कर दिए -

"I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar , who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore , I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation."

उपर्युक्त कथन का हिंदी अनुवाद -

"मैंने पूरे भारत में यात्रा की है और मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में इतनी दौलत देखी है, इतने उच्च नैतिक मूल्य, इतनी क्षमता के लोग, कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, और इसलिए, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि यदि भारतीय सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और अपने से बड़ा है, तो वे अपना आत्म सम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और हम जो चाहते हैं उन्हें वही बना पाएँगे यानी एक वास्तविक पराजित राष्ट्र।"

उपरोक्त कथन में if the Indians think that all that is foreign

and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation' यह एक वाक्य ही नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसे आज हम देख रहे हैं। हिंदी के बगैर भारतीय संस्कृति की बात करना या भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा दिखाना सिर्फ एक खोखला दिखावा है और मिथ्या है। किसी भी देश की पहचान वहां के लोगों से, लोगों की पहचान उस देश की संस्कृति से और संस्कृति की पहचान इतिहास से तथा इतिहास की पहचान उस देश की भाषा में निहित होती है।

इस देश की पहचान गीता से है , इस मिट्टी की पहचान हमारे वेदों और पुराणों से है। यह वह देश है जिसकी मिट्टी में मर्यादा पुरूषोत्तम राम ने जन्म लिया है, तो इसी पावन धरा पर लीलाधारी कान्हा ने भी विविध लीलाओं से संसार का कल्याण किया है। इस देश में नानक का जन्म हुआ जिनके बनाए हुए सिख धर्म ने दुनिया को त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया है तो वहीं इसी मिट्टी पर भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कर दुनिया को अहिंसा का उपदेश दिया है। इसी धरा पर सिद्धार्थ, बुद्ध बने और दुनिया के तमाम देशों की दिशा व दशा बदल दी । इसी भूमि पर कबीर और सूर जैसे कवियों ने विश्व को अनुपम साहित्य प्रदान किया। इसी पावन भूमि पर गांधी ने जन्म लेकर दुनिया की राजनैतिक व्यवस्था को बदल दिया, तो दलाईलामा को भी इसी पावन भूमि पर आश्रय प्राप्त हुआ । यहीं से हमने सिकन्दर को परास्त किया और इसी धरा पर गजनवी और गोरी जैसे आतताइयों का अंत किया गया । इसी भूमि में हमने साई जैसे भगवानों को देखा है तो यहीं से योग की संस्कृति ने पूरे विश्व को निरोगी किया है। इसी भूमि पर टैगोर ने नोबल पुरस्कार वाला साहित्य रचा जिससे आज विश्व के दो देशों को

अपना राष्ट्रगान मिला, तो इसी भूमि पर हमने विश्व को वेदों जैसा साहित्य दिया और इन्हीं सब से मिलकर हमारी महान संस्कृति का निर्माण होता है।

हिंदी ही भारतीय संस्कृति की संवाहिका है और यही हमारे देश के मूल्यों, संस्कृति और ज्ञान को बचा सकती है। अगर देश में अंग्रेजी इसी प्रकार से बढ़ती रही तो भारतीय संस्कृति का भी क्षरण सुनिश्चित है। आज यह अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का प्रभाव है कि लोग अपने त्यौहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, ग्रन्थों और संस्कृति को भूल गए हैं। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लोग चाकलेट डे, क्रिसमस डे, हग डे, वैलेंन्टाइन डे इत्यादि तो जानते हैं लेकिन उन्हें छठ, करवाचौथ, दीपावली, होली, पोंगल, बिहू, ओणम इत्यादि के महत्व तथा इनके मनाए जाने का सीमित ज्ञान ही है जबकि हर भारतीय त्यौहार एक प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक परम्परा से बंधा हुआ है।

हमें अंग्रेजी को थोपना नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के कई स्कूलों में हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है, यह गलत है। बिना हिंदी जाने संस्कृत को जानना समझाना भी कठिन है क्योंकि दोनों की लिपि और अधिकांश शब्द एक समान हैं। हर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी पर्याप्त रूप से संस्कृत को पढ़ सकता है, समझ सकता है। हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला की अपेक्षा दोगुना ध्वनियां है और इसीलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का उच्चारण अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि ध्वनियों की दृष्टि से वो अधिक समृद्ध होता है।

जब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र हिंदी, संस्कृत को ही नहीं समझ सकता तो वह मराठी भी नहीं समझ सकता और साथ ही नेपाली भी । क्योंकि मराठी और नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है । अस्तु वो विशाल और महान मराठा साम्राज्य के गौरवमयी इतिहास और साहित्य के ज्ञान से भी वंचित रह जाता है । नेपाल और भारत के मधुरतम ऐतिहासिक संबंधों की जो खुशबू हिंदी में है वो अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं।

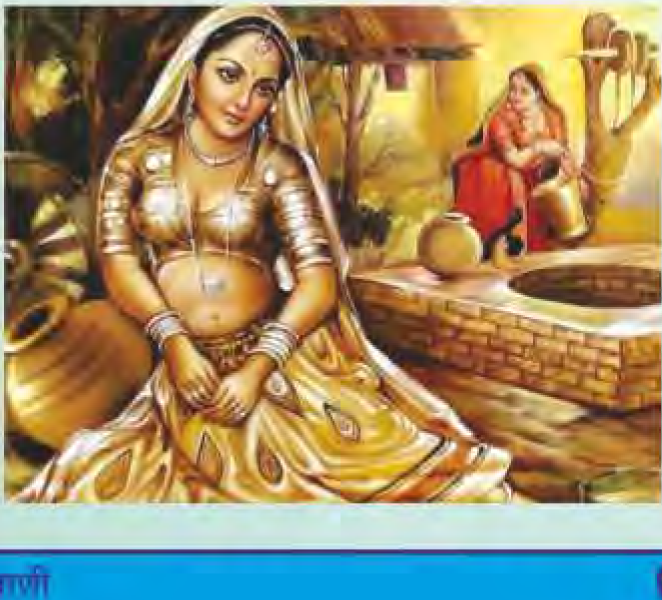

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं पढ़ सकते या मंत्रोच्चार नहीं सीख सकते, जो पूजा या देव आवाहन की पद्धति नहीं सीख सकते और न तो वेद पढ़ सकते हैं और न ही शास्त्र, तो वो धर्म क्या जानेंगे, इतिहास क्या जानेंगे और इस सबके जाने बिना भारतीय संस्कृति को कैसे जान सकते हैं । इसका सीधा साफ मतलब यह है कि इन सबके लिए आपको हिंदी को, संस्कृत को, इसके व्याकरण को समझना होगा।

अगर अंग्रेजी से ही यह देश महान बनता तो अंग्रेजो के समय में हम गुलाम नहीं होते । अंग्रेजी गुलामी की भाषा है, यह हमारी गुलामी, हमारी दासता का सबसे बड़ा चिह्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा था कि हमें गुलामी के हर प्रतीक से निजात पाना है । आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में जब 15 अगस्त 2047 को भारत आजादी का शतक मना रहा होगा तो लाल किले की प्राचीर से भविष्य में जब कोई प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहे होंगे तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक अंग्रेजी भाषा का इस देश में प्रतिनिधित्व न हो और इस देश में हर क्षेत्र में हिंदी प्रतिस्थापित हो चुकी हो।

हिंदी इस देश की नसों में बहती है। भगवान श्रीराम की भाषा अवधी थी, हमारे कान्हा अंग्रेजी नहीं बोलते थे, उन्होंने अपनी सारी लीलाएं ब्रजभाषा में कीं, विश्व का अनुपम साहित्य रत्न, हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए, श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान संस्कृत में दिया, रामायण और महाभारत जैसे ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए, नोबल पुरस्कार प्राप्त 'गीतांजलि' को बांग्ला में लिखा गया। कबीर ने पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा तो सूर ने ब्रजभाषा और तुलसी ने अवधी में विश्व को अद्वितीय साहित्य प्रदान किया। तिरुवल्लुवर के कुरल तमिल में लिखे गए तो गुरु ग्रन्थ साहब को गुरूमुखी में । जैन और बौद्ध साहित्य जिसने विश्व साहित्य की दिशा को बदल दिया वो पाली और संस्कृत में लिखा गया तो वहीं विशाल महान मराठा साम्राज्य मराठी में लिखा गया। इस देश के हर राज्य का, हर सम्प्रदाय का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का अलग – अलग इतिहास है जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं सदियों से बचाए हुए थीं । जिसे आजादी से पहले और काफी बाद तक बचाए रखा गया किंतु अब पिछले एक दशक से अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से भारतीय संस्कृति का बहुत अधिक क्षरण हो रहा है जो भविष्य में और अधिक होने की संभावना है।

हिंदी इस देश की संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। विरहणी मीरा ने कृष्ण के विरह गीत हिंदी में ही लिखे थे, हिंदी कृष्ण की लीला है तो साकेत में रामलला सरयू तट पर हिंदी में ही अटखेलियां खेलते हैं, कृष्ण भी हिंदी में ही गोपियों से प्रेमालाप करते हैं। हिंदी में सब त्यौहार हैं, भारत में दादी –नानी की सारी कहानियां हिंदी में हैं और उन कहानियों के सारे पात्र हिंदी बोलते हैं। बुद्ध के उपदेश इस देश में हिंदी में ही प्रवाहित हो रहे हैं, तो वहीं जब दूरदर्शन पर हिंदी की यह ध्वनि सुनाई पड़ती थी 'हम कथा सुनाते – राम सकल गुण धाम की,

यह रामायण है पुण्य कथा श्रीराम की,' यह सुनते ही गाँवों की चौपालों पर मेला लग जाता था।

हिंदी ही इस देश की वाणी है। हिंदी के बिना यह देश मूक समान है। हिंदी के महत्व को पहचान कर ही इस देश के नीति नियंताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाया। संविधान बनाते समय इस देश की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा बनाने पर बहुत चर्चा हुई और सर्व सम्मति से हिंदी को इस देश की राजभाषा बनाया गया। हिंदी को किसी पर थोपा नहीं जा रहा। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उन पर अंग्रेजी थोपी जा रही है।

अब तो हिंदी नित नए आयाम गढ़ती चली जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के काम-काज को हिंदी में किया जाना तय किया गया है । अब सोशल मीडिया हो या मुख्य धारा की मीडिया हर जगह हिंदी का बोल-बोला है। हमें याद रखना है कि अपना देश जब तक अपनी भाषा में काम करता था तब तक हम विश्व गुरु थे। भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उससे प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। सरकार को चाहिए कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए एवं नई शिक्षा नीति इस दिशा में उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है । मध्य प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल शिक्षा को हिंदी माध्यम से देना प्रस्तावित किया है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है।

हिंदी इस देश की सांसों में बसती है। हिंदी ही देश का अभिमान है। अगर इस देश की संस्कृति, यहां की परम्पराओं, यहां के ग्रन्थों में लिखित नैतिकता के मूल्यों को जिंदा रखना है, अगर हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है तो हमें हिंदी को बढ़ाना होगा । हर मंच पर हिंदी बोलने, पढ़ने की वकालत करनी होगी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर मंच से और दुनिया के हर देश में हिंदी में बोलते हैं। गृहमंत्री हर कार्य हिंदी में ही सम्पादित करते हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक हर नायक ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी की है। अब वक्त आ गया है कि इस देश के नागरिकों को न्याय उसकी भाषा में मिले। अब अदालतों और बैंकिग की भाषा पूर्ण रूपेण हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के और निकट आने की जरूरत है। हर भाषा को अंग्रेजी से खतरा है । हम पर हमेशा हमले होते रहे हैं फिर भी हम थे, हम हैं और हम रहेंगे –

"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौर - ए - जमाँ हमारा"

कविता

खेल लेने दो न !

खेल ही तो है, खेल लेने दो न
सूर्य है तो चमका है, दमका है
फिर क्यों पूछते हो कहां से आया है
सूर्य पूरब से आता है ऐसी धारणा है
धरा दिशा बदल दे तो यह उत्तर से आता है
फिर क्यों पूछते हो कहां से आया है
खेल ही तो है, खेल लेने दो न ।
खुद जला है, पिघला है, फिर चमका है
टुकुर टुकुर गिनी है इंतेजार की घड़ियां
बार बार देखा है बड़े बड़ों की उड़ती गिल्लियां
बदनीयती को चीर के आया है
फिर क्यों पूछते हो कहां से आया है
खेल ही तो है, खेल लेने दो न ।
यह वहीं से आता है जहां निर्मल गंगा बहती है
जो सभी युगों के वीरों की गाथाएं सुनाती है
वहीं से राम, वहीं से कृष्ण, वही से बुद्ध आया है
फिर क्यों पूछते हो कहां से आया है
खेल ही तो है, खेल लेने दो न ।
अरमान भी हम स्वाभिमान भी हम,
हम ही वतन की शान हैं
तलवार है हम राणा की, चाणक्य के गुण ज्ञान भी हम ।
भूल जाओगे किशन को भी जो अभी दोहरा लगाया है
फिर क्यों पूछते हो कहां से आया है
खेल ही तो है, खेल लेने दो न ।

राम एकवाल रंगीला
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
नागपुर

यूडीआइएन (UDIN)
जाली लेखाकार प्रमाणपत्रों से बचाव का कवच

किरण कुमार के, मुख्य प्रबंधक, सतर्कता विभाग, केंद्रीय कार्यालय

समकालीन समय में बैंकिंग धोखाधड़ी के नए-नए रूप देखने को मिल रहे हैं । इससे सिर्फ संस्थान की छवि ही नहीं बिगड़ रही है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है । धोखाधड़ी के विविध आयामों को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था लगी हुई है । धोखाधड़ी सिर्फ राशियों के गबन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दस्तावेजों में भी हेर-फेर बड़े स्तर पर की जाने लगी हैं । जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है । जाली दस्तावेजों के माध्यम से बढ़ती धोखाधड़ी के समय में, आइसीएआइ (ICAI), गैर-सनदी लेखाकार द्वारा सनदी लेखाकार के रूप में स्वयं को प्रतिरूपित करने वाले प्रमाणन के कदाचार को रोकने के लिए यूडीआइएन यानी विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या की एक नवीन अवधारणा सामने आयी है । आगे, जिस पर विस्तार से चर्चा की गयी है ।

यह किस प्रकार काम करता है :

प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय प्रत्येक पेशेवर सनदी लेखाकार को आइसीएआइ द्वारा प्रदान किए गए यूडीआइएन पोर्टल के साथ प्रमाण पत्र पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है जो 18 अंकों का यूडीआइएन अल्फा-न्यूमेरिक नंबर उत्पन्न करता है । आइसीएआइ ने सीए को उनके द्वारा जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों के लिए यूडीआइएन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। नियामक/ बैंक/ तृतीय पक्ष, उन प्रमाणपत्रों पर विश्वास करने से पहले नाम, फोन नंबर और ई-मेल पते जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करके यूडीआइएन पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र की वास्तविकता को निःशुल्क सत्यापित कर सकते हैं।

यह कैसे कार्य करता है:

यूडीआइएन 18 अंकों का सिस्टम से उत्पन्न नंबर होता है (YY MMMMMM AANNNANNN), यह 19304576AKTSBN 1359 के जैसा होगा, जिसमें :

- पहले 2 अंक YY हैं - चालू वर्ष के अंतिम 2 अंक (इस मामले में 19) ।
- अगले 6 अंक MMMMMM हैं - आइसीएआइ की सदस्यता संख्या (इस मामले में 304576)
- अगले 10 अंक AANNNAANNN होंगे - सिस्टम द्वारा यादृच्छिक रूप से उत्पन्न अल्फा-न्यूमेरिक अंक (AKTSBN1359) ।

इसके जरिए निम्नलिखित को रोका जा सकता है :

- ऋण प्राप्त करने / नियामकों के लिए वित्तीय विवरणों पर जाली हस्ताक्षर का उपयोग करने से रोका जा सकता है ।
- अधिकारियों की मिलीभगत से निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए जाली हस्ताक्षर के साथ सरोगेट फर्मों के निर्माण को रोका जा सकता है ।
- एक ही सीए फर्म के दूसरे भागीदार द्वारा उसकी जानकारी के बिना एक भागीदार के नकली हस्ताक्षर के प्रयोग को रोका जा सकता है ।
- आइसीएआइ के पास सदस्य की उचित केवाईसी के अभाव में अस्तित्व विहीन सदस्यों को सीए फर्म में जोड़ने से रोकना ।
- अंशकालिक सीओपी धारकों/ गैर सीए द्वारा प्रमाणपत्रों में जाली हस्ताक्षर को रोका जा सकता है ।

यूडीआइएन कैसे सत्यापित किया जा सकता है :

संबंधित प्राधिकरण, नियामक, बैंक तथा अन्य लोग यूडीआइएन के माध्यम से सनदी लेखाकारों द्वारा जारी दस्तावेजों की वैधता को https://udin.icai.org/search-udin साइट पर जाकर सत्यापित कर सकते हैं । सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल और विशेष यूडीआइएन नंबर आदि का विवरण भरना होगा । इसके जरिए दस्तावेजों की वास्तविकता बनी रहेगी और सनदी लेखाकारों के प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ करने की गुंजाइश न के बराबर होगी ।

इन विवरणों को जमा करने पर, साइट प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित विवरण दिखाएगी :

- स्थिति की तारीख/ समय (सत्यापन की तिथि और समय)
- यूडीआइएन संख्या
- सदस्य का विवरण (नाम और सनदी लेखाकार का पंजीकरण)
- दस्तावेज़ का प्रकार
- प्रमाण पत्र का प्रकार
- दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर की तिथि
- आंकड़े / विवरण
- दस्तावेज़ विवरण
- स्थिति (सक्रिय या निरस्त)

संबंधित सत्यापन प्राधिकारी/ अधिकारी, यूडीआइएन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विवरण के साथ विवरण की तुलना कर प्रमाण पत्र की वास्तविकता की पुष्टि कर सकते हैं । हमेशा सूचित किया जाता

है कि यूडीआइएन सत्यापन का प्रिंट लें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रमाणपत्र / दस्तावेज के साथ, उसे सुरक्षित रखें । इसके अतिरिक्त, सत्यापन प्रक्रिया या अन्य मुद्दों के दौरान समस्याओं का समाधान करने के लिए, यूडीआइएन पोर्टल - हेल्पडेस्क भी है, जहाँ शिकायत दर्ज़ की जा सकती है और उसको ट्रैक किया जा सकता है ।

यूडीआइएन तैयार करने के लिए निर्धारित समय-सीमा :

पहले यूडीआइएन को प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा पंजीकृत किया जाना था । अब यह समय बढ़ाकर 60 दिन तक कर दिया गया है । अब सनदी लेखाकार को प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर यूडीआइएन के साथ पंजीकरण कराना होगा । हालांकि, हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र को यूडीआइएन के पंजीकरण तक सनदी लेखाकार द्वारा अलग न किया जाए । यह आवश्यक है कि समय-सीमा का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

पेशेवर सनदी लेखाकार जो अनिवार्य दस्तावेजों के लिए यूडीआइएन उत्पन्न करने में चूक करता है, उसे आइसीएआइ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।

क्या यूडीआइएन रद्द किया जा सकता है ?

यदि सनदी लेखाकार को पता चलता है कि उसके द्वारा जारी प्रमाणीकरण गलत है, तो वह यूडीआइएन पोर्टल का उपयोग करके यूडीआइएन को रद्द कर सकता है । यूडीआइएन को निरस्त करने पर यूडीआइएन को रद्द करने के बारे में उन सभी को एक संदेश और ईमेल भेजा जाता है, जिन्होंने यूडीआइएन को रद्द करने हेतु सत्यापित किया है, ताकि ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर उसे सुधारा जा सके ।

कंपनी सचिवों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के लिए यूडीआइएन :

कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए भी आइसीएसआइ ने ऐसा ही एक मंच तैयार किया है । दोनों के बीच केवल यह अंतर देखा गया है कि सनदी लेखाकार द्वारा यूडीआइएन की प्रक्रिया आइसीएआइ द्वारा प्रबंधित की जाती है और कंपनी सचिवों द्वारा यूडीआइएन की प्रक्रिया आइसीएसआइ द्वारा प्रबंधित की जाती है ।

यूडीआइएन विषय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्र :

बैंकिंग परिचालन विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं.एमआइएससी/ 441/ 2018-19, दिनांक 15.10.2018 के अनुसार: इन उपकरणों का उपयोग करने हेतु सूचित किया गया है और एलसीबी-सीओ ने परिपत्र पत्र दिनांक 21.03.2019 के माध्यम से शाखाओं को संवेदनशील होने हेतु सूचित किया, क्योंकि यह हमारे उधारकर्ताओं की ओर से सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए ऋणदाताओं के लिए अनिवार्य आवश्यकता और बहुत ही प्रभावी उपकरण है ।

कमियाँ :

इस टूल का एक दूसरा पहलू भी है । आइसीएआइ और आइसीएसआइ द्वारा यूडीआइएन के लिए उठाए गए कदम निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी देखी गई हैं, जो निम्नवत हैं :

- यूडीआइएन के लिए पंजीकरण करते समय महत्वहीन / अवांछित डाटा दर्ज़ करने और प्रमाणपत्र में अन्य पहलुओं में हेरफेर की संभावना बनी रहती है ।
- चूंकि यूडीआइएन के पंजीकरण के दौरान संपूर्ण प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया जाता है, इसलिए प्रमाणपत्र की सम्पूर्ण सामग्री की वास्तविकता अभी भी सत्यापित नहीं की जा सकती है।
- हालांकि, निरस्तीकरण का विकल्प सनदी लेखाकार को दिया जाता है, लेकिन गलत प्रमाण पत्र देने पर सनदी लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है । प्रमाणपत्र गलत पाए जाने पर भी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्रों को रद्द न करने का वारंट जारी किया जा सकता है ।
- आइसीएआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, यूडीआइएन पंजीकरण विवरण, प्रमाण पत्र के कवरिंग लेटर में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जारी किए गए प्रमाणपत्र को अस्वीकार करने या सामग्री की जालसाजी की संभावना बनी रहती है, जो यूडीआइएन सत्यापन के दौरान प्रतिबिंबित नहीं होती है ।
- सनदी लेखाकार द्वारा दी गई प्रमाणित प्रतियों का सत्यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाणित मूल प्रतियों के लिए यूडीआइएन उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ।

निष्कर्ष :

यूडीआइएन डिजिटलीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक और सराहनीय कदम है । आइसीएआइ ने न केवल सनदी लेखाकार के भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए यह निवारक सतर्कता कदम उठाया बल्कि सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्रों से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने के लिए भी यह कदम उठाया है । यह उपकरण अब प्रचलित हो गया है और संस्थाएँ यूडीआइएन पंजीकरण के बिना प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रही हैं । जैसा कि यह एक नई उभरती अवधारणा है, हम इसमें विकास की आशाएँ कर सकते हैं जिससे कि यह आधुनिक दुनिया के परिवर्तन के अनुकूल हो सके । धोखाधड़ी के विरुद्ध हम सभी को मिलकर लड़ना है । यूडीआइएन एक नवोन्मेषी पहल है, जो दस्तावेजों की धोखाधड़ी को रोकने में समर्थ है ।

कृति दर्पण

अपने ही रचे द्वंद से निकलने की छटपटाहट का नाम है 'प्रमेय'

कश्मीर सिंह, सहायक महा प्रबंधक, नोडल लेखा परीक्षा कार्यालय, हैदराबाद

भगवंत 'अनमोल' एक भारतीय हिंदी लेखक, और प्रेरक वक्ता हैं। 'अनमोल' उन चुनिंदा युवा लेखकों में हैं, जो हर वर्ग के पाठकों की पसन्द हैं। आपका जन्म 30 अगस्त 1990 को उत्तर प्रदेश, राज्य के कानपुर, जनपद में हुआ। आपने महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज, कानपुर से बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस) की शिक्षा प्राप्त की। आपकी अब तक कुल पांच पुस्तकें बाज़ार में आयी हैं, जिनमें दो प्रेरक पुस्तकें - 'कामयाबी के अनमोल रहस्य' और 'तुम्हें जीतना ही होगा' प्रमुख हैं। अनमोल ने तीन उपन्यास - जिसमें 'एक रिश्ता बेनाम सा', 'जिंदगी फिफ्टी-फिफ्टी' और 'बाली उमर' लिखे हैं। उनकी पुस्तक 'जिंदगी फिफ्टी-फिफ्टी' तीन बार की जागरण नीलसन बेस्ट सेलर पुस्तक रही है। 'जिंदगी फिफ्टी-फिफ्टी' के लिए भगवंत 'अनमोल' को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 'बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार' से सम्मानित भी किया गया है।

इस उपन्यास के बारे में सोशल साइट्स पर लम्बे समय से लेखकों और प्रकाशकों के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक होती रही कि 'भगवंत' की एक नयी पुस्तक शीघ्र ही साहित्यिक परिक्षेत्र में धमाल मचाने वाली है और इस नयी पुस्तक में कहानी को लेकर कुछ नये प्रयोग होने वाले हैं। यह प्रयोग धर्म और विज्ञान को लेकर होगा। इसलिए भारतीय साहित्यिक बाज़ार में नयी – नयी अटकलें किताब के बारे में आना स्वाभाविक ही था।

हमारी लाडली पत्रिका "वाणी" के सम्पादक महोदय भी श्री भगवंत 'अनमोल', के दीवाने हैं। उनकी दीवानगी अनमोल के प्रति तब और

बढ़ जाती है जब 'प्रमेय' को 'साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022' से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद भी दीवानगी का यह सफर कहाँ रुका, सिलसिला पहुंचता है आपके इस मित्र तक और सम्पादक जी का आदेश मिलता है कि "प्रमेय" पर मैं अपनी समीक्षा लिखूं, और हम सहर्ष जुट गए, "प्रमेय" की प्रति जुटाने में।

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत' भगवंत' नए विषयों पर कलम चलाने के लिए पहचाने जाते हैं। भगवंत 'अनमोल' ने 'प्रमेय' के पहले, 'जिंदगी फिफ्टी-फिफ्टी' और 'बाली उमर' उपन्यास की कहानी भी कुछ अलग हटकर लिखी और बहुचर्चित भी रही। 'जिंदगी फिफ्टी-फिफ्टी' किन्नरों के दुख - दर्द का मार्मिक दस्तावेज़ है, तो 'बाली उमर' पाँच बच्चों के बालपन से वयस्क होने तक की एक रोचक एवं प्रेरक कहानी।

जब 'प्रमेय' उपन्यास मेरे पास पहुँचा, तो मैंने देखा इसके आवरण पृष्ठ पर ही लिखा गया है "आध्यात्म सृजन है, विज्ञान शोध है, धर्म नियम है।" पुस्तक पढ़ने से पूर्व ही जिज्ञासाओं की लम्बी श्रृंखला मेरे मन में बन गयी थी जो इस उपन्यास को पढ़ते – पढ़ते और समृद्ध होती गयी। प्रमेय को एक बार पढ़ने से काम नहीं चला तो इस ज्ञानसरोवर में दोबारा, गहरे से डुबकी लगानी पड़ी। 'प्रमेय' साहित्य में एक नया ट्रेंड शुरू करने वाला उपन्यास है। यह साइंस, फिक्शन, धर्म और अध्यात्म को एक ही धागे में पिरोता प्रतीत होता है।

'प्रमेय' की कहानी, विज्ञान और धर्म के साथ - साथ अध्यात्म को भी जोड़कर तैयार की गयी है। युवा लेखक भगवंत के लेखन की खास बात यह लगी कि वे गंभीर विषय को भी प्यार-मोहब्बत की चाशनी में लपेटकर पाठकों को परोसते हैं। वे पाठकों के सामने अपनी जिस बात को रखना चाहते थे, उसे सरल शब्दों के माध्यम से रख दिया है।

यह उपन्यास जितना साइंस फिक्शन है, उतना ही दार्शनिकता से परिपूर्ण शोध भी है। 'प्रमेय' को साइंस फिक्शन का नाम दे देना, इसके विस्तृत दायरे को सीमित कर देने वाली बात होगी क्योंकि 'प्रमेय' जितना विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का समर्थन करता है उतना ही आध्यात्मिक मत को स्थापित करता है। प्रमेय में उपलब्ध चिंतन जितना धार्मिक वर्ग को आकर्षित करता है, उतना ही रुचिकर विवेचन उस वर्ग के लिए भी अपने आगोश में समेटती है,

जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते।

'प्रमेय' एक ऐसे युवा की कहानी है जो धर्म और अध्यात्म के बीच में वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा है । जिसकी परवरिश धार्मिक मौहाल में हुई है और जो प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहा है । कहानी में जहां दर्शनशास्त्र का पुट मिलता है, वहीं आज के समाज से इसे जोड़ने और रोचकता हेतु इसमें प्रेम कहानी को भी शामिल किया गया है । 'प्रमेय' के पात्र सूर्यांश को पढ़ाई के दौरान ही दूसरे धर्म की एक लड़की से प्रेम हो जाता है । हमारे समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता के चलते इस नवयुगल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दो धर्मो के प्रेमियों को लेकर इसी कथानक पर बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है और बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं । इसलिये इस उपन्यास में इस कहानी को ले आना बहुत जरूरी नहीं था लेकिन इस प्रेम कथा को लेकर, कुछ ऐसा घटित होता है, जिससे सूर्यांश का सोचने का तरीका ही बदल जाता है, और इस कथानक की अनिवार्यता आवश्यक लगने लगती है । इस कथानक के आधार पर ही लेखक ने विज्ञान, आध्यात्म और धर्म के तर्कों के सहारे ब्रह्मांड और ईश्वर की परिकल्पना को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रमेय में धर्म और विज्ञान का सत्ता संघर्ष दिखाने का प्रयास किया है। इसमें जहां एक तरफ तकनीकी यह बताती है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर है ही नहीं तो दूसरी तरफ उसके परिवार ने बचपन से ही उसे यह सिखाया है कि दुनिया की हर एक वस्तु सिर्फ ईश्वर की देन है।

इस उपन्यास में स्त्रियों के पक्ष को महाभारत काल से जोड़कर दर्शाने का भी प्रयास हुआ है। लेखक ने लड़कियों को परदे में रखने, उनकी दिन-चर्या पर निगरानी रखने, ग्रामीण अंचलों में छोटी उम्र में ही, गांव के कृष्ण-कन्हैया से नयन मटक्का, और औरत का कहना मानने वाले पतियों की दयनीय स्थिति एवं उसके दुष्परिणामों को रेखांकित करने का जो प्रयास किया है बहुत प्रभावी नहीं लगता।

इस उपन्यास में महानगर में घटित होने वाली घटनाओं और प्रेम कहानी के बीच ग्रामीण अंचल के दर्शन भी होते हैं और ग्रामीण परिवेश और उस परिवेश में होने वाली रोजमर्रा की गतिविधियों,

जैसे छप्पर, दालान, पलंग, गाय, भैंस, दूध दुहना, बड़े-बुजुर्ग, खेत-खलिहान, और दालानों में होने वाली बैठकों के मंचन और चर्चाओं के समावेश का प्रयास किया गया है।

यह पूरा उपन्यास 142 पन्नो में संकलित है । उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी तो लगता है कि 'प्रमेय' की कहानी साइंस फ़िक्शन पर आधारित हॉलीवुड की मूवी जैसी है। कहानी में लेखक ने घटनाओं का परस्पर संयोजन इतना प्रभावी बनाये रखा है कि वह पाठक को हॉलीवुड की मूवी के कांसेप्ट से विलग रखने में सफल हुआ है । हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कहानी होते हुए भी इसमें एक गहन चिंतन है, धर्म की बातें हैं और विज्ञान की बातें हैं । सबसे बड़ी बात कहानी के भीतर ही एक और कहानी चलती रहती है । पाठक जो ब्रह्माण्ड के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, यह उपन्यास उनकी जिज्ञासा बढ़ा देगा और वे जो धर्म के मर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं यह उनको भी उत्साहित करेगा और एक निश्चित पड़ाव तक ले जाने में सक्षम है ।

भगवंत का यह उपन्यास अपने आप में विषय के अनूठेपन और पठनीयता के कारण संग्रहणीय है। यह उपन्यास धर्म, विज्ञान और अध्यात्म जैसे जटिल और दुरूह विषय को संबोधित करता है साथ ही इस के अस्तित्व को टटोलने की कोशिश करता है जो एक तरफ तो सृष्टि का रचयिता है परन्तु दूसरी ओर वैज्ञानिक तार्किकता की कसौटी पर कसते ही अस्तित्वहीन हो जाता है । प्रमेय एक साइंस फिक्शन है लेकिन इस उपन्यास की आत्मा ईश्वर के होने न होने के द्वंद्व में ही कहीं निहित है। विषय आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और धर्म - जाति के पूर्वाग्रह पर भी करारी चोट करता है । इस उपन्यास की भाषा सरल और कहानी पाठक को बांधकर रखने वाली है ।

"अपूर्णता ही खुशी है, जीवन है और उम्मीद है । पूर्णता अकर्मण्यता है, नीरसता है और अंत है" कुछ यही सार है भगवंत अनमोल के इस नए उपन्यास 'प्रमेय' का । सामान्य परिवारों में बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु सिर्फ़, और सिर्फ़, ईश्वर की देन है । लेखक का मन भी इसी द्वंद्व में फंसकर रह जाता है।

लेखक की अपने ही रचे इस द्वन्दव् से निकलने की छटपटाहट का नाम है "प्रमेय"।

बड़े बैंक बड़ी जिम्मेदारी
जी-सिब से डी-सिब तक

पवन कुमार, लिपिक, अहमामऊ शाखा, लखनऊ क्षेत्र

आर्थिक जगत में बड़े बैंकों की संकल्पना एक नवीन विचार है । बड़े बैंकों की स्थापना से देश की आर्थिक हालत काफी मजबूत होती है। जी-सिब तथा डी-सिब वैश्विक जगत मे नई संकल्पनाएँ हैं, अतः इन शब्दों का अर्थ भी जानना जरूरी है क्योंकि ये शब्द भी नये हैं । जी-सिब का अर्थ Global systemically important bank (G-Sib) तथा डी-सिब का अर्थ Domestic systemically important bank (D-Sib) है । 2008 मे आई वैश्विक मंदी में विश्व के बड़े-बड़े बैंक फेल हो गये थे जिससे पूरे जगत में महँगाई तथा बेरोजगारी अपने चरम पर पँहुच गई थी। इस परिस्थिति से निकलने के बाद विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने डी-सिब तथा जी-सिब परिकल्पना की व्याख्या की ताकि भविष्य में इस प्रकार की वैश्विक मंदी दुबारा न आ सके और बड़े-बड़े बैंकों को फेल होने से बचाया जा सके ।

जी-सिब बैंक के मापदण्ड

जी-सिब निर्धारण के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं । इन मापदंडों पर खरे उतरने वाले बैंको को ही जी-सिब मना जाता है । फिलहाल विश्व में कुल 28 जी-सिब बैंक हैं जिनको निम्नलिखित आधार पर जी-सिब बैंक वर्गीकृत किया गया है ।

1- बैंक का आकार अर्थात तुलन-पत्र की मदें व तुलन-पत्र से बाहर की मदों सहित यह बैंक बड़ी मात्रा में व्यापार करने वाला हो ।

2- बैंक का क्रिया-कलाप अनेक देशों व अनेक प्रकृतियों वाला हो ।

3- बैंक के कार्य व्यापक तथा जटिल हों कि दूसरे छोटे देश कार्य कर पाने में असमर्थ हों जैसे अति विशिष्ट पूंजी बाजार के कार्य व ऐसे कार्य जिनमें व्यवधान आने से अर्थव्यवस्था सीधे ही प्रभावित होती है ।

4- ऐसा बैंक जिसका विकल्प उपलब्ध ना कराया जा सके। इसका अर्थ है कि ऐसा बैंक हो जिसके आभाव में दूसरा बैंक कार्य ना कर सके ।

5- यह बैंक ऐसा हो जो अन्य बैंकों से जुड़ा हो जिसके कार्य न करने पर अन्य बैंकों के फेल हो जाने की संभावना हो ।

6- इन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक इसलिये कहा जाता है क्योंकि ये बैंक अपने कार्यों तथा अपनी विशेषताओं के कारण इतने महत्त्वपूर्ण होते हैं कि ये आसानी से विफल नहीं हो सकते।

7- इनमें से किसी भी बैंक की विफलता का वित्तीय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था भी व्यापक रूप से बाधित होगी तथा ये बैंक प्रणालीगत तथा नीतिगत जोखिमों से निपटने के लिये अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन होते हैं।

8- मानदंडों के अनुरूप निरंतर संचालन के लिये सरकार द्वारा इन बैंकों के लिये अलग से पूंजी का प्रावधान किया जाता है। ये बैंक फंडिंग मार्केट में कुछ खास फायदों का भी लाभ प्राप्त करते हैं।

भारत मे डी-सिब बैंकों का शुभारंभ

भारत मे जी-सिब बैंकों की तर्ज पर डी-सिब बैंकों की शरुआत हो चुकी है । भारतीय रिजर्व बैंक ने डी-सिब के लिए आकार संबंधी मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं । भारत में उन बैंकों को डी-सिब बैंकों के लिए पात्र मना जाएगा जिनका आकार हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक हो । हमारे देश में डी-सिब के लिए बैंकों के आकार को अधिक महत्व दिया गया है । इसी आधार पर हमारे देश में बैंकों के मर्जर पर आधिक जोर दिया जा रहा है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बैंकिंग तंत्र सरकारी क्षेत्र में विद्यमान है । समस्त बैंकिंग क्षेत्र का कार्य का दो-तिहाई भाग सरकारी बैंकों द्वारा किया जाता है । अतः भारतीय जन मानस बैंकों के फेल हो जाने से डरता नहीं है । डी-सिब फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई वर्ष 2015 से कुछ बैंकों को चिह्नित कर उनके सिस्टमिक इंपोर्टेंस स्कोर (Systemic Importance Scores – SIS) यानी महत्ता के आधार पर एक श्रेणी में रखता है । इस श्रेणी में उन बैंकों को रखा जाता है जो इतने बड़े हैं कि उनके असफल होने का खतरा नहीं उठा सकते हैं यानी कि टू बिग टू फेल (Too Big To Fail) । इसका मतलब हुआ कि इनके किसी संकट में आने पर सरकार इन्हें संभालने के लिए मदद भी कर सकती है ।

इस श्रेणी में शामिल बैंकों को अपने रिस्क वेटेड एसेट्स (RWAs) का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 सीईटी -1 के रूप में रखना होता है सीईटी -1 टियर-1 कैपिटल का वह हिस्सा जिसे बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा इक्विटी के रूप में रखना होता है ।

टियर-1 कैपिटल किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की मुख्य पूंजी होती है जो रिज़र्व के रूप में रखी होती है और इसके जरिए बैंकों के ग्राहकों के कारोबारी गतिविधियों की फंडिंग की जाती है । यह उनकी सेहत को दर्शाता है । इसमें कॉमन स्टॉक्स डिस्क्लोज्ड रिज़र्व व कुछ अन्य एसेट्स आते हैं।

भारत मे डी-सिब बैंको के लिए विभिन्न मापदण्ड

भारतीय बैंकों के संदर्भ में डी-सिब संकल्पना से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर समय रहते ही विचार व चिंतन करना जरूरी है। डी-सिब को "अतिरिक्त सामान्य पूंजी" की अलग से व्यवस्था करनी होगी । यह राशि संबंधित बैंकों के प्रोफाइल पर निर्भर होगी। बैंकों में पूंजी की पर्याप्ता बढ़ने से बैंकों में अनावश्यक दबाव बढ़ेगा जिससे ऋण देने की क्षमता कम होगी । भारत जैसे देश में ऋण देने की जरूरत सैदव बनी रहती है । अतः यह आवश्यक है कि बैंक "अतिरिक्त सामान्य पूंजी" की व्यवस्था स्वयं करने में सक्षम हों । डी-सिब की संकल्पना यद्यपि बहुत ही प्रासंगिक है परंतु भारत के संदर्भ में इसमें कुछ हद तक परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे देश में अधिकांश बैंक जो डी-सिब के दायरे में आते हैं, ये सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं । इन बैंकों के फेल होने के कगार पर पहुँचने पर भी सरकार इनहें फेल नहीं होने देगी और अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध करवा कर इन्हे संकट से निकाल लेगी । आर.बी.आई. के अनुसार, कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस-जूरीडिक्शनल गतिविधियों, जटिलता, परस्पर संबंध तथा स्थानापन्नता के अभाव के कारण प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं और जिन बैंकों की संपत्ति कुल जी.डी.पी. के 2% से अधिक है, उन्हें डी.एस.आई.बी. के रूप में चिन्हित किया जाता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को 'टू बिग टू फेल' (Too Big To Fail) के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

डी-सिब बैंकों हेतु एक अभिनव प्रयोग

डी-सिब बैंकों के समस्त ऋण संविभाग (लोन पोर्टफोलिओ) का बीमा करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है । यद्यपि बड़े बैंकों के ऋण संविभाग का बीमा कोई एक बीमा कंपनी न कर पाए । इसके लिए आसान विकल्प यह हो सकता है कि सभी बीमा कंपनियां मिलकर डी-सिब बैंकों का बीमा करें और ऋण के एनपीए होते ही एक माह के अंदर बीमा कंपनी समस्त एनपीए का भुगतान कर दे तथा इन एनपीए का स्वामित्व बीमा कंपनियों को दे दिया जाए एवं आगे की वसूली बीमा कंपनिया स्वयं करें ।

यह एक अभिनव प्रयोग होगा तथा बीमा क्षेत्र को भी बड़े व्यापार का अवसर मिलेगा । बीमा कंपनियों के लिए यह इसलिए भी औचित्यपूर्ण होगा क्योंकि बीमा व्यवसाय लंबी अवधि पर कार्य करता है और बैंकिंग व्यवसाय दैनिक आधार पर कार्य करते हैं ।

बैंकों में एनपीए होने पर जहां उनके ऋण देने पर रोक सी लग जाती है वहीं दूसरी ओर प्रावधानीकरण के कारण बैंकों की लाभप्रदता भी बुरी तरह प्रभावित होती है ।

निष्कर्ष

वैश्विक परिदृश्य और भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि डी-सिब तथा जी-सिब की नई अवधारणा आर्थिक जगत में एक क्रांतिकारी कदम है । भारत एक विकासशील देश है, उसके लिए जी-सिब बैंकों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है । इस दिशा में सरकार ने कार्य भी करना शुरू कर दिया है । सरकार देश में बड़े बैंकों के निर्माण के लिए बैंकों के मर्जर पर कार्य कर रही है। जिससे देश में बड़े बैंकों का निर्माण हो सके और वह विश्व स्तर पर स्थापित हो सकें । वर्तमान में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ जैसे बड़े बैंकों के देश में जी-सिब निर्माण से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत आधिक लाभ हो रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम हो पा रही है ।

वैश्वीकरण के दौर में बैंकों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पहले जहाँ बैंकों में लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थीं, वहीं अब तकनीक ने इस कार्य को सरल और सुगम बना दिया है। तकनीक का प्रयोग करके पेमेंट बैंकों ने इस कार्य को और आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक बैंकिंग विशेषकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बैंकिंग लेन-देन के डिजिटलीकरण के दौर में चिंता का विषय जरूर है। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आइआइटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न तरीकों से इससे निपटने के प्रयास किये हैं। जन-धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग के जरिये वित्तीय समावेशन पर सरकार बहुत जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच न हो पाना भी चिंता का विषय है। क्योंकि दुर्गम और कठिन क्षेत्र होने के कारण कई क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने बड़ी संख्या में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।

विशेष आलेख

हिन्दी में भारत – भारत में हिन्दी

महावीर सिंह मीणा, प्रबंधक, राजसमंद शाखा, जयपुर क्षेत्र

प्रस्तावना :-

भारत अर्थात हिंदुस्तान, दक्षिण एशिया के तीन प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश। यह भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवाँ एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। इस देश को जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिन्द, हिन्दुस्तान और इंडिया आदि नामों से जाना जाता रहा है। हिंदी इसी भूखंड की भाषा है।

हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से माना जाता है। 'सिन्धु' सिन्धु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आस-पास की भूमि को सिन्धु कहा जाने लगा। यह सिन्धु शब्द ईरानी में जाकर 'हिन्दू', हिन्दी और फिर 'हिन्द' हो गया। बाद में ईरानी धीरे-धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिन्द शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय लगने से (हिन्द+ईक) 'हिन्दीक' बना जिसका अर्थ है 'हिन्द का'। यूनानी शब्द 'इण्डिका' या लैटिन 'इण्डेया' या अंग्रेजी शब्द 'इण्डिया' आदि इस 'हिन्दीक' के ही दूसरे रूप हैं। हिन्दी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज्दी' के 'जफ़रनामा'(1424) में मिलता है। अनेक उर्दू लेखक भी 19वीं सदी तक अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी के रूप में संदर्भित करते रहे हैं।

भारत में हिंदी का उद्भव और विकास :-

संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देवभाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत ही हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ई. पू. से 1000 ई. पूर्व तक रही। यह भाषा दो भागों में विभाजित हुई- वैदिक और लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों जैसे - रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं।

संस्कृत के बाद पालि भाषा का विकास हुआ। पालि भाषा 500 ई. पू. से पहली शताब्दी तक रही और इस भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रन्थों में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। पालि के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। यह पहली ईस्वी से लेकर 500 ई. तक रही। इस भाषा में जैन साहित्य काफी मात्रा में सृजित किया गया था। पहली ई. तक आते-आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। उस दौर में जो बोलचाल की आम भाषा थी वह सहज ही बोली व समझी जाती थी, वह प्राकृत भाषा कहलाई।

दरअसल, उस समय इस भाषा में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, मराठी, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राकृत भाषा के अंतिम चरण से अपभ्रंश का विकास हुआ। यह भाषा 500 ई. से 1000 ई. तक रही। अपभ्रंश के ही जो सरल और देशी शब्द थे उसे अवहट्ट कहा गया और इसी अवहट्ट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है और इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उप-भाषाओं का जन्म हुआ है, जिसमें शौरसेनी (पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती), पैशाची (लंहदा, पंजाबी), ब्राचड़ (सिन्धी), खस (पहाड़ी), महाराष्ट्री (मराठी), मागधी (बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया), और अर्ध मागधी (पूर्वी हिन्दी) शामिल है। हिंदी के अधिकांश विद्वान हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही मानते हैं, वहीं कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का उद्भव अवहट्ट से हुआ है।

भारत की आत्मा हिंदी :-

भारत की आत्मा में हिंदी निवास करती है। हिंदी के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिन्धु घाटी की सभ्यता की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज़, परम्पराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। भारत कई धार्मिक पंथों, जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सिंधी धर्म धर्मों का जनक है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। हिंदी भारत की वह भाषा है जिसने सदियों से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को सहेजकर रखने में भी हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी और भारत का संबंध अत्यंत ही घनिष्ठ एवं अन्योन्याश्रित है, क्योंकि हिंदी और हिंदुस्तान इन दोनों शब्दों का उद्भव लगभग एक ही शब्द सिंधु से हुआ है। अतः जब से भारत शब्द का अस्तित्व है तभी से हिंदी का भी है। इसलिए दोनों एक दूसरे के

अत्यंत करीब हैं । इसी भाषा ने हम सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रखा है । यह भाषा अनेक प्रकार से परिवर्तित होती हुई एक नदी की धारा के समान भारतीय लोगों के द्वारा परिवर्धित होती रही है । भारतीयों के मन मस्तिष्क पर इस भाषा की अमिट छाप है । यही कारण है कि यह भाषा निरंतर विकसित होती हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा बन गई है और आज भारत में ही नहीं अनेक देशों में हिंदी भाषा भाषी लोग निवास करते हैं तथा यह भाषा न केवल उन सब की बल्कि अन्य लोगों की भी प्रिय भाषा बनी हुई है ।

हिंदी से ऊर्जा शक्ति ग्रहण करता भारत:-

भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है । यह रुकना नहीं जानती । यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़ आगे निकाल जाती है । यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी भाषा क्यों न हो । हमारी राजभाषा हिंदी उसी चंचल नदी की धारा के समान है जो प्राचीन काल से हमारे देश में प्रवाहित होती आ रही है । हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान है क्योंकि इसने प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया है । जब भी देश की सुरक्षा एवं अखंडता पर मुसीबत आई तो हिन्दी ने देशवासियों में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर उसे संरक्षित किया । यह भारत की जन भाषा है और भारतीय जनमानस की शक्ति के रूप में प्राचीन काल से भारत की अखंडता की रक्षा करती आ रही है । अनेक विदेशी ताकतों ने कई बार हमारे देश और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को तहस-नहस करने की कोशिश की । हमारे देश पर आक्रमण किए गए, यहां के लोगों के विश्वास, रीति-रिवाजों, धर्म, राजनीति आदि में हस्तक्षेप किया । लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीयता की भावना बनाए रखने में हिंदी ने महती भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर विदेशी ताकत को देश से बाहर निकालने में अपना योगदान दिया । हिंदी अनेक कवियों और लेखकों की प्रिय भाषा रही है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से देश में नई ऊर्जा व जोश का संचार कर विदेशी ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होने और राष्ट्र रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने हेतु प्रेरित किया । इस भाषा ने हमें राष्ट्रप्रेम का पाठ पढ़ाया । अतः हिंदी हमारे स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है और इसका सम्मान करना तथा प्रचार प्रसार करना हमारा प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि इसी में हमारा मान है । हिंदी हमारे अनेक जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है । हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था । वे लिखते हैं, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी' ।

प्रगतिशील भारत और हिंदी :-

आज हमारा देश एक विशाल जनसंख्या का घर होने के साथ-साथ विकसित देशों की श्रेणी में भी आकर खड़ा हो गया है ।भारत आज विश्व के सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ है ।वर्तमान समय की आवश्यकताएं जैसे - विज्ञान, तकनीकी, उद्योग-धंधे, वैश्वीकरण आदि में भारत ने अप्रतिम उन्नति की है । भारत की इस उन्नति में हिंदी भाषा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता । देश की स्वतंत्रता के साथ ही हिंदी भाषा के महत्व को देखते हुए इसे हमारी राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया । हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी राजभाषा है । संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के बीच हिंदी का एक विशेष स्थान है । यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है । अपने देश के विकास के साथ-साथ हमारी राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार भी अत्यंत तीव्रता के साथ हुआ है । हिंदी भाषा आज हमारे देश से निकलकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा बन गई है । वर्तमान में विश्व की अनेक तकनीकी भाषाओं में हिंदी का भी प्रमुख स्थान है तथा यह अब कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषा भी बन गई है ।

हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए विदेशी कंपनियां भी इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं । यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है । आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है । आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है । ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी व प्रकाशित की जा रही हैं । सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है ।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है यह प्राचीन काल से भारतीय जनमानस की भाषा रही है और यही उसकी जीवंतता का प्रमुख कारण है ,क्योंकि भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है । भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है । हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है । सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है ।भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिन्दी को ही जाता है । आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है । पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था । विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है । उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा और यह भाषा निरंतर हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी ।

नवीनतम तकनीक एवं बैंकिंग

रश्मि केशरी, वरिष्ठ प्रबन्धक, सैटेलाइट शाखा, अहमदाबाद क्षेत्र

" तकनीक और क्रांति गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जब साथ चलते हैं तो यकीन मानिए इतिहास बदल जाता है "

आज के भाग दौड़ भरे जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य अगर कोई वस्तु है, तो वह है – समय । एक ऐसा भी दौर था जब बैंकिंग का अर्थ था भारी - भरकम बही खाते, लंबी- लंबी कतारें और थका देने वाली उबाऊ प्रक्रियाएं । शायद यही वजह थी वर्ष 2000 तक भारतीय बैंकिंग सेवा अपनी परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था पर आधारित होने की वजह से आम नागरिकों से काफी दूर थी।

देखा जाए तो भारत में बैंकिंग का इतिहास काफी पुराना रहा है । मगध काल हो या गुप्त काल या मुगल काल, बैंकिंग किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा बनी रही है। हालांकि आधुनिक बैंकिंग की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। उदाहरण स्वरूप एक समय भारत में महाजन प्रथा थी जिसको अंग्रेजों ने एक समान एकत्रित बैंकिंग व्यवस्था में बदल दिया और बाद में भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। समय के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था का स्वरूप बदलता चला गया । यह बदलाव कहीं न कहीं इसे और बेहतर बनाने की दिशा में ही किया गया। इसमें निःसंदेह जिस की प्रमुख भूमिका रही वह बैंकिंग प्रणाली में नित नयी तकनीक का प्रयोग होना है ।

कहते हैं तकनीक और क्रांति साथ-साथ चलते हैं,बैंकिंग भी इससे अछूती नहीं है। **फिडेल कास्त्रो के शब्दों में कहा जाए तो "क्रांति का अर्थ होता हैं अतीत और भविष्य के बीच एक जबर्दस्त संघर्ष "।** कंप्यूटरीकरण के बाद बैंकों में नयी तकनीक के इस्तेमाल ने बैंकिंग को नया आयाम दिया है। यहाँ नयी तकनीक का अर्थ हैं कंप्यूटर की मदद से परिष्कृत सूचना तथा संचार तकनीकों की मदद से ग्राहकों को बेहतर और विश्वसनीय सुविधा प्रदान करना । इसके साथ ही अपने प्रतिद्वंदी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखना, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं-

1. **सहजता** - एक समय था जब किसी भी जरूरत के लिए मुद्रा या करेंसी का होना जरूरी था,पर नयी तकनीक व प्रौद्योगिकी की मदद से आज हमें मुद्रा या करेंसी की जरूरत उतनी नहीं रही है। उदाहरण के लिए चाहे हमें खाना ऑर्डर करना हो या कपड़े खरीदने हों, हम ई-वालेट की मदद से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। यहां तक कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी हमें अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। आरटीजीएस (RTGS) या एनईएफटी (NEFT) जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के आने के बाद, आज हम मिनटों में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि ऐसे नयी तकनीक है जिससे हम तुरंत किसी भी तरह का भुगतान कर सकते हैं या फिर चेक बुक आर्डर या सावधि जमा आदि को आसानी से खोल सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के आ जाने से बैंक अब लोगों की मुट्ठी में समा चुका हैं। लोगों के पास अब चौबीसों घंटे और सातो दिन घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। नयी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का सुखद परिणाम हमें पारंपरिक वित्तीय बैंकिंग मॉडल में वित्तीय समावेशन के रूप में भी दिखाई दे रहा है।

2. **सटीकता तथा डाटा सुरक्षा** - परंपरागत बैंकिंग प्रणाली पूर्णतः मानवीय क्षमता व कौशल पर आधारित थी, जिसमें गलतियों की संभावना बनी रहती थी। नयी तकनीक की मदद से यह संभावना नगण्य हो गई है। साथ ही नयी तकनीक वित्तीय लेनदेन से संबंधित डाटा को सुरक्षा भी प्रदान करती है। ऐसे कम ही मौके आते हैं जब डाटा का गलत प्रयोग किया जाता है।

3. **ग्राहक संतुष्टि** – तकनीक की वजह से आज नेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग ने कार्य को सुगम बना दिया है। लम्बी-लम्बी कतारें, कागज़ों का पहाड़ और उबा देने वाली बैंकिंग प्रक्रिया बीते कल की बात हो गई है। नयी तकनीक ने बैंकिंग को ग्राहकों के हाथों में पहुंचा दिया है। लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अपने बैंकिंग कार्य स्वयं संपन्न कर रहे हैं। इसमे हम भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका को नज़र अंदाज नहीं कर सकते हैं। इसने बैंकों में नियामक और निरीक्षण कार्य को सुनिश्चित करने के साथ बैंक प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु समय - समय पर नयी तकनीक के प्रयोग की भी मंजूरी प्रदान की है । इससे न केवल ग्राहकों के बहुमूल्य समय की बचत हो रही है साथ ही ग्राहक अपने सहूलियत के हिसाब से 24 x 7 अर्थात कभी भी बैंकिंग कार्य सम्पन्न कर पाने में सक्षम हो गए हैं ।

4. **व्यावसायिक बुद्धिमत्ता (Business Intelligence)** - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को और ज्यादा सुगम बनाने हेतु व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को अपनाने की बात कही है। यह एक ऐसी नयी तकनीक है जो व्यापार से संबंधित खुफिया प्रणाली की मदद से बैंकिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक, आधुनिक तथा भविष्य के रुझानों के लिए डाटा प्रदान करती है। इस डाटा के प्रयोग से बैंक अपनी, दक्षता व लाभप्रदता में समग्र वृद्धि ला सकते हैं।

5. **फिनटेक** - हाल के दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में फिनटेक शब्द का भी

इस्तेमाल किया जा रहा है जो वित्तीय तकनीक **(Financial Technology)** का संक्षिप्त रूप है। यह पारंपरिक बैंकिंग तथा व्यापार के वित्तीय प्रबंधन में नयी तकनीकों का कार्यान्वयन है। इन तकनीकों के माध्यम से वित्तीय सेवा में सुधार और स्वायत्ता लाने का प्रयास किया जाता है। डिजिटल भुगतान,डिजिटल ऋण,डिजिटल बैंक टेक(Banking Technology),रैग टेक, क्रिप्टोकरेंसी आदि इसके घटक हैं। वास्तव में देखा जाए तो फिन टेक ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के साथ समावेशन को भी मिश्रित किया गया है । उदाहरण के लिए फिनटेक स्टार्टअप ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को भी मजबूती प्रदान की है। कई फिन टेक स्टार्ट अप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने से एमएसएमई को बैंक जाने तथा इसकी जटिल कागज़ी प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकता है। इस तकनीक से एमएसएमई क्षेत्र को व्यापक व सुलभ बनाने हेतु पारदर्शिता, जोखिम आंकलन व व्यक्तिगत व्यवस्था जैसी सुविधा दी जा सकती है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका विस्तृत रूप है।हालांकि पारंपरिक बैंक इसे अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे हैं।

चुनौतियां

आधुनिक तकनीक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत व पेपरलेस व्यवस्था पर आधारित है। नयी तकनीक का इस्तेमाल करना जितना आसान है उतनी ही इसमें गलती की भी संभावना बनी रहती है। हाल के दिनों में कई ऐसे अवसर भी आए जब बैंकिंग क्षेत्र में नयी तकनीक का दुरुपयोग किया गया है, जैसे :-

1. **साइबर हैकर** - बैंकिंग के क्षेत्र में नयी तकनीकों के इस्तेमाल की वजह से आयी सुगमता कई बार हैंकरों के लिए वरदान साबित हुई है । हाल के दिनों में डेबिट कार्ड कंपनियों व बैंकों में हैकरों ने डाटा लीक कर गोपनीय वित्तीय जानकारी हासिल कर अरबों की क्षति पहुंचाई है। यह व्यक्तिगत व वित्तीय डाटा के दुरुपयोग का नवीनतम उदाहरण है।

2. **साइबर अपराध** - कई बार लोग जाने अनजाने में हैकरों को अपनी वित्तीय जानकारी मुहैया करा देते हैं। जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए कई बार हैकर फ़ोन करके लोगों से उनके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी जैसे पासवर्ड या पिन मांगकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ऑनलाइन बैंक खातों पर फ़िशिंग अटैक और क्लोनिंग की घटनाएँ भी आम होती जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल का उपयोग बढ़ने से साइबर अपराध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है।

3. **डाटा गोपनीयता खोने की संभावना** - साइबर अपराधी अब वित्तीय सूचनाओं को चोरी करने की बजाय कारोबारी जासूसी और सरकारी सूचनाएं हासिल करने की वारदातों को अंजाम देने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे ग्राहकों के लिए साइबर हमलों के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत वित्तीय डाटा का दुरूपयोग भी चिंता का विषय हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक साइबर अपराध के मामले बढ़ने के कारण बैंक इसका असर न सिर्फ वित्तीय मोर्चे वरन इससे उनके ब्राण्ड व साख पर भी पर महसूस कर रहे हैं ।

4. **क्रिप्टोकरेंसी और उसका विनिमय** - क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में एक तरह की आभासी करेंसी है जिसका लेनदेन डिजिटल रूप में होता है। वर्तमान समय में यह फिन टेक का तेजी से उभरता हुआ व्यापक स्वरूप है। पर इसमें सबसे बड़ी बाधा विनिमय को लेकर आती है विश्व के अधिकांश देशों में इसके विनिमय हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बैंकों में भी इसको लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है । भारत भी इससे अछूता नहीं है , यहाँ भी इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है ।ऐसे में विनिमय और कानूनी नियम के अभाव में इस क्षेत्र में घोटालों व धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है।

5. **कर्मचारियों द्वारा नयी तकनीक आत्मसात न कर पाना** – देखा जाता है कि बैंकों में जब नयी तकनीक आती है तो कई बार वहाँ के कर्मचारी उसे आत्मसात नहीं कर पाते हैं। इससे बैंकों की कार्यात्मक गुणवत्ता कम हो जाती है । हालांकि बैंकों में समय-समय पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जो कारगर सिद्ध होती है।

सुरक्षा हेतु उपायः-

1. **कानून** – हमारे देश में पहले से ही बैंकिंग सुरक्षा संबंधी कई क़ानून बने हुए हैं। हालांकि नयी तकनीक के आ जाने से कई नयी तरह की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जिसके लिए मौजूदा क़ानून नाकाफ़ी हैं। अत: सरकार को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर क़ानून बनाना चाहिए, जिससे ग्राहकों के हित सुरक्षित रह सकें ।

2. **बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क :-** बैंक आपस में एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं जहां उभरते जोखिमों की जानकारी रियल टाइम में साझा की जा सके । इससे बैंकिंग धोखाधड़ी की जानकारी साझा करने से जल्द से जल्द इसका पता लगाया जा सकेगा और साथ ही ग्राहकों को भी सचेत भी किया जा सकेगा ।

3. **जागरूक उपभोक्ता :-** सजगता और जागरूकता दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी अवांछनीय घटना को घटित होने से पहले मनुष्य को सचेत कर देते हैं। बैंकिंग क्षेत्र पूर्णतः वित्तीय व्यवस्था पर आधारित है, अत: यह जरूरी हैं कि इस क्षेत्र में जब भी कोई नयी तकनीक अपनायी जाती है, तो उपभोक्ताओं को पहले उसकी पूरी जानकारी दी जाए और तत्पश्चात ही उसे अमल में लाया जाए। इससे उन्हें आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है ।

4. **साइबर सुरक्षा :-** भारत अब भी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए अपनाई जानी वाली तकनीक के लिए आयात पर निर्भर है ।

विदेशों में बने सॉफ्टवेयर न सिर्फ महंगे हैं वरन ये भारतीय समाज और इसकी मानसिकता पर पूरी तरह से खरे नही उतरते हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और इसकी पहुँच में व्यापक वृद्धि को देखते हुए भारत के लिये इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।

वस्तुतः बैंकिंग व्यवस्था एक नया आयाम ले रही है जो एक नयी पीढ़ी द्वारा चलायी जाएगी। यह पीढ़ी तकनीक को ऐसी माध्यम के रूप में देखती है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाती है । अतः सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग के लिए इस पीढ़ी की जरूरतों पर खरा उतरना चुनौती ही है । तकनीक ने लोगों का जीवन स्तर काफी हद तक सुधार दिया है और देश-दुनिया के विकास को एक नया आयाम प्रदान किया है। आज तकनीक का हर किसी के जीवन में ख़ासा महत्व है क्योंकि यह न सिर्फ व्यक्ति के विकास में मदद करती है, बल्कि देश-दुनिया के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है।

बैंकों के सामने कुछ और भी समस्याएँ हैं, जिन पर उन्हें काबू पाना होगा । मसलन कई बड़े सरकारी बैंकों को उच्च तकनीक से सम्पन्न छोटे बैंक चुनौती दे रहे हैं । दूसरी ओर कई छोटे बैंकों को तुलनात्मक रूप से बड़े बैंक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती दे रहे हैं । वहीं अगर किसी भी बैंक की विकास की दर धीमी है तो इसका मतलब साफ है कि उस बैंक की तकनीक काफी पिछड़ी हुई है। दूसरी ओर फिनटेक ने भी बैंकों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ाई हैं। हालांकि बैंक यदि फिन टेक स्टार्ट अप को प्रतिद्वंदी की बजाय भागीदार के रूप में देखें, तो शायद वे बैंक के लिए सबसे बड़े ग्राहक साबित हो सकते हैं। साथ ही वे नए ग्राहकों तक पहुँचने में बैंकों की मदद भी कर सकते हैं।

इस तरह बैंकों को प्रासंगिक और व्यवस्था में बने रहने के लिए नयी तकनीक को अपनाना जरूरी हैं, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन भी बहुत द्रुत गति से होते हैं। इससे बैंकों में न केवल निवेश के बेहतर अवसर बनेगें अपितु धोखाधड़ी और निवेश जोखिम की संभावना भी कम हो जाएगी। निःसन्देह आने वाले वर्षों में नयी तकनीक का प्रयोग बैंकों की कार्य प्रणाली का एक प्रमुख केंद्र बना रहेगा ।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी का उत्तर

1. (क)	2. (क)	3. (ख)	4. (ग)	5. (क)
6. (ख)	7. (ग)	8. (ग)	9. (ख)	10. (क)
11. (ख)	12. (ख)	13. (ग)	14. (ग)	15. (घ)

कविता

वादा

उसका दिया तोहफ़ा उसी को लौटाना पड़ा
दिले को कई बार इसके लिए मनाना पड़ा।

खुद को समझाया था रखेंगे रास्ता कोई
उसने एक बार जो पुकारा हमें जाना पड़ा।

ज़माने को ना हो जाए खबर रिश्ते की हमारे,
उसका लिखा हर एक खत भी जलाना पड़ा।

वो बहुत मसरूफ़ थे अपनी उलझनों में,
अपने जाने का सबब भी हमें बताना पड़ा।

इस कदर थी फिक्र उसकी हमें न पूछो,
उसकी हर खता को भी छिपाना पड़ा।

वो देता रहा दर्द हमें मुहब्बत के नाम पर,
क्या करते हमें दर्द सहकर भी मुस्कराना पड़ा।

बेशक उसने वफ़ा न करी हमसे मगर,
वफ़ा का हर वादा हमें निभाना पड़ा।

विवेक माधवार
सहायक प्रबंधक
बरेली मुख्य शाखा
मेरठ क्षेत्र

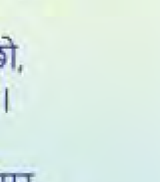

बैंकिंग

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता और चुनौतियां

योगेश कुमार साव, वरिष्ठ प्रबन्धक, सूचना सुरक्षा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

आज के जमाने में साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, धमकी, स्पैमिंग, भड़काने वाले कमेंट्स, हैकिंग आदि बहुत ही आम समस्याएं हो गई हैं। जिनसे निपटने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बस एक मिनट की फोन कॉल अकाउंट्स से पैसे निकालने के लिए पर्याप्त है। सरकार इन सभी अपराधों से निपटने हेतु विभिन्न प्रकार के नियम बना रही है लेकिन तब भी ये अपराध कम नहीं हो रहे हैं।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को चार प्रकार के खतरों से खतरा हो सकता है:

- आंतरिक
- बाहरी
- आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी
- बाहरी सहायता प्राप्त आंतरिक

भविष्य के युद्ध पारंपरिक युद्ध नहीं होंगे जो जमीन, पानी और हवा पर लड़े जाते हैं; भविष्य के युद्ध साइबर युद्ध होंगे। हर देश अपने दुश्मन देश पर हैकिंग या अन्य प्रकार के साइबर हमले करवा रहा है, जैसे कि ज्यादातर मामलों में चीन भारत में अपने मोबाइल फोन, एप्लीकेशन या अन्य प्रकार से साइबर हमले करता है।

यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अन्य प्रकार के हमले के लिए तो हमारे पास सेना है लेकिन क्या साइबर हमलों से निपटने में हमारा देश अभी सशक्त है?

साइबर सुरक्षा की परिभाषा

साइबर सुरक्षा तकनीकी शब्द, सूचना सुरक्षा से भी जुड़ा है, जिसे संघीय कानून में अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता प्रदान करने के लिए अवैध पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या क्षति से सूचना और सूचना प्रणाली की रक्षा के रूप में वर्णित किया गया है।

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को अनपेक्षित या अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन या विनाश से बचाने पर केंद्रित है।

साइबर हमलों की बढ़ती संख्या और जटिलता के साथ, संवेदनशील व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध के प्रकार

साइबर अपराध इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य परस्पर जुड़े बुनियादी ढांचे सहित आपराधिक गतिविधियों को दर्शाता है। जिसमें फ़िशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अवैध डाउनलोडिंग, औद्योगिक जासूसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी, घोटाले, साइबर आतंकवाद, वायरस का निर्माण, स्पैम आदि जैसे अपराध शामिल हैं।

1. साइबर स्टॉकिंग :- इसे एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो अक्सर व्यक्तियों के निजी जीवन में गुप्त रूप से नजर रख कर संकट, चिंता और भय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

2. बौद्धिक संपदा की चोरी :- बौद्धिक संपदा को एक नवाचार, नए शोध, पद्धति, मॉडल और सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका आर्थिक मूल्य है। बौद्धिक संपदा में पेटेंट और ट्रेडमार्क होने के साथ-साथ वीडियो और संगीत पर कॉपीराइट भी शामिल है।

जब कोई व्यक्ति इस कॉपीराइट सामग्री को चुरा लेता है या विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके इस कॉपीराइट सामग्री को अपने नाम से पेटेंट करवा लेता है तो इसको हम बौद्धिक संपदा की चोरी कहते हैं।

3. सलामी अटैक :- सलामी साइबर हमले में साइबर अपराधी और हमलावर बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंक खातों से बहुत कम रकम की चोरी करते हैं।

4. ई-मेल बमबारी :- इस तरह के साइबर हमले में अपराधी एक व्यक्ति को भारी मात्रा में ई-मेल भेज कर पैसे, ब्लैकमेलिंग, लालच देकर किसी विशेष संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने को बोलेंगे जब वह व्यक्ति लिंक में क्लिक करेगा तो उसके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे।

5. फ़िशिंग :- यह एक तरह का कपटपूर्ण प्रयास है जो व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल करने के लिए ईमेल के माध्यम से किया जाता है।

अपराधी ई-मेल भेजता है जो जाने-माने और भरोसेमंद पते से आता है और आपकी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, खाता संख्या या पासवर्ड मांगता है।

6. पहचान की चोरी :- पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें व्यक्ति किसी और के होने का दिखावा करता है और किसी और के नाम से अपराध करता है।

अपराधी किसी व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी चुराता है और उसके नाम पर अपराध करता है।

7. स्पूफिंग :- यह एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच होती है, जिससे अपराधी एक आइपी

पते के साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर पर संदेश भेजता है।

प्राप्तकर्ता को ऐसा लगता है कि संदेशों को एक भरोसेमंद स्रोत से प्रेषित किया जा रहा है।

8. वायरस :- कंप्यूटर वायरस तभी प्रभावी होता है जब वह किसी प्रोग्राम या निष्पादन योग्य फाइल से जुड़ जाता है। जब हम इन सहायक फाइलों को खोलते हैं या रन करते हैं तो वायरस पूरे कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है ।

9. ट्रोजेन हॉर्सेज:- ट्रोजन हॉर्स, पहली नज़र में उपयोगी सॉफ़्टवेयर जैसा लगता है लेकिन वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ़्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है ।

साइबर अपराधी कुछ ट्रोजन हॉर्सेज को उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर को दूर से ही नियंत्रित करने के लिए एक तरह के पिछले दरवाजे की तरह विकसित करते हैं, ताकि गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी की जा सके ।

10.पोर्नोग्राफी :- इस प्रकार के साइबर अपराध में उत्तेजक फोटो और वीडियो को लोकप्रिय सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

हमको साइबर सुरक्षा की आवश्यकता जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है। इसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं :-

- **किसी व्यक्ति के लिए:** सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरें, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दूसरों द्वारा अनुपयुक्त रूप से उपयोग की जा सकती है, जिससे गंभीर और यहां तक कि जान माल की हानि संबंधी घटनाएं भी हो सकती हैं।
- **सरकार के लिए:** स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकारें देश (भौगोलिक, सैन्य रणनीतिक संपत्ति आदि) और नागरिकों से संबंधित बड़ी मात्रा में गोपनीय डेटा रखती है। ग्राहकों और जनता के डेटा तक अनधिकृत पहुंच से किसी देश की निजता और सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है।
- **किसी व्यापार के लिए:** कंपनियों के सिस्टम पर बहुत सारा डेटा और जानकारी होती है। साइबर हमले से प्रतिस्पर्धी जानकारी (जैसे पेटेंट या मूल कार्य) का नुकसान हो सकता है, कर्मचारियों और ग्राहकों का निजी डेटा चोरी हो सकता है जिससे किसी विशेष संगठन अथवा एजेंसी की प्राइवेसी पर जनता का विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।

साइबर सुरक्षा की चुनौतियां

भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में साइबर सुरक्षा को लेकर निम्नलिखित चुनौतियां हैं :-

- **खराब साइबर सुरक्षा अवसंरचना:** भारत के बहुत कम शहरों में साइबर अपराध सेल हैं और भारत में समर्पित साइबर न्यायालयों की संख्या भी बहुत सीमित है ।
- **जागरूकता की कमी:** कम जागरूकता या उत्पीड़न के डर से लोग साइबर अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते हैं। अधिकांश भारतीय डेटा भारत के बाहर स्थित डेटा केंद्रों में संग्रहित किया जाता है। इसलिए, डेटा स्टोर करने वाली कंपनियां भारत को साइबर हमले की सूचना नहीं देती हैं। बढ़ते ऑनलाइन लेनदेन ने साइबर अपराधियों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है।
- **अधिकारियों में साइबर कौशल और प्रशिक्षण की कमी:** जिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर जांच करने की आवश्यकता होती है, उनमें अक्सर अपेक्षित साइबर कौशल और प्रशिक्षण की कमी होती है।
- **गुमनामी:** साइबरस्पेस व्यक्तियों को एन्क्रिप्टिंग टूल का उपयोग करके किसी की प्रोफ़ाइल को छिपाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह जांच के दौरान एक बड़ी चुनौती पैदा करता है।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी चिंता:** साइबर अपराधों में, एक व्यक्ति दुनिया में कहीं भी किसी दूरस्थ स्थान पर बैठकर अपराध कर सकता है। इससे देश के बाहर बैठे अपराधी को पकड़ने में बहुत समस्याएं आती हैं ।
- **पुरानी रणनीतियाँ:** भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, जिसका मसौदा एनएससी द्वारा तैयार किया गया है – राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के लिए एक बहुत जरूरी अद्यतन – अभी तक जारी नहीं किया गया है।
- **विश्वसनीय साइबर प्रतिरोध रणनीति का अभाव:** एक विश्वसनीय साइबर प्रतिरोध रणनीति की अनुपस्थिति का मतलब है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समान रूप से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक परंपरागत निम्न-स्तरीय साइबर नियम का संचालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- **साइबर संघर्ष से निपटने के लिए अनुचित दृष्टिकोण:** भारत ने अभी तक किसी भी एक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया है जो साइबर संघर्ष के लिए अपने दृष्टिकोण को समग्र रूप से प्रदर्शित करता हो।

साइबर सुरक्षा से जुड़े भारतीय कानून

भारत सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में साइबर अपराधों की तरफ ध्यान दिया है और निम्नलिखित कानून बनाए हैं।

- **साइबर सुरक्षा नीति:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 को भारत के नागरिकों और व्यवसायों के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाने के लिए विकसित किया गया था।

- **आईटी अधिनियम, 2000:** वर्तमान में, सूचना अधिनियम, 2000 देश में साइबर अपराध और डिजिटल वाणिज्य से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** केंद्र सरकार ने देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से निपटाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है।
- **महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण योजना:** यह योजना ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने, एकत्र किए गए सबूतों को देखने और संरक्षित करने के लिए फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना, कानून लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता निर्माण, साइबर स्पेस से अश्लील सामग्री को हटाने के लिए उपकरणों के अनुसंधान और विकास की अनुमति देती है और जनता को जागरूक करती है।

साइबर सुरक्षा की सुदृढ़ता हेतु भारत सरकार के कदम

भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा से निपटने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

साइबर क्राइम वालंटियर्स :- गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने नागरिकों को "साइबर अपराध स्वयंसेवकों" के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के उद्देश्य से साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया।

साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल :- सरकार ने ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.gov.in लॉन्च किया है ताकि शिकायतकर्ता बाल पोर्नोग्राफी/बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार छवियों संबंधी मामलों की रिपोर्ट कर सकें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है।

साइबर स्वच्छता केंद्र :- दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर्स का पता लगाने और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) शुरू किया गया।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) :- यह देश में आने वाले इंटरनेट यातायात को स्कैन करने के साथ ही वास्तविक समय में स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान कर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) डिवीजन :- यह साइबर खतरों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन स्टाकिंग जैसे इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में बनाया गया है।

साइबर सुरक्षित भारत पहल :-

इस पहल की शुरुआत भारत में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए की गई है।

यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी है और साइबर सुरक्षा में आइटी कंपनी सहयोग देगी।

भारत में साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के सुझाव

भारत में साइबर सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों की आवश्यकता है:-

समन्वय वृद्धि :- अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर समन्वय में सुधार की जरूरत है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना हो सकता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मजबूत प्रशिक्षण समय की मांग है।

सरकार को साइबर सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट हैंडलिंग तकनीकों पर विशेष ध्यान देने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों और व्यक्तियों को निरंतर, मजबूत और प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

बुनियादी ढांचे का विकास :- इसके तहत अधिक साइबर सेल, साइबर कोर्ट और साइबर फोरेंसिक लैब बनाना शामिल है ताकि उल्लंघन करने वालों को विधिवत दंडित किया जा सके।

डिजिटल साक्षरता पैदा करना :- यह साइबर अपराधों के प्रति जनता की कमजोरियों को दूर करके किया जा सकता है।

सेवा प्रदाताओं पर जिम्मेदारी :- वेबसाइट के मालिकों को अपनी साइट पर ट्रैफ़िक के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करनी चाहिए। यह साइबर हमलों पर बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह सुनिश्चित करेगा। इस डेटा का उपयोग भविष्य में एक नई साइबर सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन :- नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कंपनियों पर कानूनी बाध्यताएँ लागू किए जाने की आवश्यकता है।

केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें बड़ी मात्रा में डेटा और गोपनीय रिकॉर्ड डिजिटल रूप में ऑनलाइन रखती हैं जो साइबर हमलावरों का प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। अनुचित बुनियादी ढांचे, जागरूकता की कमी और धनाभाव के कारण अधिकांश समय सरकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी निकायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समाज को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करें, नागरिक-से-सरकार संचार बनाए रखें और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करें। बेहतर सुरक्षा समझ और उपयुक्त रणनीतियां हमें बौद्धिक संपदा और व्यापार की गोपनीय जानकारियों की रक्षा करने और वित्तीय और प्रतिष्ठा के नुकसान को कम करने में मदद कर सकती हैं।

है अंधेरी रात पर दीया जलाना कब मना है

नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

इस अंक में जिस साहित्यकार को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं – उनके शब्दों के जादू ने हर काल खंड में पाठकों को सम्मोहित किया है । वे स्वयं को जितने खुले विचार से परोसते हैं उतनी ही गहन दार्शनिकता से पाठकों को गंभीर विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं । वे समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति व्यवस्था, धार्मिक उन्माद, ऊंच-नीच संबंधी कुरीतियों को समय-समय पर चुनौती देते हैं । उनकी रचनाओं में आपबीती घटनाओं की अधिकता है, पर वह किसी भी मायने में तत्कालीन समाज से इतर नहीं है । जीवन के कठिनतम दौर ने उस साहित्यकार को निखारा है और उसे हालावाद के प्रवर्तक के रूप में पहचान दिलाई है। उनकी कविताओं और आत्मकथाओं को साहित्य जगत ने खूब सराहा है । उनकी साहित्यिक यात्रा कठिनतम समय से लड़कर बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है । जी हाँ, यह भूमिका मधुशाला जैसे अमर काव्य के रचियता श्री हरिवंश राय बच्चन जी को लक्ष्य करके गढ़ी गई है । आइये इस कवि एवं आत्मकथाकार के साहित्यिक सफर का अवलोकन करते हुए उनके विचारों व लेखनी से परिचित होते हैं ।

राजनीति, साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में बीसवीं सदी का इतिहास गढ़ने वाले हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 को एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ । इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था । बच्चन ने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की । आरंभ में जो आर्थिक संघर्ष उन्होंने झेले थे, वे इस देश के साधारण परिवारों के युवकों के लिए नए नहीं हैं । पर बच्चन को विशिष्ट बनाती है, उनकी संवेदनशीलता, काव्य के प्रति समर्पण, स्वाभिमान का ओज, जीवन के प्रति असीम अनुराग और इनके समानांतर समाज की रूढ़ियाँ जो कवि के मन में आरंभ में ही एक द्वन्द्व को जन्म देती है । वर्ष 1927 में श्यामा से उनका विवाह हो गया । वर्ष 1929 में वे स्नातक की परीक्षा भी उत्तीर्ण हो गए और यही दौर उनके जीवन का कठिनतम दौर था । अपना स्वास्थ्य खराब, श्यामा यक्ष्मा से पीड़ित, आर्थिक तंगी बेहद, एक के बाद एक नई विपत्तियाँ । किशोर उम्र की कल्पनाएं यौवन तक आते-आते यथार्थ से टकराती हैं किन्तु निराशा के इस घोर संघर्ष में बच्चन भोगवाद का संदेश सुना रहे थे –

लिखी भाग्य में जितनी बस, उतनी ही पाएगा हाला,
लिखा भाग्य में जैसा बस, वैसा ही पाएगा प्याला,
लाख पटक तू हाथ-पाँव, पर इससे कब कुछ होने का,
लिखी भाग्य में जो तेरे बस, वही मिलेगी मधुशाला ।

संसार की नश्वरता और नियति की क्रूरता के समानांतर कवि एक फैंटेसी बुनते हैं । श्यामा के देहावसान (17 नवम्बर 1936) तक वह उस फैंटेसी से अपने को बहलाते हुए मधुकाव्य की रचना में तल्लीन रहते हैं । वह दुख के बोझ को जानकर भी उसको चुनौती देते हुए उन्माद का गीत गाते हैं । अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करके विश्वविद्यालय में प्राध्यापन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी, श्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार, राज्यसभा की सदस्यता जैसी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां यदि उनके साथ जुड़ी हैं तो जीवन के कटुतम अनुभव भी उन्हें समानांतर रूप से प्राप्त हुए हैं ।

उनका कवि जीवन अन्य जिम्मेदारियों के साथ चलता रहा । उनकी कविताएँ हमेशा जीवन के प्रसंगों से प्रेरणा लेती है । उन्होंने अपने जीवन को दो भागों में बांटकर रखा था । वे एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहते हैं कि "मेरा जीवन जो है, वह बंटा हुआ है । मैं शत-प्रतिशत कवि नहीं हूँ, मैं 50 प्रतिशत कवि हूँ, 50 प्रतिशत अंग्रेजी का अध्यापक था । और जिस काम से अपनी रोटी चले – रोटी चलना कोई मामूली काम नहीं है – उसके प्रति आस्थावान और ईमानदार होना चाहिए ।"

सर्व-सम्पन्न हो जाने पर भी बच्चन के अपने द्वन्द्व रहे हैं । लगभग चार दशक पहले जब उनका वर्ष 1929 से 1979 के बीच की कविताओं का संकलन 'मेरी कविताई की आधी सदी' छपा था तो उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था:

और घर?
वह है भी अब कहाँ?
जो शब्दों का घर बनाते हैं ।
वे और सब घरों से निर्वासित कर दिये जाते हैं ।

अवश्य ही कवि का घर लोहे-सीमेंट का घर नहीं है । वस्तुत: शब्द का घर बनाने के द्वंद्वों ने ही बच्चन को उनके काव्य का नायक बनाया है ।

वर्ष 1935 में हरिवंश राय की सबसे ख्याति प्राप्त पुस्तक 'मधुशाला' प्रकाशित हुई, जिसकी पंक्तियाँ आज भी पाठकों की जुबान पर है। अंदाजा लगाइए महज 27 वर्ष की आयु में कवि की गंभीरता का। साहित्य में बच्चन की पहचान 'मधुशाला' के कवि के रूप में अधिक है और इस बात की बार-बार चर्चा होती है कि इसकी रचना की प्रेरणा उन्हें उमर खैय्याम की रुबाइयों के साथ-साथ वास्तविक जीवन की उन घटनाओं से भी मिली थी जिसे उन्होंने भोगा और महसूस किया था। वे धर्मांधता के विरोधी थे, जो लोगों से आपस में द्वन्द्व करवाती थी। आखिर उस धर्म की उपयोगिता ही क्या है, जिसमें मानवता के लिए जगह ही न हो। संकीर्णता की जगह बच्चन के यहाँ धर्म सहिष्णुता की अभिव्यक्ति मिलती है –

मुसल्मान औ हिन्दू हैं दो, एक, मगर, उनका प्याला,
एक, मगर, उनका मदिरालय, एक, मगर, उनकी हाला;
दोनों रहते एक न जब तक, मस्जिद-मंदिर में जाते;
वैर बढ़ाते मस्जिद-मंदिर, मेल कराती मधुशाला।

मधुशाला के बहुत-से पाठक और श्रोता एक समय समझा करते थे कि इसका लेखक दिन-रात मदिरा के नशे में चूर रहा करता होगा। पर वास्तविकता यह है कि मदिरा से बच्चन जी ने दूरी ही बनाए रखी थी। वे कहते हैं – "नशे से इनकार नहीं करूंगा। जिंदगी ही एक नशा है। कविता भी एक नशा है। और भी बहुत-से नशे हैं।" अपने पाठकों का भ्रम दूर करने के लिए, उन्होनें एक समय एक रूबाई लिखी थी :

स्वयं नहीं पीता, औरों को, किन्तु पिला देता हाला,
स्वयं नहीं छूता, औरों को, पर पकड़ा देता प्याला,
पर उपदेश कुशल बहुतेरों, से मैंने यह सीखा है,
स्वयं नहीं जाता, औरों को पहुंचा देता मधुशाला।

कवि से बराबर प्रश्न होते रहे, आप पीते नहीं तो आपको मदिरा पर लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रश्न सरल था, पर था ईमानदार। इस पर बच्चन जी लिखते हैं – "एक दिन ध्यान आया कि कायस्थों के कुल में जन्मा हूँ, जो पीने के लिए प्रसिद्ध हैं, या थे। चंद्रबरदाई के रासो में कभी पढ़ा एक छप्पय भी याद आया। सोचने लगा, क्या पूर्वजों का किया हुआ मधुपान मुझ पर कोई संस्कार नहीं छोड़ गया होगा।" अपने पाठकों को बहलाने के लिए कवि ने एक रुबाई लिखी थी:

मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे, पुरखों ने इतना ढाला,
मेरे तन के लहू में है, पचहत्तर प्रतिशत हाला,
पुश्तैनी अधिकार मुझे है, मदिरालय के आँगन पर;
मेरे दादों-परदादों के, हाथ बिकी थी मधुशाला।

मधुशाला की लोकप्रियता कवि के लिए एक समस्या बन गई थी। पर कवि जब भी कहीं कविता सुनाने के लिए खड़े होते तो एक स्वर से जनता 'मधुशाला' की सबसे अधिक मांग करती थी। बच्चन की साहित्यिक पुस्तकों में पाठक सबसे अधिक 'मधुशाला' ही पढ़ते हैं। ऐसा प्रसिद्ध भी है कि मदिरा जैसे-जैसे पुरानी होती है वैसे-वैसे ज्यादा नशीली होती जाती है।

वर्ष 1936 में बच्चन जी की प्रसिद्ध पंद्रह गीतों के संग्रह 'मधुबाला' प्रकाशित हुई। जीवन-दृष्टि के प्रतिपादन के कारण 'इस पार उस पार' कविता विशिष्ट है। नियति की निष्ठुरता और जगत की नश्वरता ने कवि हृदय को मथा है। कवि का आहत हृदय लिखता है – 'इस पार प्रिये मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा।'

'मधुकलश' के गीतों में प्रतीकों के आवरण की अपेक्षा सीधी अभिव्यक्ति अधिक है। अब तक साहित्य समाज में कवि की जो कटु आलोचना हुई थी, अधिकांश रचनाओं में उसका प्रतिकार है। कवि को दु:ख है कि वृद्ध जन को उनकी क्षणिक जवानी अखरती है, जबकि कवि का कथन है –

राग को पीछे छिपा चित्कार कह देगा किसी दिन
है लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन-समर में।

बच्चन के काव्य में हलाहल और मधु परस्पर विरोधी नहीं है। उनकी हाला जहां उल्लास और वेदना के बीच सामंजस्य खोजती है, वहाँ उनकी परवर्ती रचना में हलाहल कटुता की संज्ञा को ही नष्ट कर देती है। कवि पीड़ा के हलाहल को पी जाना ही श्रेयस्कर समझता है। कवि मानता है कि जो हलाहल नहीं पी सकता, जो केवल मदिरा पिपासु है, वह कायर है। बच्चन की काव्य यात्रा में इस मधुकाव्य की भूमिका कवि की वेदना के क्षरण की है। कल्पना का लोक बुनकर कुछ समय के लिए कवि ने यथार्थ की कठोरता को भुलाने का जो प्रयास किया है, उसी का यह प्रतिफल है।

बच्चन की एक और प्रसिद्ध कृति 'निशा निमंत्रण' के सौ गीत विषादपूर्ण रात्रि का चित्रण है। इसे महागीत भी कह सकते हैं। जिसमें एकाकी विधुर मन की सघन पीड़ा का चित्रण है। प्रकृति की छोटी-छोटी घटनाएं कवि को आंदोलित कर देती हैं। गहराती संध्या में नीड़ों की ओर द्रुत गति से उड़ते खगों की प्रतीक्षा में तो उनके शावक हैं पर कवि स्वयं को कुछ इस स्थिति में पाता है – 'पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला।' निशा निमंत्रण के गीत शिल्प की नई जमीन भी तोड़ते हैं।

हिन्दी आत्मकथा के इतिहास में हरिवंश राय बच्चन की "क्या भूलूँ क्या याद करूँ" का विशेष स्थान है । अपनी आत्मकथा में बच्चन ने नि:संकोच भाव से अपने जीवन की उन घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख किया है जिनका गहरा संबंध उनके लेखन और व्यक्तित्व के विकास में रहा है । इस रचना के अध्ययन से हम देखेंगे कि लेखक किस प्रकार अपनी निजता को सार्वजनिक करता है और चेतन-अचेतन अवस्था में अपने मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का तटस्थ होकर आकलन करता है । आत्मकथा लेखन की अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है । बिना तटस्थता, आत्मलोचन और जीवन की कथा को युगीन संदर्भों से जोड़े – कोई भी आत्मकथा प्रभावशाली नहीं हो सकती है । बच्चन के जिस कवि व्यक्तित्व से आज पूरा हिन्दी संसार परिचित है – उसका स्रोत इस आत्मकथात्मक कृति में आसानी से ढूंढा जा सकता है । इसलिए इस आत्मकथात्मक कृति को पढ़ने का अर्थ एक रचना का आस्वादन करना ही नहीं है, बल्कि उन मार्मिक स्थितियों से गुजरना भी है जिसके कारण लेखक के रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है और 'मधुशाला', 'मधुबाला' और 'निशा निमंत्रण' जैसी काव्य कृतियों रची जाती हैं । "क्या भूलूँ क्या याद करूँ" स्पष्टत: बतलाती है कि इसे पढ़ने का अर्थ लेखक के बचपन से लेकर पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक के जीवन क्रम को जानना ही नहीं, अपितु उस समय के समाज को समझना भी है, जब भारत में जातिवादी और धार्मिक संस्थाएं मजबूत थीं, सामाजिक जिंदगी में उनका बोलबाला था और तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवाद उनके सहयोग से शासन और दमन के रास्ते पर बढ़ रहा था । इन बातों का संकेत जगह-जगह इस कृति में मिल जाएगा । "क्या भूलूँ क्या याद करूँ" के विषय में डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि **"यह कथा बड़ी सरस और जीवंत है । इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अत्यंत जीवंत रूप में उभरकर सामने आ गए हैं ।"**

जीवन में धर्म और दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । खासकर भारतीय जीवन को निर्धारित करने में धर्म और दर्शन ने केन्द्रीय भूमिका निभाई है । "क्या भूलूँ क्या याद करूँ" में लेखक ने मुख्यत: हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था से जुड़े अनेक पक्षों पर विचार किया है और इसी क्रम में जन्म, मृत्यु, आत्महत्या आदि दार्शनिक विषयों पर खुलकर अपनी राय प्रकट की है । यद्यपि 'आत्मा' को लेकर उठे प्रश्न का उत्तर पाने में वह अपने आपको असफल मानते हैं पर इस सत्य को स्वीकारते हैं कि किसी की मृत्यु से दुनिया नहीं बदल जाती, बल्कि वह यथावत चलती रहती है **"पर दुनिया, दुनिया है । दुनिया के लिए कोई अनिवार्य नहीं । इधर लाश उठती है, उधर दुनिया के काम यथापूर्व होने लगते हैं ।"** यह सच भी है । क्योंकि मरने के बाद आत्मा की परिणति कहाँ और किस रूप में होती है, इसका सही उत्तर आज तक हमारे पास नहीं है । लेकिन जीवित शरीर का सच सबके सामने होता है । आत्महत्या के बारे बच्चन लिखते हैं – "…. जो सोचता है, वह मेरी दृष्टि में निरात्मा है ।" निरात्मा यानी कि जिसके अंदर सोचने, समझने और महसूस करने की ताकत खत्म हो गयी हो । जो जीवन की चुनौतियों से भाग रहा हो और ऐसा मनुष्य पौरुषवान नहीं हो सकता ।

बच्चन के आरंभिक रचनाएं छायावाद की विशालता की तुलना में जीवन के अधिक नजदीक हैं । इनकी भाषा भी जन-संवेदना से अधिक जुड़ी है । उनकी मातृभाषा अवधी थी । इस कारण उनकी आत्मकथा में अवध की लोक-संस्कृति के तत्व उभरकर सामने आए हैं । अवध की लोक-संस्कृति ने बच्चन की भाषा को नई जमीन दी है । उनकी आत्मकथा में समाज के स्वरूप के बदलाव के साथ-साथ भाषा का भी रूप बदलता नजर आता है ।

बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया था । बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिन्दी विशेषज्ञ रहे । और, राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी रहे । उनकी कृति 'दो चट्टानें' को वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया । बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था । बच्चन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया । उनकी कविताओं को बॉलिवुड ने खूब गुनगुनाया है । सार्वभौमिक सत्य है कि हर दौर का अंत होता है । 2003 की जनवरी से बच्चन जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी । कठिनाइयाँ बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई, जो साहित्यिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है ।

आइये साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिए उनके योगदान से रूबरू होते हैं -

कविता संग्रह : तेरा हार (1932), मधुशाला (1935), मधुबाला (1936), मधुकलश (1937), निशा निमंत्रण (1938), एकांत संगीत (1939), सतरंगिनी (1945), हलाहल (1946), बंगाल का काव्य (1946), खादी के फूल (1948), सूत की माला (1948), मिलन यामिनी (1950), प्रणय पत्रिका (1955), धार के इधर उधर (1957), आरती और अंगारे (1958), बुद्ध और नाचघर (1958), त्रिभंगिमा (1961), चार खेमे चौंसठ खूँटे (1962), दो चट्टानें (1965), बहुत दिन बीते (1967), कटती प्रतिमाओं की आवाज (1968), उभरते प्रतिमानों के रूप (1969), जाल समेटा (1973)

आत्मकथा : क्या भूलूँ क्या याद करूँ (1969), नीड़ का निर्माण फिर (1970), बसेरे से दूर (1977), बच्चन रचनावली के नौ खंड (1983), दशद्वार से सोपान तक (1985)

निबंध संग्रह : नए-पुराने झरोखे (1962), टूटी-छूटी कड़ियाँ (1973)

फोटो फ़ीचर

नराकास से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियाँ

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम पुरस्कार

कोयंबत्तूर क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय पुरस्कार

पटना क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय पुरस्कार

बीकानेर शाखा, द्वितीय पुरस्कार

पुदुच्चेरी क्षेत्रीय कार्यालय, तृतीय पुरस्कार

विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय, सांत्वना पुरस्कार

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, सांत्वना पुरस्कार

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, सांत्वना पुरस्कार

फोटो फ़ीचर

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बैंक की तिरुपति शाखा के निरीक्षण की झलकियाँ

फोटो फ़ीचर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (31.10.2022- 06.11.2022) के आयोजन की झलकियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर झण्डा दिखा कर पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कार्यपालक गण साथ में हैं चेन्नै की जिलाधिकारी सुश्री एस अमृता ज्योति

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए तत्कालीन एमडी व सीईओ महोदय

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आइपीएस, डीजीपी (डीवीएसी)- तमिलनाडु श्री पी कंडास्वामी के साथ शीर्ष कार्यपालक गण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आइपीएस, डीजीपी (डीवीएसी)- तमिलनाडु श्री पी कंडास्वामी का स्वागत करते हुए तत्कालीन एमडी एवं सीईओ महोदय

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों को संबोधित करते हुए आइपीएस, डीजीपी (डीवीएसी)- तमिलनाडु श्री पी कंडास्वामी, साथ में उपस्थित हैं कार्यपालक गण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर बैंक की पत्रिका आइओबी विज़िल का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण

फोटो फ़ीचर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (31.10.2022- 06.11.2022) के आयोजन की झलकियाँ

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ लेते हुए शीर्ष कार्यपालक गण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए कार्यपालक निदेशक महोदया एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री आर बालासुब्रमण्यन

नज़र कानूनी

निज डाटा रक्षां कुरु

फणीष मणि त्रिपाठी, प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

एक बार एक तपस्वी को उनका दांत परेशान करने लगा। दांत में खूब दर्द रहता। इस पीड़ा की परछाईं उनके चेहरे पर भी झलकती। शिष्य से रहा न गया। एक दिन उसने तपस्वी से पूछ ही लिया, "गुरुजी आप किस बात से परेशान हैं?" तपस्वी ने अब तक ये बात किसी से नहीं बताई थी। शिष्य के सवाल पर वे संकोच में पड़ गए। उसे दांत में दर्द की बात बताएं या नहीं। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे शिष्य को अपने कष्ट का कारण बताएंगे। पर उन्होंने पहले शिष्य से वचन लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। शिष्य ने जब आश्वस्त कर दिया तो उन्होंने बताया कि अधिक मीठा खाने की वजह से उनके दांतों में दर्द रह रहा है पर वे नहीं चाहते कि लोग इसके बारे में जानें। तपस्वी को लगता कि यदि लोगों को ये बात पता चलेगी तो वे तपस्वी का मजाक उड़ाएंगे। वे ये सोचेंगे कि जो खुद की इंद्रियों पर काबू नहीं पा सका और कष्ट में है वो दूसरों के दुख क्या दूर करेगा।

कुछ दिनों बाद गांव का एक व्यक्ति तपस्वी से मिलने आया। उस समय तपस्वी अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने अपना ध्यान खोला तो अपने सम्मुख उस व्यक्ति को पाया। उन्होंने उसका और गांव का हाल पूछा। गांव की खोज खबर देने के बाद जब वह व्यक्ति चलने को हुआ तो उससे रहा न गया। उसने तपस्वी से पूछ ही लिया कि महाराज आपके दांत का दर्द कैसा है? पूरा गाँव आपकी पीड़ा से दुखी है। तपस्वी ने कहा कि अब उनका दांत पूरी तरह ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। तपस्वी को ये अहसास हो गया कि जिस बात को वे गुप्त रखना चाहते थे वो बात पूरा गाँव जान गया।

दरअसल, परनिन्दा ही मनुष्य की कमज़ोरी है। चुगली करने में, दूसरों की बातें बताने में जो आनंद आता है वो और कहां। ये वो रस है जिसको सबने चखा है। हिन्दी साहित्य में व्यंग्य के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई ने तो पूरा पोथा निन्दा रस पर लिख डाला है। वे तो निन्दा को टॉनिक मानते हैं। संत कबीरदास जी ने तो निन्दकों को मन का मैल धोने में साबुन और पानी से भी अधिक प्रभावकारी माना है।

खैर, आज के युग में निन्दा और चुगली का ज़रा अपग्रेडेड वर्शन आ गया है। ये मामला ज़रा परिष्कृत हो गया है और सीधे-सीधे पैसे से जुड़ गया है। अब कोई आपकी निजी बातों की चुगली नहीं करता बल्कि आपके निजी डाटा की चुगली करता है। आपके बैंक में कितना बैलेंस है। आपका इंश्योरेंस है कि नहीं। आपका खाता किस-किस बैंक में है। आपकी आय कितनी है। आपने अपना डेबिट कार्ड कहां स्वाईप किया। आपने क्रेडिट कार्ड से कितने की ज्वेलरी खरीदी। ये वो बातें हैं जो निजी हैं लेकिन इसके डिजिटल निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। आपसे सम्बन्धित जानकारियां डिजिटल रूप में कहीं न कहीं मौजूद हैं। जिस पर भरोसा करके आपने अपना डिजिटल ब्योरा दिया है यदि वही अमानत में खयानत कर दे तो आप क्या करेंगे? निजी डिजिटल डाटा की सुरक्षा को लेकर सरकार भी फिक्रमंद है। इस बारे में कानून लाने की तैयारी की जा रही है पर बार-बार बदलाव की वजह से इसमें देरी हो रही है। आइए आपको इस कानून के ड्राफ्ट के जरिए थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कानून हम डिजिटल मनुष्यों के लिए कितने काम का है।

दरअसल हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल ने भारत में डिजिटल पहुंच बढ़ा दी है। आज देश की डिजिटल जनसंख्या करीब 66 करोड़ है यानि लगभग देश की आधी आबादी। इस डिजिटल दुनिया का उपयोग कोई आधार बनाने के लिए कर रहा है, कोई बैंकिंग लेन-देन के लिए कर रहा है, कोई शॉपिंग के लिए कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया के लिए कर रहा है। ये सब करते हुए आप अपने निजी डाटा को किसी न किसी रूप में साझा कर रहे हैं। क्या आप जो निजी जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं या दर्ज कर रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है? क्या आपकी इन जानकारियों का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? कहीं आपको बिना बताए आपके डिजिटल डेटा को असामाजिक तत्वों के साथ तो साझा नहीं किया जा रहा है? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब है डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा बिल 2022। इस बिल का ड्राफ्ट तैयार है और लोगों से इस पर राय-मश्विरा किया जा रहा है। सरकार की मानें तो जल्दी ही इस बिल को सदन पटल पर रखा जाएगा।

वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 72ए में निजी सूचना की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि यदि किसी सेवा प्रदाता को सेवा प्रदान करने के क्रम में किसी व्यक्ति की निजी सूचनाओं तक पहुंच बनती है और वो इन सूचनाओं का गलत लाभ के लिए इस्तेमाल करता है तो ये दंडनीय होगा। परन्तु अब डिजिटल निजी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए अधिक सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा कानून

उद्देश्य

डिजिटल निजी डाटा की प्रोसेसिंग करते हुए दो बातों को आश्वस्त करना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है-

1. डिजिटल निजी डाटा का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे किसी व्यक्ति के निजी डाटा की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रहे।
2. डिजिटल निजी डाटा का उपयोग सिर्फ कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए किया जाए।

कानून किन पर लागू होगा

1. इस कानून का प्रावधान वहां लागू होगा जहां डिजिटल निजी डाटा हो।

क. डाटा प्रिंसिपल (प्रिंसिपल यानि जिस व्यक्ति का डाटा है) से ऑनलाइन माध्यम से निजी डाटा प्राप्त किया जा रहा है।

ख. निजी डाटा ऑफलाइन लिया जा रहा है लेकिन डिजिटल रूप में रखा जा रहा है।

2. ये कानून भारतीय सीमा के बाहर भी लागू होगा यदि भारत में डाटा प्रिंसिपल को उत्पाद या सेवाएं देने के लिए डिजिटल निजी डाटा

की प्रोसेसिंग देश से बाहर की जा रही हो।

कानून कहां लागू नहीं होगा

- जहां निजी डाटा की गैर-स्वचालित प्रोसेसिंग होगी
- ऑफलाइन पर्सनल डाटा
- व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए व्यक्ति द्वारा स्वयं डाटा की प्रोसेसिंग करने पर
- किसी व्यक्ति की निजी सूचनाएं जो कम से कम 100 वर्ष से अस्तित्व में हैं

डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग का आधार

- डाटा प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का उपयोग इस कानून के प्रावधानों और दायरे में रहकर करना होगा।
- कानून रूप से सही उद्देश्य के लिए डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा।
- डाटा प्रिंसिपल की अनुमति/हामी लेकर ही डाटा की प्रोसेसिंग की जाएगी।

डाटा प्रिंसिपल से रजामंदी लेना

i) डाटा प्राप्त करने वाले को साधारण भाषा में ये सूचना डाटा प्रिंसिपल को देनी होगी कि वो किस प्रकार का निजी डाटा जुटाना चाहता है और उस डाटा का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा।

ii) यदि इस कानून के अमल में आने से पहले डाटा प्रिंसिपल से रज़ामंदी ली गई है तो डाटा जुटाने वाले को डाटा प्रिंसिपल को वो डाटा आसान भाषा में, सूचीबद्ध रूप में प्रदान किया जाएगा।

मान लीजिए कि डाटा प्रिंसिपल एक बैंक में खाता खुलवाना चाहता है। बैंक द्वारा डाटा प्रिंसिपल से पहचान और पते के प्रमाण की फोटोप्रतियां मांगी जाती हैं। तब बैंक को ये बताना होगा कि फोटोप्रतियां केवाईसी औपचरिकताएं पूरी करने के लिए मांगी जा रही हैं। ये कोई पृथक सूचना नहीं होगी बल्कि खाता खोलने के फॉर्म में ही लिखी जा सकती हैं। डाटा प्रिंसिपल से डाटा प्राप्त करते हुए डाटा जुटाने वाले को डाटा सुरक्षा अधिकारी का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर डाटा प्रिंसिपल उससे संपर्क कर सके। डाटा प्रिंसिपल को अपनी रजामंदी कभी भी वापस लेने का भी अधिकार होगा।

डाटा फिडुशियरी या डाटा प्राप्तकर्ता के दायित्व

- डाटा प्रिंसिपल से प्राप्त डिजिटल निजी डाटा को हर प्रकार से सुरक्षित करने के लिए और डाटा की चोरी रोकने के लिए डाटा फिडुशियरी को हर तरह के रक्षात्मक उपाय करने होंगे।
- निजी डाटा की चोरी होने पर डाटा फिडुशियरी को बोर्ड को इसकी सूचना देनी होगी और प्रत्येक डाटा प्रिंसिपल, जिसका डाटा चोरी हुआ है, उसकी जानकारी देनी होगी।
- किसी बच्चे से निजी डाटा प्राप्त करने से पहले उसके अभिभावकों से इसके लिए रजामंदी लेनी होगी।
- ऐसा कोई डाटा प्रोसेस नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे को हानि पहुंच सकती है।
- डाटा फिडुशियरी को बच्चों के व्यवहार की ट्रैकिंग करने की और उन्हें लक्ष्य करके विज्ञापन दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

इस कानून में भारतीय डाटा सुरक्षा बोर्ड बनाने की भी बात कही गई है। मूलत: इस बोर्ड का कार्य डिजिटल डाटा सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करना, उनकी सुनवाई करना और निदान करना होगा। इसके साथ ही डाटा फिडुशियरी पर डाटा की चोरी होने पर या डाटा को नुकसान पहुंचने पर आर्थिक दंड देने का भी अधिकार होगा जिसका निर्णय निम्न बातों के आलोक में लिया जाएगा।

- डाटा सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की प्रकृति क्या है और कितना गंभीर उल्लंघन हुआ है?
- अन-अनुपालन की वजह से किस प्रकार की निजी सूचना प्रभावित हुई है?
- क्या अनुपालन कमियां बार-बार उजागर हो रही हैं या उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है?
- क्या अनपालन कमियों की वजह से व्यक्ति को लाभ या हानि हुई है?

गलतियों के लिए आर्थिक दंड

अन-अनुपालन के बिन्दु	आर्थिक दंड
डाटा प्रोसेसर या डाटा फिडुशियरी द्वारा डाटा की सुरक्षा के लिए यदि पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।	रु 250 करोड़ तक
निजी डाटा चोरी होने पर बोर्ड और डाटा प्रिंसिपल को इसकी जानकारी नहीं देने पर	रु 200 करोड़ तक
बच्चों के सम्बन्ध में अतिरिक्त दायित्वों का निर्वाह नहीं करने पर	रु 150 करोड़ तक
डाटा प्रिंसिपल द्वारा गलत सूचनाएं प्रदान करने पर या किसी अन्य व्यक्ति की निजी सूचना को अपना बता कर देने पर	रु 10,000 तक

आज ओपन बैंकिंग का ज़माना आ गया है। बैंक के पास मौजूद ग्राहक की सूचनाओं को ग्राहक की रजामंदी से अन्य पक्ष के साथ साझा किया जा रह है ताकि सेवाओं को त्वरित और आसान बनाया जा सके। भारत में अकाउंट एग्रीगेटर्स की शुरुआत ओपन बैंकिंग की ओर पहला कदम है। आरबीआई ने इन्हें ग्राहकों की सूचनाएं विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ साझा करने की स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल ये अकाउंट एग्रीगेटर्स ग्राहक का डाटा रखने वाले और ग्राहक का डाटा मांगने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करेंगे। अकाउंट एग्रीगेटर्स के आने से ग्राहक को अब किसी भी वित्तीय सेवा को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा केवाईसी और अन्य दस्तावेज़ बार-बार अपलोड करने या दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और गति दोनों सुधरेगी। मान लीजिए कि आप दफ्तर में बैठे-बैठे ऑनलाइन बीमा खरीदना चाह रहे हैं। आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। पर अकाउंट एग्रीगेटर्स की मदद से आप बिना किसी कागज़ात और बिना किसी बाधा के बीमा खरीद लेते हैं। है ना ये बिल्कुल नए तरह का अनुभव। पर इन सेवाओं को बाधारहित बनाने के लिए आपकी निजी सूचनाओं का जिस तेजी से आदान प्रदान किया जा रहा है उसमें उसकी सुरक्षा को लेकर संदेह हो सकता है। ऐसे में ये नया बिल आपके हितों और डिजिटल डाटा की रक्षा करेगा।

मॉरीशस के प्रबुद्ध साहित्यकार राज हीरामन

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

अपने मूल से जुड़ाव को पोषित करने, प्रवासियों में स्वदेश की भावना को बनाए रखने तथा हिन्दी को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाने की घोषणा की गई। मौका विश्व हिन्दी दिवस का था और मेरे मन में कई सवाल घर कर गए हैं। सवाल भी ऐसे कि क्यों कोई अपनों को, अपने देश को, अपनी ज़मीन को, अपने घर-बार को छोड़ कर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से दूर निर्वासित हो कर महज़ अपने हाथों की लकीरों के भरोसे एक अनजान देश में बसर करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो दूर कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठ कर सोचा करते हैं कि उनकी जड़ें उस देश से जुड़ी हैं जिसे आदि काल में सोने की चिड़िए कहा जाता था। उनके पूर्वजों ने उस देश में पहली सांस ली थी जिसकी संस्कृति और भाषा का डंका पूरे विश्व में बजता था।

हमारा नया स्तम्भ "प्रवासी भारतीय" इन्हीं सवालों के जवाबों के तलाश की परिणिति है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों और लोगों से मुलाक़ात हुई, जो मेरे लिए भी पढ़े-पढ़ाए किताबी संसार से अलग थे। लोग, जिन्होंने अपने क्षेत्र में संघर्षों, बाधाओं और विषमताओं को पार करते हुए अनजान सरज़मीं पर एक मुकाम हासिल किया। इस स्तम्भ के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी मुलाक़ात ऐसे ही लोगों से करा सकें जिन्होंने सुदूर देशों में रह कर अपने हुनर और प्रतिभा से नाम और शोहरत हासिल की और आज भी भारत की कीर्ति में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। हमारे आज के स्तम्भ के केंद्र के रूप में हमने जिस देश का चयन किया है, वो है मॉरीशस और हमारे आज के स्तम्भ के केंद्र की शख्सियत है वहाँ के 'राज हीरामन जी', जो मॉरीशस में रहते हुए सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की भावना के साथ राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं।

बात भाषा की की जाए तो मध्य अंग्रेजी और शुरुआती आधुनिक अंग्रेजी काल के दौरान अनुमानतः महज़ पांच से सात मिलियन लोगों के बीच ही बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा जोकि आज 1.5 बिलियन से अधिक लोगों की ज़ुबान पर है, जिसे दुनिया भर में दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करने वालों लोगों के मामले में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कई देशों की पहली या दूसरी राजभाषा भी है, के प्रचार-प्रासार का किस्सा किसी से छुपा नहीं है। अगर हम 26 फरवरी 2022 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के ऐतिहासिक भाषण को माने तो, **"भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमला या उसकी एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया"।** फिर बिना औपनिवेशीकरण और किसी अन्य राज्य या राष्ट्र के ऊपर हिन्दी को थोपे हिन्दी का इतने बृहत् स्तर पर प्रसार कैसे संभव हो सका?

इसी क्रम में अगर हम मॉरीशस में आधुनिक हिन्दी के प्रचार-प्रसार का इतिहास खंगालें तो इसका कारण बनती हैं ब्रिटिश नीतियाँ और कारक बनते हैं वो भोले-भाले भारतीय जिन्हें स्वर्ग के सपने दिखा कर नर्क में धकेल दिया गया। मगर उस से पहले बात होगी उस कानून की जिसके अस्तित्व में आने से पहले तक ब्रिटिश हुकूमत ने भारतियों को भेड़-बकरियों की तरह हमेशा के लिए उनकी जमीन, घर, अपनों और संस्कृति से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। दरअसल 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड ने अपनी भीड़भाड़ वाली जेलों में कैदियों से निजात पाने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला। कैदियों के रख-रखाव का खर्च कम करने और उन कैदियों से और अधिक मेहनत मज़दूरी करवाने के उद्देश्य से कैदियों को कम आबादी वाली कॉलोनियों (मुख्य रूप से अपने उपनिवेशों) में जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाने लगा। इस तरह के स्थानांतरण से कैदियों का मनोबल टूट गया और उनकी संगठित होने की क्षमता और आजादी की आखरी उम्मीद भी उनसे छिन गई। यह योजना इतनी सफलता रही कि कैदियों की समस्या से निपटान के लिए दंडात्मक कॉलोनियों में परिवहन जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत का पसंदीदा तरीका बन गया। कालांतर में सरकार द्वारा चलाया जा रहा अपराधी श्रम का प्रवाह जल्द ही कैरेबियन और अमेरिकी उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूरों में निजी तौर पर नियंत्रित व्यापार के साथ एकीकृत हो गया। अब क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था अतः यह नीति भारत पर भी लागू होती थी।

क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की निर्माण परियोजनाओं में काम करवाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी अतः सन 1787 में पहली बार हुकूमत के इशारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय दोषियों, जिसमें चोरी से लेकर ऋणग्रस्तता तक के कई छोटे-मोटे अपराधों के आरोपी शामिल थे, दक्षिण पूर्व एशिया में दंड कालोनियों में ले जाए गए। विशेष रूप से सिंगापुर में स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स के सबसे तेजी से बढ़ने के लिए भारतीय कैदियों की मांग बहुत अधिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सुनहरे दिनों में उन्हें 'बॉटनी बे ऑफ इंडिया' कहा जाता था। अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो आप पाएंगे कि पेनांग के सफल औपनिवेशीकरण के बाद वहाँ बनाई गई अधिकतम सार्वजनिक परियोजनाओं की नीव भारतीय अपराधी श्रमिकों खून-पसीने से सिक्त है। उल्लेखनीय रूप से सन 1796 में पहली बार अंडमान से 700 कैदियों को पेनाग की दंड कालोनियों में स्थानांतरित किया गया, जो आगे चल कर 19वीं शताब्दी तक बदस्तूर जारी रहा।

सन 1829 में मॉरीशस की जमीन पर भारतियों के कदम पहली बार तब पड़े जब अंग्रेजों ने नेपोलियन युद्धों में फ्रांस को खदेड़ते हुए से मॉरीशस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ काम करवाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि शुरुआती दौर में किए गए स्थानांतरण सफल नहीं रहे। क्योंकि मॉरीशस की प्लांटेशन अर्थव्यवस्था काफी हद तक दासता पर चलती थी और सन 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा दासता के उन्मूलन के बाद मॉरीशस श्रम संकट खड़ा हो गया। एक बात जो यहाँ विशेष रूप से नोट की जानी चाहिए कि भारत के शोषण तथा अपने हितों की रक्षा के लिए सन 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए दासता के उन्मूलन अधिनियम में

भले ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर दासों की खरीद-फ़रोख़्त को प्रतिबंधित कर दिया गया हो मगर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आने वाले क्षेत्र यानी उल्लेखनीय रूप से भारत को इस कानून की

परिधि से बाहर रखा गया।

सन 1833 में उपजे इस श्रम संकट ने भारतीय श्रमिकों की मांग को जन्म दिया, जिसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 में भारतियों को नए सिरे से मॉरीशस भेजना शुरू कर दिया और यहीं से गिरमिटिया प्रथा (जिसके बारे में आप हमारे पिछले अंक में पढ़ सकते हैं) की शुरुआत हुई। 2 नवंबर 1834 को 36 भारतीय मज़दूर मॉरीशस में अनुबंध पर मज़दूरी करने गए और इस पहले दल ने जिन सोलह सीढ़ियों पर चढ़कर मॉरीशस की ज़मीन पर कदम रखा था, वो आज भी मौजूद हैं और उनके दर्दीले संघर्ष की गाथा कह रही हैं। इस सोलह सीढ़ियों के घाट जिसे पहले कुली घाट कहा जाता था आज अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि मॉरीशस की लगभग 70% आबादी भारतवंशी है, जिसके पूर्वजों ने इसी अप्रवासी घाट की 16 सीढ़ियाँ चढ़ कर मॉरीशस में कदम रखा था। आज इसे एक स्मृति स्थल के रूप में संजोकर रखा गया है और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है।

अगर आंकड़ों की बात करें तो सन 1838 तक 25,000 से अधिक गिरमिटिया मजदूर भारत से मॉरीशस आ चुके थे। दासता-विरोधी प्रचारकों द्वारा लाए गए एक संक्षिप्त प्रतिबंध 1839 से 1842 के दौरान भारतीय प्रवासन को रोक दिया गया लेकिन जल्दी ही इसे उलट दिया गया और अगले ही साल सन 1843 में 30,218 पुरुष और 4,307 महिला गिरमिटिया अप्रवासियों ने मॉरीशस में प्रवेश किया। अब क्योंकि श्रम एक सतत आवश्यकता है और एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने के बाद श्रमिक घर वापसी के लिए प्रतिरोध कर सकते थे। अतः उनकी गिरमिटिया दासता की अवधि के बाद भी उन्हें मॉरीशस में रहने को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को आवश्यक माना गया। 1868 तक विनियमों ने प्रत्येक सौ पुरुषों के लिए महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी को कम से कम चालीस महिलाओं तक बढ़ा दिया गया ताकि वे मजदूर अपना घर बसा कर हमेशा के लिए मॉरीशस में ही रह जाएँ।

भारत से लगभग 500,000 मजदूरों को अनुबंधित श्रम के लिए अनुबंध प्रणाली के तहत मॉरीशस स्थानांतरित किया गया था; कुछ एक अपराधी थे, लेकिन अन्य स्वेच्छा से आए थे, हालांकि उनकी इच्छा कभी-कभी किसी न किसी दबाव के तहत प्राप्त की जाती थी। यह बात तो निर्विवादित रूप से सत्य है कि जीवनपर्यंत हर व्यक्ति का अपनी राष्ट्रीय भाषा से एक भावुक संबंध बना रहता है। वह कहीं भी रहे, भाषा उस कड़ी की तरह है जो प्रवासित होने पर भी उसे उसके मूल से जोड़े रखती है। भाषा ही वो जड़े हैं जिनसे होकर संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक संचारित होती है और इन्हीं प्रवासियों के माध्यम से भाषा विश्वभर में संचारित और पल्लवित होती है। भाषा ही वह धरोहर है जिसे प्रवासी पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक अमानत की तरह सौंपते हैं। इस तरह भारत से गए ये 500,000 मजदूरों अपने साथ न केवल तन ढंकने के कपड़े बल्कि अपनी भाषा भी अपने साथ ले गए और इस तरह एक सुदूर समुद्री टापू पर हिन्दी पहुंची। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर मॉरीशस का इतिहास बदला, उसे एक मज़बूत पहचान दिलवाई। अब वक़्त है हमारे स्तम्भ के आज के केंद्र हिन्दी काव्य-साहित्य के प्रतिनिधि कवि राज हीरामन जी से मुलाक़ात का।

राज हीरामन जी का जन्म 1 जनवरी 1953 को मॉरीशस के उत्तर प्रान्त में स्थित त्रियोले गांव में हुआ था। वे महज़ ढाई साल के थे जब उनके पिता का देहान्त हो गया और परिवार के भरण पोषण का दायित्व उनकी माँ के ऊपर आ गया। उस दौर में उनकी मां परिवार के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करती थीं। राज हीरामन अपने परिवार के दस बच्चों में सबसे छोटे हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने भी मजदूरी का काम किया। फिर पुलिस कॉन्स्टेबल बने। दो सालों के बाद वे हिन्दी के अध्यपक बने। 'जनता' हिन्दी के साप्ताहिक समाचार में और 1976 में 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' बम्बई में पत्रकारिता की। लौटकर स्थानीय मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के रेडियो व टेलिविजन में 22 सालों तक काम किया। इसी बीच सन 1978 में वे महात्मा गांधी संस्थान के सृजनात्मक लेखन विभाग से भी जुडे और साथ-साथ हिन्दी पाठ्य लेखन विभाग में भी काम किया। उन्होंने माध्यमिक कॉलेज में हिन्दी और हिन्दुत्त्व जैसे विषय पढ़ाए।

जब राज हीरामन जी से मॉरीशस हिन्दी के फलने और बढ़ने के बारे में पूछा जाता है तो वो उसका जवाब कुछ इस तरह देते हैं: आज के मॉरीशस का आधार गिरमिटियों की मेहनत, दुख-अभाव, कोड़े-लात-घूसों की मार, अत्याचार-व्यभिचार, त्याग-तपस्या, गहव और यातनाएँ हैं। मॉरीशस की बंजर जमीन जो आज ऊर्जावान है और हरियाली से भरी है इसे सुबह 05.00 बजे से सूरज ढलने तक मार खाते हुए, आँसू पीकर पत्थरों के मेढ़ बनाते हुए हम गिरमिटियों ने इस लायक बनाया है। हमारे पूर्वजों ने रात भर जाग कर अपनी संतानों को उस रामायण को सुनाया है जिसे वो अपने सरों पर रख कर इस अनजाने ज़मीन के टुकड़े पर लाए थे। उन्होंने बैठकाओं के ज़रिए अपनी संतानों को भाषा से प्रेम करना सिखाया, प्राथमिक शिक्षा दी, सुसंस्कृत बनाया और आगे चल कर बैठकाओं से निकली हिन्दी ही हमारी आज़ादी का ज़रिया बनी।

वे आगे बताते हैं कि "ये बैठकें दरअसल गाँव के कोने में लकड़ी-बांस से बनी, औगौरों से छायी और गोबर से लिपी वह जगह होती थी जहाँ रात में पूरे भारत से आए थके-माँदे गिरमिटिये इकट्ठा हो कर रामायण बाँचते, हवन करते, और आल्हा-उदल गाते हुए के दूसरे के दुख-दर्द पर मरहम लगाते थे। भले ही वो किसी भी क्षेत्र से आए हों, जो चीज़ उन्हें जोड़ती थी, वह थी भाषा। इन्हीं बैठकों में वे अपने अधिकारों के लिए सचेत भी हुए और एक जुट भी; जो अंततः उनकी स्वतन्त्रता का

आधार बनी । सन 1901 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हुए युवा करमचंद गांधी के जहाज 'नौशेरा' के खराब होने के चलते पोर्ट लुई बन्दरगाह में लंगर डालना दुनिया के लिए भले ही एक इत्तफाक होगा। हम गिरमिटियों के लिए तो ये सौभाग्य ही था कि गांधी जी ने बग्घी में घूम-घूम कर यहाँ के गिरमिटियों की दयनीय स्थिति देखी और नवंबर में जाते-जाते उन्हें सलाह दे गए कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और उन्हें राजनीति में जाने के लिए प्रेरित कीजिए।

गांधी जी के जाते ही गिरमिटिया सतर्क हो गए और उन्होंने उसी साल कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में मॉरीशस की दुखी जनता के मुद्दे को उठाया और सहायता पहुंचाने के लिए बाध्य किया । गिरमिटिया जो धर्म परिवर्तन के डर से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, भेजने लगे । ये सारी मेहनत फलीभूत होने में 30 और साल लग गए । सन 1930 के दशकों में डॉ शिवसागर रामगुलाम, जयनारायन रॉय और वासुदेव विष्णुदयाल जैसे लोग पढ़ कर स्वदेश लौटने लगे और देश संभाला। गिरमिटियों को मतदान का अधिकार नहीं था। मॉरीशस के तात्कालिक गवर्नर सर विलियम मायनार्ड ने हम गिरमिटियों की तकलीफ़ों को समझा और सन 1948 में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने सिफ़ारिश की कि "जो भारतीय अपनी भाषा में अपना नाम लिख कर हस्ताक्षर कर लेगा उसे मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा।

प्रोफेसर विष्णुदयाल ने अपने स्वयं सेवकों को पूरे देश में फैला दिया। क्योंकि गिरमिटिया मजदूर दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे इसलिए ये स्वयं सेवक रात के अंधेरे में लालटेन लेकर एक गाँव से दूसरे गाँव जाते और बही कलम दे कर उन्हें उनका नाम लिखना सिखाते । उस समय तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू भाषी सभी भारत मूल के लोगों ने हिन्दी लिखना सीखा । 1948 में हुए चुनाव में सारे राजनीतिक समीकरण उलट गए । अभी तक जिस 11 सीटों वाली सरकार में बमुश्किल 2 सीटें भारतीय मूल के लोगों के हिस्से आती थीं, में 09 सीटों पर भारतीय मूल के लोगों ने शानदार जीत दर्ज़ की और बहुमत से अपनी सरकार बनाई । ये बात निर्विवादित रूप से सत्य है कि हिन्दी की मदद से ही गिरमिटिया मजदूर अपनी गुलामी की बेड़ियाँ काट सके।

राज हीरामन जी का कार्यक्षेत्र इतना विशद है कि उसे किसी एक विधा या क्षेत्र की परिधि में बांधना उनकी क्षमता, उनके त्याग व उनके संघर्ष के साथ अन्याय होगा । आपने सम्पादन के क्षेत्र में 'स्वदेश' हिंदी साप्ताहिक का तीन सालों तक संपादन, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं का संपादन तथा गांधी संस्थान के सृजनात्मक लेखन व प्रकाशन विभाग में 'वसंत' और 'रिमझिम' पत्रिकाओं के वरिष्ठ उप-सम्पादक के पदभार को संभाला है । शिक्षा के क्षेत्र में आपने 1973-1978 तक हिंदी शिक्षक के रूप में, वयस्कों के लिए हिंदी प्रशिक्षण में, महात्मा गांधी संस्थान, माध्यमिक पाठशाला में कुछ समय तक हिंदी व हिंदुइज़्म में शिक्षक के रूप में शिक्षण का कार्य किया है साथ ही आप ए.वी. डिग्री कॉलेज (अब ऋषि दयानन्द संस्थान), पाय, मॉरीशस में बी.ए. के प्राध्यापक के रूप में भी पदस्थ रहे हैं । आपने 1978-2002 तक मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एमसीबी) में एवं 2002-2004 तक 'रेडियो वन' में समाचार संपादक, रेडियो अनाउंसर, साक्षात्कारकर्ता व खेल-कूद कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है । आप 10 सालों से भी अधिक प्राथमिक सरकारी तथा माध्यमिक पाठशालाओं के हिंदी पाठ्य-लेखन पैनल के सदस्य भी रह चुके हैं।

राज हीरामन जी का चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मलेन (1933, मॉरीशस) की स्मारिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । अभिनय की दृष्टि से आपने अभिमन्यु नत की रचनाओं पर आधारित एकांकी के मंचन में, दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन (मॉरीशस, 1976) में 'आषाढ़ का एक दिन' में और महात्मा गांधी संस्थान द्वारा प्रस्तुत 'गूंगा इतिहास' नाटक में अभिनेता के रूप में अभिनय भी किया है । आपने मॉरीशस फ़िल्म डिवलॉप्मेंट कॉर्परेशन के लिए इंडियन फ़िल्म फ़ेस्टिवल के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं । महात्मा गांधी संस्थान-मॉरीशस विश्वविद्यालय के बी.ए. व एम.ए. के छात्रों ने आपकी सभी प्रकाशित पुस्तकों पर शोध किया है । आपने सेवा शिविर 1968-1982 एवं ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट 1982-2003 के संस्थापक सदस्य रूप में महती भूमिका निभाई है।

लेखन के क्षेत्र की बात की जाए तो आपके कविता संग्रह: कविताएँ जो छप न सकीं - 1996, छपकर रहीं कविताएँ - 1987, चुभते फूल - 1988, हँसते कांटे - 1999, अंधेरे का उजाला - 2000, उजाले का अंधेरा - 2005, एक ज़मीन आसमान पर - 2007, धरती तले आकाश - 2009, नेहा की निधि - 2012, मॉरीशस की हिंदी कविता (संपादन); कहानी संग्रह: स्वघोषित आचार्य - 2006, सेवा आश्रम – 2008; लघुकथा संग्रह: कथा संवाद - 2008, घाव करे गंभीर – 2009; बतौर संपादक द महात्मा रिमेंबर्ड – 200; मोहनदास की नजरों में मॉरीशस भी था (लेख-संग्रह) – 2009; पराए जो थे अपने हो गए (साक्षात्कार संग्रह) – 2009 पर अपनी लेखनी चलाई है।

राज हीरामन जी के अविस्मरणीय योगदान को चिन्हित करते उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया है जिनमें से प्रमुख हैं : हिंदी प्रचारिणी सभा, मॉरीशस द्वारा 'हिंदी सम्मान' - अक्टूबर 2012; आधारशिला, नैनीताल द्वारा 'विश्व हिंदी रत्न' - 29 अक्टूबर 2012; विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस द्वारा 'कवि सम्मान' - अक्टूबर 2012; 6वें विश्व भोजपुरी सम्मेलन में मार्च 2012; दिल्ली विश्वविद्यालय दयालसिंह कॉलेज द्वारा मार्च 2012; प्रभात खबर (हिंदी दैनिक) पटना व रांची द्वारा नवंबर 2009; जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, बिहार द्वारा नवंबर 2009; सृजन संवाद, इंदौर, द्वारा नवंबर 2008; पाटलीपुत्र सांस्कृतिक सद्भावना सम्मान 2008 , पटना - नवंबर 2008; मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर द्वारा - नवंबर 2008; ग्राम संस्कृति हिंदी मासिक, इंदौर द्वारा – नवंबर 2008; अहिल्या बाई गर्ल्स कॉलेज, इंदौर द्वारा नवंबर 2008; समकालीन हिंदी साहित्य समिति, मुम्बई द्वारा – 2005; मॉरीशस सनातन धर्म टेम्पल्स फ़ेडेरेशन द्वारा अगस्त 1987; हिंदी लेखक संघ द्वारा - नवंबर 1986 में प्राप्त सम्मान प्रमुख है।

राज हीरामन जी पर लिखी हुई पुस्तकें:

1. राज हीरामन इन द प्रेस – निधि हीरामन
2. पत्रों के आईने में राज हीरामन-नेहा हीरामन

विविधा

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Stalwart	Stawl-Wert	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	वफ़ादार
Clement	Klem-Uhnt	लैटिन	उदार
Revitalize	Ree-Vahyt-L-Ahyz	लैटिन	उत्तेजक
Lambent	Lam-Buhnt	लैटिन	उज्ज्वल
Capacious	Kuh-Pey-Shuhs	लैटिन	विशाल
Enkindle	En-Kin-Dl	लैटिन	प्रज्ज्वलित होना
Gul	Gool	फारसी	गुलाब
Rejuvenate	Ri-Joo-Vuh-Neyt	लैटिन	नवीकृत
Ignescent	Ig-Nes-Uhnt	लैटिन	चिंगारी
Kith	Kith	पुरानी अंग्रेज़ी	दोस्त
Welkin	Wel-Kin	पुरानी अंग्रेज़ी	आकाश
Asinine	As-Uh-Nahyn	लैटिन	नासमझ
Trachle	Trah-Khuhl	पुरानी अंग्रेज़ी	थकना
Panglossian	Pan-Glos-Ee-Uhn	ग्रीक	अति आशावादी
Honcho	Hon-Choh	जापानी	नेता
Sweven	Swev-Uhn	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	नज़रिया
Haimish	Hey-Mish	मध्यकालीन जर्मन	घरेलू
Nescience	Nes-Ee-uhns	लैटिन	अज्ञान
Handsel	Han-Suhl	पुरानी अंग्रेज़ी	उपहार
Sayonara	Sahy-Uh-Nahr-Rah	जापानी	अलविदा

संगीता शेखर
वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय
कोयंबत्तूर

यह कैसी आज़ादी

शिल्पा बंसल, सहायक प्रबन्धक, प्रशांत विहार शाखा, दिल्ली क्षेत्र

रोज की तरह आज सुबह भी ठीक 7.30 बजे बिना अलार्म के ही नींद खुल गई। सोचा आज तो पूरे दिन आराम फरमाऊंगा। 15 अगस्त की छुट्टी जो थी। करवट ली और फिर दोबारा आँखें बंद कर लीं..। रोज-रोज की चिकचिक, भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से मिली आज़ादी से आज सच का सुकून मिल रहा था....।

थोड़ी ही देर में काफी शोरगुल होने लगा.....रसोई में टकराते बर्तनों की खट-पट और घर में हो रहे काम की हलचल को मेरी शांति-सुकून भला ज़्यादा देर तक रास कहाँ आने वाले थे।

और इस सब के बीच पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का खटारा रेडियो भी तो है, जो रामनगर वालों के लिए रोज़ मुर्गे की बांग का काम करता है....।

इस शोर-गुल ने मेरी नींद उड़ा ही दी....। उठते ही पास में पड़ा टी.वी. रिमोट उठाया। जी चाह रहा था कि आज बिस्तर से उठूँ ही नहीं और बिस्तर पर पड़े सारा दिन बस टी.वी ही देखता रहूँ। रोज़ तो पूरा दिन बस कंप्यूटर से आँखे चिपकाए बैठे रहो और ठक-ठक कीबोर्ड पर उंगलियाँ चलाते रहो....। दफ्तर से घर वापस आते –आते 11.30 बज ही जाता है ,तो ऐसे में टी.वी. देखने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती...।

और यह महाश्य टी.वी रिमोट जी तो बड़ी फुर्सत से ही हाथ में आते हैं.....रोज़ तो बस दफ्तर की चहारदीवारी में कैदियों की तरह दिन कट जाता है और हाथ में टी.वी रिमोट की जगह काली स्क्रीन वाले डब्बे का माउस ही आता है....।

वैसे अभी तो सिर्फ चैनल ही बदल बदल के देख रहा था,तभी श्रीमती जी कमरे में आयीं और बोलीं:-"अरे उठ गये आप,सुनिए यह टी.वी अभी छोड़िए,नहा लीजिये पहले ...। फिर नाश्ता लगा देती हूं।"

"अरे सुधा, आज ऐसे ही दे दो, थोड़ी देर में नहा लूंगा।" मैंने उबासी लेते हुये बोला।

सुधा गर्दन झटकाते हुए बोली " नहीं नहीं...पहले नहा लीजिए....और माँ तो कब से आपको उठाने को कह रही हैं.....वो दरअसल....." ।

तभी कमरे के बाहर खाट पर बैठी मां की आवाज आयी "सुधा जब तक यह नहा के पूजा न कर ले, इसे नाश्ता देने की जरूरत नहीं है..... और राकेश कब तक बिस्तर तोड़ता रहेगा तू? सूरज सिर पर चढ़ आया है। कब से आवाज दे रही हूँ। छुट्टी का मतलब यह तो नहीं कि बिस्तर पर ही पड़े रहो। अब जल्दी उठ जा। रोज़ तो

दफ्तर जाने की जल्दी में पूजा भी भागते हुआ करता है तू....आज तो भगवान को ठीक से याद कर ले.....और सुन तेरे ताउजी पूरे परिवार के साथ दोपहर खाने पर आने वाले हैं, बाजार से कुछ सामान भी लाना है।"

माँ से इतना सुननने के बाद बिस्तर छोड़ उठना ही पड़ा.....। बस फिर मैं झटपट तैयार हो गया। ठीक एक बजे ताउजी, भैया-भाभी और भतीजी के साथ पहुंच गये। बहुत दिनों बाद घर में चहल –पहल नज़र आ रही थी। सब आज बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए थे। आखिर रविवार के अलावा एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी तो मिल गई थी....।

भाभी माँ के पाँव छूने लगीं... तभी माँ ने भाभी को टोका "बहू अरे यह क्या...तेरे सिर पर पल्लू नहीं है....बड़ों की लाज शर्म नहीं है क्या.....??....भई मेरी बहू में तो इतनी हिम्मत नहीं कि किसी बड़े के सामने बिना सिर ढके चली जाये..... मेरी सुधा तो भूल के भी ऐसा नहीं कर सकती...।

ताऊजी ने कहा "भाभी कैसी बात करती हो? सिर ढकने से क्या होता है,मन में इज्जत होनी चाहिए।...यह बहू नहीं बेटी है मेरी.....तो बेटी से कैसा पल्लू करवाना...न न भाभी...मैं तो नहीं मानता इन सबको....।"

माँ मुंह सिकोड़ते हुए बोली – "भला हो तुम्हारा, खूब चढ़ाओ बहू को सिर पर...।

मेरी भतीजी वहीं भाभी से चिपके हुए खड़ी सहमी-सी नज़रों से माँ की ओर देख रही थी....। सफेद रंग की फ्रॉक में किसी परी से कम नहीं लग रही थी मेरी प्यारी गुड़िया रानी...।

तभी माँ भतीजी की ओर देखते हुए ऊँची आवाज़ में भाभी से बोली..." हे राम राम राम.... बहू.......! यह क्या पहना रखा है अपनी

लड़की को तूने? छोटी नहीं रह गई है यह.....अपनी लड़की को सूट पहना कर रखा कर.. पूरा बदन ढका रहता है..ज़माना बहुत खराब है.... अभी से संभाल के रख अपनी लड़की को तू।"

इससे पहले भाभी कुछ बोलतीं, ताउजी ने भाभी को चुप रहने का इशारा कर दिया।

मां बहुत ही पुरानी विचारधारा की हैं । मां के स्वभाव से घर में सभी परिचित थे । इसलिए कोई उनकी बात को दिल से नहीं लगाता था ।

पर ताऊजी खुले विचारों वाले हैं । ताऊजी ने खुद को बदलते वक्त के साँचे में ढाल लिया था और नई पीढ़ी की सोच को समझते हुए एक संतुलित जीवनशैली को अपनाने की पूरी कोशिश की । वो भलीभांति जानते थे कि बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है ।

8 साल पहले श्याम भैया की लव मैरिज हुई थी, गीता भाभी पंजाबी हैं और हम लोग ब्राह्मण । भैया की शादी ताऊजी की मर्जी से ही हुई थी । अपनी पोती मान्या को भी वो बहुत लाड़ करते हैं ।

पर माँ अभी भी पुरानी परंपराओं को मानती हैं। उनका मानना है बुजुर्गों ने जितने भी रीति-रिवाज़,नियम-कानून बनाए हैं वो सभी के सभी सही बनाए हैं.....जिन कुछ रीति-रिवाज़ों को हम बेबुनियाद कहकर उनसे मुक्ति पा लेना चाहते हैं,उनकी नज़रों में वो उनके और पुरानी पीढ़ियों के सुखी जीवन का आधार हैं। उनको कई बार समझाने पर भी हम लोग उनकी इस मानसिकता को आज तक ज़रा भी परिवर्तित नहीं कर पाए..।

फिर बस थोड़ी ही देर में खाने की तैयारी शुरू होने लगी और सुधा रसोई में चली गई । गीता भाभी भी उसका हाथ बटांने में लग गईं । सबको खाना परोसा गया।

सबको खाना खिलाने के बाद सुधा और भाभी साथ वाले कमरे में खाना खाने चलीं गईं । मां खाना खाके पूजा की माला जपने लगी । मैं, भईया और ताउजी हम अपनी ताश के खेल की मस्ती में व्यस्त हो गये, बहुत दिनों बाद मौका जो मिला था।

मेरा बेटा कृष्णा और भतीजी मान्या दोनों मां की खाट के पास ही खिलौनों से खेल रहे थे। थोड़ी देर में दोनों के बीच मार-पीट शुरु हो गई । माँ भौंए चढ़ाते हुये मान्या को डांटते हुए बोलीं, "ऐ लड़की ! हद में रह। मेरे पोते पर हाथ कैसे उठाया तूने?..."

माँ को जहां अपने पोते कृष्णा से बहुत प्यार था ,वहीं उन्होंने मान्या से कभी प्यार से बात तक नहीं की। मेरे बेटे और भतीजी की उम्र में 3 साल का अंतर है। दोनों बहुत ही शरारती हैं......और बच्चों में झगड़ा होता ही रहता है। पर जिस बात का डर था वही हुआ.... ।

माँ गुस्से में चिल्लाते हुये बोली "ओ श्याम की बहू? यही सिखाया है तूने अपनी लड़की को?.....लड़की है...दूसरे घर जाना है इसको..न बोलने की अक्ल, न कपड़े पहनने का ढ़ंग। हमारी उम्र में लड़कीयों के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी.....इसे तो हाथ भी चलाना आता है............।

भाभी और सुधा खाना बीच में ही छोड़ते हुये भागती हुई बाहर आईं । इससे पहले माँ गीता भाभी को और कुछ कहती, मैंने माँ को टोका "ऐसा नहीं होता माँ.. कृष्णा भी तो लड़ रहा था... आपने उसे कुछ नहीं बोला....और मान्या भी तो छोटी बच्ची है...बच्चों में तो खेल-खेल में ऐसा छोटा-मोटा झगड़ा होता ही रहता है । और आज के जमाने में लड़का-लड़की सब बराबर होते हैं.....ज़माना बदल गया है । और माँ ! बच्ची है वो ,उसके कपड़ों के पीछे क्यों पड़ गई हो ,आप भी कमाल करती हो।"

तभी श्याम भैया भी बोल पड़े...."चाची जी राकेश ठीक तो कह रहा है । ज़माना बदल रहा है । आज लड़कियाँ लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही हैं । लड़के-लड़की.....बेटी-बहू में भेदभाव करना.....यह सही नहीं है.....।

हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष पूरे हो गए है....लेकिन हम अभी भी उन्हीं पुराने विचारों को पकड़े बैठे हैं ।..हम सब आज अपने देश की आज़ादी की छुट्टी मना रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हैं ...?.......

पुरानी गलत परम्पराएँ.... जाति भेदभाव..... दकयानूसी विचार.... हम इन सभी के गुलाम बने हुए हैं । देश में इतना विकास होने के बावजूद आज भी कहीं न कहीं हम आज़ाद नहीं हैं । हम आज भी छोटी सोच का शिकार हैं । आज़ाद होते हुए भी बहुत सी गलत बातों, रीति-रिवाज़ों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं..... चाची जी असल में हम तभी आज़ाद होगें जब हम अपनी सोच बदलेंगे । वर्ना 15 अगस्त का दिन बस रविवार की छुट्टी की तरह हुआ न.....आज़ादी के जश्न का नहीं.... । चाची जी....... हम सबको सोच बदलनी होगी समय के हिसाब से खुद को बदलना होगा । हमें आज के हिसाब से बीते कल की कुछ बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, नई पीढ़ी की सोच के साथ तालमेल बिठाना होगा, रूढ़ीवादी परंपराओ की जंजीरों को तोड़ना होगा और आज का नयापन अपनाना होगा,तभी तो हम सच में इस आजादी का मीठा फल चख पायेंगे । असली आज़ादी का जश्न मना पायेंगे । वरना आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं कहलाएँगे...।..."

तभी माँ भौहें चढ़ाते हुए बहुत गुस्से में बोली...."...श्याम बस कर अब, बहुत हो गया तेरा यह भाषण..... !...और जो करना है करो तुम लोग.....मेरी सुनता कौन है भला...."

माँ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था....।

माँ खाट से उठी और पूजा की माला लिए बाहर बरामदे में चली गई....।और कमरे में एक चुप्पी सी छा गई....।

मॉरीशस में हिन्दी

नेहा रंजन, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

गतांक से आगे ...

इस स्तंभ के पिछले अंक में मैंने आपसे गिरमिटियों के साथ हिन्दी के सुदूर मॉरिशस में पहुँचने से लेकर उसके जन संवाद की भाषा में परिवर्तित होने तक की चर्चा की थी , अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 1930 के दशक के बाद के मॉरीशस में हिंदी भाषा के विकास और जनमानस के बीच उसकी पैठ की ।

विषय की क्रमबद्धता तथा पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी चर्चा को तीन प्रमुख भागों यथा अधिकारों का संघर्ष और हिन्दी, मॉरिशस का हिन्दी साहित्य और मॉरिशस में हिन्दी प्रचार प्रसार के लिए भारत की भूमिका, में वर्गीकृत कर रही हूँ । तो अब बिना किसी देरी के अपना रुख करते हैं मॉरिशस में अधिकारों के संघर्ष में हिन्दी की भूमिका की विवेचना की ओर ।

अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के दौर में भारत से लाखों लोगों को श्रमिक के रूप में ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया गया । जहाँ वे श्रमिक या तो जीविकोपार्जन की दृष्टि से या तो लाचारी के कारण वहीं बस गए । मगर इन मजदूरों द्वारा अपने हितों और हकों के लिए अभी एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी थी । हकों की लड़ाई के लिए एक व्यापक आधार की जरूरत होती है । एक आधार जो ये साबित कर सके कि समाज का एक तबका है जोकि अपने मूलभूत अधिकारों से महरूम है । पहले इन वंचितों को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात इनके ऊपर हुए अन्याय को चिन्हित किया जाता है । वाशिंगटन पोस्ट के संपादक ने कितना सटीक लिखा है "Journalism is the first rough draft of History", पत्रकारिता इतिहास का पहला कच्चा चिट्ठा होता है । कौन जानता था कि मॉरीशस के अप्रवासी भारतीयों ने हिन्दी भाषा में जिन पत्र-पत्रिकाओं को अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के संकल्प के साथ निकालना शुरू किया था , वो आगे चल कर समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने में सफल होंगी और अपने विचारों को आम जनता तक फैलाने एवं क्रान्ति की पृष्ठभूमि में सहयोगी की भूमिका निभाने में भी उनकी महत्त्वपूर्ण आधार-शक्ति बनेंगी ।

भारत की तरह मॉरीशस में भी हिन्दी पत्रकारिता का अभ्युदय और विकास राजनीतिक दासता से मुक्ति के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण और आधुनिकता की चेतना को नई दिशा देने के लिए हुआ था । यद्यपि भाषा का प्रश्न स्वाधीनता के प्रश्न जैसा ही अपरिहार्य और महत्वपूर्ण था । हिंदी को अंग्रेजी और फ्रेंच से भारी विरोध का सामना करना पड़ता था लेकिन देशभक्ति एवं स्वतंत्रता से ओतप्रोत उन प्रवासियों की दृढ़ता एवं उनके पूर्वजों की थाती व भाषा-संस्कृति की अस्मिता ने उन्हें आजादी की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण अस्त्र प्रदान किया जिसके बल पर उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में पत्र-पत्रिकाओं को हिंदी भाषा में निकालकर जनचेतना का एक बड़ा आन्दोलन खड़ा किया जो आगे चल कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक बना । मॉरीशस के पत्रकारों ने अपने पुष्ट मनोबल से अंग्रेज़ों के कृत्य और नृशंसता का कड़ा प्रतिरोध किया था । पत्रकारों ने अपने निजी स्वार्थ को ताक पर रख कर अपनी अप्रतिम शक्ति और जीवन-चर्या को देश के मुक्ति संग्राम में नियोजित कर दिया था ।

मॉरीशस के इतिहास में वर्ष 1935 अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं के कारण स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी वर्ष नवम्बर में मॉरीशस में अप्रवासी भारतीयों के आगमन का शताब्दी समारोह धूमधाम से मनाया गया । इसी अवसर पर पं. लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित मॉरीशस के इतिहास को भोजपुरी हिन्दी में पद्धबद्ध कर 'शताब्दी सरोज' शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया । इसी वर्ष हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई और वहीं से भगत बन्धुओं के प्रयास से 'दुर्गा' नामक हस्तलिखित पत्रिका का जन्म हुआ । डॉ. शिवसागर रामगुलाम, इंग्लैण्ड से डाक्टरी की डिग्री लेकर 1935 में स्वदेश लौटे और उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के हित में संघर्षरत रहकर देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । संघर्ष काल (1935-1968) की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी भाषा एक बड़े आन्दोलन की भाषा रही । मॉरीशस की हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में इस दौर की सभी पत्र-पत्रिकाएँ देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्षरत थीं । गुणवत्ता एवं प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से तथा पूरे देश में इस काल की पत्रिकाओं ने अप्रवासी भारतीयों में राजनीतिक चेतना के विकास में मील के पत्थर का रूप ग्रहण किया ।

इसी बीच प्रकाशित प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल के प्रकाशकत्व और श्री मुनेश्वर कुराराम के संपादकत्व में जून, 1948 में प्रकाशित 'जमाना' और मई 1948 में कर्मठ समाजसेवी और अप्रवासी भारतीयों के नेता डा. सर शिवसागर रामगुलाम के संरक्षण और जयनारायण राय के संपादकत्व में प्रकाशित 'जनता' ने हिन्दी पत्रकारिता को प्रखर, ओजस्वी एवं स्वतंत्रता आंदोलन का एक आदर्श स्वरूप स्थापित कर उसे पल्लवित-पुष्पित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई । जनता पत्र का मूल उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता का नवीन उद्वेग उत्पन्न करना था । जयनारायण राय की सम्पादकीय भाषा ने उस युग के करीब-करीब सभी सामाजिक संदर्भों को व्यक्त करने की चेष्टा की थी । उनका सम्पादकीय इतना बोधगम्य एवं सारगर्भित होता था कि यह पत्र शीघ्र ही बहुत चर्चित हो गया । ज्वलन्त विषय, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इनसे जुड़ी समस्याओं पर आधारित उनके सम्पादकीय गहरी सूझ-बूझ एवं प्रेरणादायी सिद्ध होते थे । यहाँ जनता में राष्ट्रीय आंदोलन एवं जागरण से ओतप्रोत

जगदीश सिंह अजमेर की लिखी कविता 'हम भारत माँ के खरेलाल' पठनीय है –

"मत समझो हमको भोले हैं। हम वही आग के गोले हैं।
जो एक बार भी भभक उठे। तो गोले बरसा दे लाल लाल।
हम भारत माँ के खरे लाल। हम मुर्दा देश जिला देंगे;
अत्याचार समूल हिला देंगे। दुश्मन को खेल दिखा देंगे।
हम नहीं बजाते हैं वृथा गाल। हम भारत माँ के खरे लाल।"

अप्रवासी भारतीयों को संगठित एवं जागृत करने, हिन्दी को जन आन्दोलन की भाषा बनाने, 1948 में भारतीय भाषा में हस्ताक्षर अभियान चलाकर भारतीय मतदाताओं की संख्या वृद्धि करने, सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखने, धार्मिक आन्दोलन द्वारा हिन्दुओं की जातीय अस्मिता एवं संस्कृति की रक्षा करने, धर्म के नाम पर सरकार द्वारा सहायकी दिलाने में 'जमाना' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल ने हिन्दुओं में आस्था-विश्वास एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे महान कार्य का श्री गणेश किया। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर मॉरीशस के भूतपूर्व गवर्नर सर हिलेरी ब्लड लिखते हैं –

"मॉरीशस में पूर्व की विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा में संघर्ष है। यह संघर्ष हो ही न पाता यदि प्रवासियों के बीच जागरण न होता, जागरण न होता तो 1948 का नया विधान न मिलता।"

कालांतर में सन 1950 के दौरान स्वतंत्रानन्द जी आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए पुन: मॉरीशस पधारे। उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य परोपकारिणी सभा का विलय करवा कर एक नवीन 'आर्य सभा' की स्थापना करके दोनों की सम्पत्ति, कोष, प्रेस, उपदेशक आदि को भी एक साथ कर दिया। आर्य पत्रिका और आर्यवीर दोनों पत्रों को मिलाकर इसको एक नया नाम 'आर्योदय' दिया। जिस आर्योदय का प्रथम अंक 4 नवम्बर, 1950 को पं. आत्माराम विश्वनाथ के संपादन में प्रकाशित हुआ था वह आज भी आर्य सभा द्वारा निर्बाध रूप से प्रकाशित हो रही है।

मजदूरों को जागृत करने के उद्देश्य से हरिप्रसाद रामनारायण, जगदम्बी और रामसुंदर बाबूलाल की त्रिमूर्ति ने 1956 में 'मजदूर' नाम से एक पत्र निकाला। श्री द्विजेन्द्र नाथ नेपाल के संरक्षण में एवं पं. सुंदर शर्मा के संपादन में राजनीतिक एवं समाजवादी पत्र 'समाजवाद' (1960-61), पं. सुन्दर शर्मा तथा उसके पश्चात् दीपचंद बिहारी के संपादन में राजनीतिक गतिविधियों को प्रमुखता देने के उद्देश्य से 'कांग्रेस' (1964-67), प्रो.रामप्रकाश के संरक्षण में प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों द्वारा साहित्यिक पत्रिका 'प्रकाश' (1964), सन् 1965 में मुनीश्वरलाल चिंतामणि, पं. धर्मवीर घूरा, पं. वालमुकुन्द द्विवेदी तथा रविशंकर कौलेसर आदि के सहयोग से पाक्षिक बाल पत्रिका 'बालसखा' का प्रकाशन शुरु हुआ जो अभी भी प्रकाशित हो रही है।

इस तरह स्वतंत्रता पूर्व हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण एवं सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक जीवन में व्याप्त तमाम जड़ता को पूरी तरह काटने का अद्‌भुत प्रयास किया और जन भावना को पूरी तरह उद्वेलित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम के योग्य बनाया। गाँधीवादी नीतियों, कार्यक्रमों, खादी एवं स्वदेशी के प्रचार-प्रसार में भी यहाँ की पत्रकारिता की अहम भूमिका रही। मॉरीशस की हिंदी पत्रकारिता ने जहाँ हिंदी भाषा के स्वरुप को स्थिर करने का प्रयास किया वहीं इसने हिंदी के लेखकों, कवियों एवं प्रचारकों के कार्य एवं जीवनवृत प्रकाशित करके जनसाधारण में से अनेक अनुयायी साहित्यकारों का निर्माण किया। साधारण जनता में अपने पूर्वजों की भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न किया और इसे संगठन की शक्ति के रूप में एक बड़े जनांदोलन की भाषा के रूप में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः स्वतंत्रता पूर्व मॉरीशस की पत्र-पत्रिकाओं का उज्ज्वल एवं गौरव पक्ष यह भी रहा है कि उन्होंने राजनीतिक संघर्ष के साथ कदम-से-कदम मिलाकर जनता को उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 12 मार्च, 1968 को मॉरीशस स्वतंत्रत हो सका।

मॉरीशस की भूमि पर जो पहली कविता प्राप्त है, वह 'होली' है, जो 'हिन्दुस्तानी' नामक अखबार में 1913 को छपी थी। इसके लगभग दस वर्षों के बाद मॉरीशस की धरती पर 1923 में पं. लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी 'रसपुंज' का पहला कविता संग्रह 'रसपुंज कुंडलियाँ' प्रकाशित हुआ। इस प्रकाशन के बाद मॉरीशस में कविता संग्रह, प्रकाशन की एक परंपरा चल निकली और दस वर्षों के अंतराल पर उनका दूसरा और तीसरा काव्य संग्रह –'कृष्ण की वेदी' और 'वंशी की तान' भी प्रकाशित हुआ। मौलिक मॉरीशसीय पृष्ठभूमि की कविताएँ 1940 के बाद लिखी गईं और उनका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस दिशा में हिन्दी प्रचारिणी सभा का भारी योगदान था। 1935, 1936 और 1937 में सभा ने हस्तलिखित पत्रिका 'दुर्गा' निकाली। उनके द्वारा यह पत्रिका हाथ से लिखी जाती और हाथों-हाथ वितरित की जाती थी। इसी पत्रिका के निर्माण के दौरान इसका आवरण पृष्ठ बनाने वाले मधुकर भगत कवि के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1947 में पहला काव्य-संग्रह 'मधुपर्क' के नाम से प्रकाशित किया। 1953 आते-आते मॉरीशसीय कविता में स्वतन्त्रता का बिगुल साफ सुनाई देने लगा था। 1953 से 1973 के बीच 50 से भी अधिक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो गये थे। 1963 से 1993 तक लगभग इतने ही काव्य-संग्रह और छपे। 1993 काव्य संग्रहों के प्रकाशन की यह संख्या निरंतर बढ़ रही है।

कहानी और उपन्यास की विधा पर काम अधिक हुआ है पर कविता-प्रकाशन के काफी बाद में। सन 1968 में ईश्वरचन्द्र गंगाराम का 'एक सपना' कहानी संग्रह छपा तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण लाल बिहारी की कलम से मॉरीशस का पहला हिन्दी उपन्यास 'पहला कदम' 1960 में छपा। उसी वर्ष ईश्वरदत्त ने 'नई कहानियाँ' नामक कहानी-संग्रह निकाला। मॉरीशस में 1967 से लेकर 2014 तक 60 कहानी-संग्रह यहाँ प्रकाशित हो चुके हैं। 'पहला कदम' के ठीक दस वर्ष बाद मॉरीशस के कथाकार तथा उपन्यास सम्राट अभिमन्यु अनत का पहला उपन्यास 'और नदी बहती रही' छपा। 1970 से अब तक वे रचना करते आ रहे हैं। उनके 50 से भी अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इसी बीच रामदेव धुरन्धर ने 6 खण्डों, 3 हजार पृष्ठों और 5 सौ पात्रों वाला 'पथरीला सोना' लिखकर संसार के सबसे लम्बे (बड़े)

उपन्यास लिखने का कीर्तिमान स्थापित किया । रामदेव के अब तक दस उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं।

अब तक 12 से 14 निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हो गये हैं। इनमें मुनीश्वरलाल चिन्तामणि तथा प्रह्लाद रामशरण की तीन-तीन रचनाएँ हैं । पंडित बासुदेव विष्णुदयाल की छोटी-मोटी तीन सौ से अधिक रचनाएँ हैं । वे ही मॉरीशस के सबसे अधिक निबन्ध के रचयिता हैं ।

हिंदी भाषा के प्रचार –प्रसार में मॉरीशस के मोका गांव में स्थित विश्व हिन्दी सचिवालय की भी अहम भूमिका है । यह सचिवालय 19 फरवरी 2008 से कार्यरत है । विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना का निर्णय हिन्दी का एक अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में संवर्द्धन करने और विश्व हिन्दी सम्मेलनों के आयोजन को संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया था । इसकी संकल्पना वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान की गई जब मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने मॉरीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था । इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भारत और मॉरीशस की सरकारों के बीच 20 अगस्त 1999 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया। 12 नवम्बर 2002 को मॉरीशस के मंत्रिमंडल द्वारा विश्व हिन्दी सचिवालय अधिनियम पारित किया गया और 21 नवम्बर 2001 को भारत सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच एक द्विपक्षीय करार किया गया । विश्व हिन्दी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया ।

हिंदी भाषा के संवर्धन में मॉरीशस की अनेक संस्थाओं की अहम भूमिका रही है। ये संस्थाएँ हिंदी को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है । कुछ संस्थाओं के नाम इस प्रकार है । हिंदी संगठन, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी प्रचारिणी सभा, महात्मा गाँधी संस्थान, आर्य सभा मॉरीशस, इंदिरा गाँधी सांस्कृतिक केंद्र, हिंदी लेखक संध आदि । इन संस्थाओं ने हिंदी भाषा को शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप से प्रचारित किया है । हिंदी संगोष्ठियों तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन भी इनके द्वारा होते आए हैं । सुमन, विश्व हिंदी समाचार, विश्व हिंदी पत्रिका, आर्योदय, दर्पण, वसंत, पंकज आदि पत्रिकाओं में हिंदी से संबन्धित रचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं ।

मॉरीशस में पिछले डेढ़ सौ वर्षों के अपने इतिहास में जिस प्रकार से हिंदी भाषा ने प्रगति की है उससे यह निश्चित ही है कि इसका प्रचार-प्रसार भविष्य में भी होता रहेगा । मॉरिशस में रोज़गार के लिए भी हिंदी के क्षेत्र में अनेक उपक्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, मीडिया, प्रशासन आदि । स्कूलों और कॉलेजों के साथ ही विश्वविधालय में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है । अभी तक मॉरीशस की धरती पर आयोजित हुए तीन विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के प्रति मॉरीशस वासियों के उत्साह और रुझान को दर्शाते हैं ।

कविता

कुछ सच अधूरा है ॥

हंसती हुई ज़िन्दगी में एक ज़ख़्म गहरा है,
कहीं है काली रात तो कहीं सवेरा है।

जो चला गया उसे जाने भी दे,
वो दिल अज़ीज़ ना तेरा था, ना ही मेरा है।

तेरे मुकद्दर में उसका प्यार ना सही,
पर तेरे इश्क़ का रंग उसपे गहरा है।

हाथो की मेहंदी से पहचान ले अपनी तकदीर,
उसका खुमार कब तक ठहरा है।

बुझी हुई आंखों को ज़रा आराम भी दे,
सो भी जा,उन पर भी नींद का पहरा है।

सब कुछ जायज़ हो, ज़रूरी तो नही,
झूठ है कुछ, तो कुछ सच अधूरा है।।

रचना बंजारी
लिपिक
भिलाई –दुर्ग शाखा
रायपुर क्षेत्र

विश्व स्तर पर हिंदी

मुकुल व्यास, सहायक प्रबंधक,क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचार दूसरों तक पहुँचाना तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करना उसकी मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति जिस साधन से होती है उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। किसी भी भाषा में लाखों शब्दों का संव्यवहार होता है । भाषा का संपर्क क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण इसकी शब्द संख्या तेज़ी से बढ़ती रहती है। भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। विविधता में एकता के सूत्र से बंधा यह देश अनेक राज्यों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को स्वयं में समाहित किए हुए निरंतर अपनी विकास यात्रा पर गतिशील है। कई हज़ार वर्षों की विकास यात्रा में भारत अनेक उतार-चढ़ाव के दौरों से गुज़रा है। इसमें एक दौर भारतीय संस्कृति और भाषाओं की वैश्विक स्वीकार्यता एवं सार्वभौमिकता का रहा है। भारत प्राचीनकाल से ही अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के लिए विश्व में जाना जाता रहा है। 21वीं सदी के इस युग में वैश्वीकरण के चलते जहाँ विश्व की तमाम संस्कृतियाँ और भाषाएँ शाब्दिक आदान-प्रदान तथा शब्दकोश संवर्धन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं वहीं हिंदी भाषा इस दिशा में वैश्विक भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए एक सेतु का कार्य कर रही है। हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ही भाषा नहीं है, बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में अपना प्रभाव बनाए हुए है। देवभाषा संस्कृत के बाद हिंदी ही भारतीय संस्कृति की भाषा है। यह हिंदी की वह विशेषता है जिससे यह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिनिधित्व भी करती है। 'वसुधैव कुटुंबकम' की असल अवधारणा आज हिंदी में ही सुरक्षित है । इस भाषा का सभी भारतीय भाषाओं से पवित्र रिश्ता है।

आज के युग की वैश्विक ग्राम की संज्ञा भी दी जाती है, जहाँ सभी मनुष्य विभिन्न सोशल साइट्स और संचार-माध्यमों की मदद से संपूर्ण विश्व से जुड़ गया है और संवाद भी स्थापित कर पा रहा है । इस संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा । संवाद माध्यम के रूप में आज हर व्यक्ति भाषा की ताक़त को समझ रहा है। साहित्य ही एक मात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति और समाज के मानस पटल पर गहरा प्रभाव प्रदर्शित करता है। हिंदी साहित्य भी लगभग बारह सौ वर्षों की परंपरा को लिए इस कसौटी पर खरा उतरा है। हिंदी साहित्य ने अपनी विकास यात्रा विषय-निरूपण, भाषा-कौशल, परिवेश-चित्रण आदि सभी बिंदुओं के साथ सुदीर्घ रूप से तय की है। आज हिंदी साहित्य पूरे विश्व में पढ़ा और लिखा जा रहा है। साथ यह भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए विश्व के विभिन्न प्रदेशों के समाज और संस्कृतियों को भी अपने में समेट रहा है। जिस कारण अन्य भाषाएँ भी हिंदी के वैश्विक रूप को देखते हुए हिंदी साहित्य को चरितार्थ कर रही हैं। भारत और विदेशों में हिंदी साहित्य की लोकप्रियता और हिंदी साहित्य के पाठक वर्ग को बरक़रार रखने का कार्य केवल भाषा द्वारा सम्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे हिंदी भाषा की सेवा करने वाले अनेक साहित्यकार, पत्रकार, संपादक और प्रचार-प्रसार वर्ग है, साथ ही हिंदी साहित्य को मिले प्रोत्साहन और उसके नियमित पठन-पाठन के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों और कार्यक्रमों का योगदान भी रहा है।

मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था, "हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासिन हो सकती है"।

जब भी हम कहते हैं, 'हिन्दी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा' तो रोम-रोम में गर्व का भाव संचारित होने लगता है। हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो हम सभी भारतवासियों को एकसूत्र में बांधे रखती है। देश के 99% लोग हिन्दी में लेखन ,पठन, वार्तालाप और हिन्दी की समझ रखते हैं। कई राज्यों में सरकारी एवं अन्य औपचारिक कार्य हिन्दी में होते हैं। भारतीय हिन्दी सिनेमा-जगत और हिन्दी-साहित्य ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। हिन्दी गीत-संगीत तो सारे विश्व में लोकप्रिय है। हिन्दी फिल्में विदेशों में बड़े चाव के साथ देखी जाती हैं। हम सभी हिंदुस्तानियों की मातृभाषा चाहे कोई भी हो लेकिन बोलचाल और अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी से अच्छी कोई भाषा ही नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो एक बच्चे से लेकर सब्जीवाला, दूधवाला या कोई भी दुकानदार, वाहन-चालक, इन सबसे हमें जोड़े रखती है। संभाषण के लिए हिन्दी ही एकमात्र भाषा है, हालांकि अँग्रेजी-प्रिय लोगों के लिए यह दूसरी भाषा है किन्तु यह केवल कहने के लिए, क्योंकि अंततः घर पर तो लगभग हम सभी भारतीय हिन्दी में ही बात करते हैं। कई देशों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिन्दी को विशेष दर्ज़ा देकर उसका अध्ययन हो रहा है और काफी संख्या में विदेशों में छात्र हिन्दी भाषा के अध्ययन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं । आज 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्व-विद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। मॉरीशस और फिजी में हिन्दी एक विषय के रूप में वर्ष 1950 से पढ़ाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त विदेशों से कई वर्षों से हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन हो रहा है, यह हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में ऐसे कई विषय हैं जैसे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग इनके लिए हिन्दी भाषा में पढ़ना और पढ़ाना, तकनीकी रूप से कठिन हो सकता है।

भाषा, संस्कृति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण उपादान होती है इसीलिए जहाँ-जहाँ संस्कृति पल्लवित होती है, वहाँ-वहाँ स्वतः ही भाषा का भी विकास होता चला जाता है। आज के वैश्विक युग में जब भारतीय समाज एवं संस्कृति के अपनी वैश्विक पहचान निर्मित होती है तो स्वतः ही भारतीय भाषाओं का भी वैश्विकरण होता है। भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भाषाओं की वैश्विक पँहुच और परिधि का विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है। हिंदी ही वह भाषा है जिसमें भारतीयों के जीवन के हर पहलू को विविधता के साथ देखा जा सकता है। इस प्रकार वह देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर असरदार हो रही है। दुनिया में भारतीय मूल के अप्रवासी नागरिक बहुत बड़ी संख्या में अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग करते आ रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी को ग्रहण करते हैं।

इक्कीसवीं सदी विज्ञान एवं तकनीक के वर्चस्व की सदी है। विज्ञान की प्रगति ने ऐसे अनेक कारक उत्पन्न किए हैं, जिनसे मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना आम बाते बन गया है। आज का मनुष्य बेहतर अवसरों की चाह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रवास प्रक्रिया में तेज़ी आयी है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से शिक्षा, रोज़गार एवं अन्य कारणों से विश्व के विकसित देशों ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका इत्यादि में बहुत तेज़ी से प्रवास हुआ है। जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों में भारतीय तकनीकी पेशेवरों, डॉक्टरों इत्यादि के रूप में भारतीयों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या विदेशों में जाकर बस गई है। विश्व के इन देशों में भारत के बहुभाषी लोग निवास कर रहे हैं और उन सभी की सामूहिक पहचान हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति ही है, जो उनके समाज और साहित्य में भी परिलक्षित होती है। इन देशों में रचा जा रहा हिंदी साहित्य इन्हीं भाव और विचारों का जोड़ है, जिसमें विश्व में हिंदी भाषा की अनुगूँज सुनाई देती है। चीन की मंदारिन भाषा के बाद हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 2 करोड़ प्रवासी भारतीय विश्व के अलग-अलग देशों में रह रहे हैं। भारतेतर देशों में रह रहे इन प्रवासियों के द्वारा अंग्रेज़ी उनके कामकाज की भाषा, हिंदी इनकी राष्ट्रीयता की भाषा एवं उनकी स्थानीय भाषा या बोली उनके घर परिवार की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस तरह से देखा जाए तो वैश्विक मंच पर भारतीय भाषा अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित कर रही है।

आज वैश्विक स्तर पर भारतीय वंश के ऐसे कई साहित्यकार हैं जो भारतीय भाषाओं में साहित्य सृजन कर उसे वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए पाठकों का एक नया वर्ग तैयार कर रहें है। साथ ही वे हिंदी साहित्य का अन्य विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी, चीनी आदि में अनुवाद कर हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने में प्रयत्नशील हैं। इस क्रम में हिंदी साहित्य को भारत के बाहर विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाएँ और रचनाकार लेखन कार्य कर साहित्य का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में कुछ विशेष लेखक है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु लगा दिया है।

वैश्विक स्तर पर उषा प्रियंवदा जी ऐसी रचनाकार हैं जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए हिंदी साहित्य को वहाँ की जनता के सम्मुख रखा। कानपुर में जन्मी उषा प्रियंवदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में एम.ए. तथा पी.एच.डी. की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फुलब्राइट स्कालरशिप लेकर अमेरिका चली गईं। अमेरिका के ब्लूमिंगटन, इंडियाना में दो वर्ष पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया और 1964 में विस्कांसिन विश्वविद्यालय, मैडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर अपना कार्य प्रारंभ किया।

भारत के साथ मॉरीशस में हिंदी साहित्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर वहाँ के निवासी हिंदी भाषा की सेवा में लगे हुए हैं। जिनमें विशेष रूप से हिंदी कथा-साहित्य के सम्राट अभिमन्यु अनत का ज़िक्र करना महत्वपूर्ण है।

हिंदी के अध्यापन एवं नाट्य प्रशिक्षण से जुड़े रहे अभिमन्यु अनंत ने अपने विभिन्न हिंदी उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से मॉरीशस को समकालीन हिंदी साहित्य द्वारा परिचित करवाया है। 'लाल पसीना' 1977 में प्रकाशित हुआ जो भारत से मॉरीशस आए गिरमिटिया मज़दूरों की मार्मिक कहानी कहता है। इस चर्चित उपन्यास का फ्रेंच में अनुवाद हुआ। भारत से बाहर हिंदी में उपन्यास-त्रयी लिखने वाले वे अबतक के एकमात्र उपन्यासकार है।

भारतीय मूल की अमेरिकी उपन्यासकार, अभिनेत्री एवं शिक्षाविद सुषमा बेदी कई उल्लेखनीय उपन्यासों और कहानी संग्रह की लेखिका है। इनके दो उपन्यासों 'हवन' और 'वापसी' का हिंदी से उर्दू में अनुवाद किया गया है। उनके द्वारा चलाया जा रहा 'हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम' (हिंदी लैंग्वेज पेडालॉजी) एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है जिसके द्वारा हिंदी भाषा की लोकप्रियता विदशों में भी बढ़ रही है। इनके उपन्यास 'हवन' का 'द फायर सैक्रीफ़ाइस' के नाम से डैविड रुबिन द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया जिसे

'हेनमैन इंटरनेशनल' ने 1993 में प्रकाशित किया।

इसी प्रकार 'काला सागर' (1990), 'ढिबरी टाइट' (1994), 'बेघर आँखें' (2007) जैसे चर्चित कहानी-संग्रहों के लेखक तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन के एक ऐसे कहानीकार हैं जिनके संकलन नेपाली, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं में अनूदित और चर्चित हुए हैं। नाटक, फ़िल्म एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहने वाले तेजेंद्र शर्मा हिंदी में अपनी सक्रियता के पीछे अपनी दिवंगत पत्नी इंदु शर्मा की प्रेरणा बतलाते हैं। इनकी कहानियों एवं कविताओं के अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, मराठी, गुजराती, ओड़िया एवं चेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इनकी कहानियों में मानवीय रिश्तों में मौजूद करुणा और संघर्ष के कई अंतर्द्वंद देखने को मिलते हैं।

ब्रिटेन की हिंदी साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका 'पुरवाई' की सह-संपादिका तथा हिंदी समिति यू. के. की उपाध्यक्षा रहीं उषा राजे की सक्रियता निश्चय ही सराहनीय है। ये तीन दशकों तक ब्रिटेन के 'बॉरो ऑफ़ मर्टन' की शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहीं। इन्होंने 'बॉरो ऑफ़ मर्टन' के पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद किया। इनके काव्य-संग्रह हैं - 'विश्वास की रजत सीपियाँ', 'इंद्रधनुष की तलाश में' आदि। इनके कहानी संग्रह हैं - 'प्रवास में', 'वॉकिंग पार्टनर', 'वह रात और अन्य कहानियाँ'। ब्रिटेन के प्रवासी भारतवंशी लेखकों का प्रथम कहानी-संग्रह 'मिट्टी की सुगंध' में इनकी कहानी को शामिल किया गया है।

पूर्णिमा वर्मन के संपादन में निकल रही हिंदी इंटरनेट पत्रिकाएँ 'अभिव्यक्ति' तथा 'अनुभूति' की सामग्रियों को ख़ूब सराहना और लोकप्रियता मिली। इनकी प्रमुख रचनाएँ 'फुलकारी' (पंजाबी में), 'मेरा पता' (डैनिश में), 'चायखाना' (रूसी में) आदि का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनके अतिरिक्त विश्व पटल पर हिंदी साहित्य को प्रस्थापित करने वाले कई साहित्यकारों का नाम उल्लेखनीय है। मॉरीशस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, चीन, जापान, फिजी, त्रिनिदाद आदि देशों में हिंदी साहित्य के विकास को लेकर व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर कई कार्य किए जा रहे हैं। सराहनीय है कि वैश्विक स्तर पर सक्रिय लेखकों की यह एक अत्यंत छोटी सूची है। इस छोटे से विवरण के बारे में चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम हिंदी के वैश्विक परिदृश्य से कुछ अवगत हो सकें और उन्हें जान-समझ और पढ़ सकें। हिंदी का परचम निरंतर लहराता हुआ दिन-प्रति-दिन नित्य नई ऊँचाइयों को हासिल कर रहा है, ऐसे में विश्व के विभिन्न कोनों में सक्रिय रचनाकारों के बारे में विस्तार और करीब से जानने और उन्हें समझने की आज आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न भाषाओं की प्रभावशीलता से संबंधित "Power Language Index" नाम से जारी एक शोध में हिंदी की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में यह देखा गया कि वैश्विक स्तर पर दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली 124 भाषाओं में हिंदी का 10वां स्थान है। इसमें यदि हिंदी की बोलियों और उर्दू को भी मिला दिया जाए तो यह स्थान आठवां हो जाएगा और इस तरह इस सूची में कुल 113 भाषाएँ रह जाएगीं। इस पावर लैंग्वेज इन्डेक्स का अध्ययन करने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इंडेक्स में हिंदी की कई लोकप्रिय बोलियों को हिंदी से अलग दर्शाया गया है। 113 भाषाओं की इस सूची में हिंदी की भोजपुरी, मगही, मारवाड़ी, दक्खिनी, ढूंढाड़ी, हरियाणवी बोलियों को अलग स्थान दिया गया है। भाषाओं की तालिका के अनुसार यदि हिंदी की सभी बालियों को शामिल कर लिया जाए तो हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान दिया जा सकता है।

मौजूदा समय में हिंदी का कंप्यूटरीकरण अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सबसे तेज गति से हो रहा है। हिंदी की बहुत सारी सामग्रियाँ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपलब्ध हैं। विदेशी भाषाओं की फिल्मों को हिंदी में डब करके हिंदी बोलने व समझने वाले दर्शकों के सामने रखा जा रहा है। नई प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा के स्वरूप में सकारात्मक बदलाव किया है। नई-नई तकनीक अपनाने की योग्यता होने की वजह से अंतर्राष्टीय स्तर पर हिंदी का तेजी से विकास हो रहा है।

हिंदी, इंटरनेट और कंप्यूटर के अनुकूल भाषा बन गई है। ताजे आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट और फेसबुक पर हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। सच कहा जाये तो आज उसी भाषा को लोग आत्मसात करते हैं, जो तकनीक के अनुकूल हो साथ ही साथ कारोबार व विज्ञान के विकास में सहायक हो। हिंदी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं कारोबार के विकास की वाहक बन रही है। आज विज्ञान और कारोबार से जुड़ी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। हिंदी में बिजनेस अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, जिनमें बिजनेस स्टैंडर्ड और इकनॉमिक टाइम्स सबसे महत्वपूर्ण है। विदेशों में भी हिंदी में अखबार निकाले जा रहे हैं। वहाँ कई हिंदी पोर्टलों का भी संचालन किया जा रहा है। लचीलेपन के कारण हिंदी नियमित तौर पर नये शब्दों को गढ़ रही है और आमजन उनका बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं।

उक्त तथ्यों व अध्ययन के आधार पर यह माना जा सकता है कि हिंदी निःसंदेह वैश्विक स्तर पर लगातार अपनी छाप छोड़ती जा रही है। हिंदी विश्वभर में बस रहे भारतवासियों की सांस्कृतिक भाषा है जिसका एक बड़ा इतिहास है और यही हिंदी भाषा की शक्ति है जो विश्व के धरातल पर अपना स्थान दिन -प्रतिदिन उच्च शिखर पर ले जा रही है।

विशेष आलेख

जी-20 सम्मेलन व भारत

रजनी बाला, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़

"भारत की जी-20 अध्यक्षता एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए हमारी थीम - 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है।" - पीएम नरेंद्र मोदी

भारत 01 दिसम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा । जी-20 समूह की आगामी बैठक की मेजबानी करना भारत की आजादी के 75 वें वर्ष में गौरव की बात होने के साथ देश के लिए एक महान अवसर भी है । जी–20 की थीम - वसुधैव कुटुम्बकम् या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित है । बाली में पीएम मोदी ने विश्व नेताओं को आश्वासन दिया कि जी-20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक कार्रवाई की उन्मुख नीतियों की दिशा में काम करेगा। महत्वपूर्ण विषयों और प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि जी-20 को 'शांति और सद्भाव' का एक मजबूत संदेश देना है, जिसके बिना आने वाली पीढ़ियां आर्थिक विकास या तकनीकी नवाचार का लाभ नहीं उठा पाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सन्दर्भ में अकसर हम सभी **ने जी-20 (जी-20) समूह** का नाम सुना होगा। **जी -20 समूह (जी-20 group)** या जिसे **ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (Group of Twenty)** भी कहा जाता है **दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह** है जोकि सम्बंधित देशों के वित्त-मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर से मिलकर बना है। यह समूह दुनिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विचार हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठक को ही जी-20 समिट के नाम से जाना जाता है।

जी-20 की स्थापना

जी -20 की स्थापना का विचार 90 के दशक में प्रारंभ हुआ जब 1990 में विभिन्न विकसित एवं विकासशील देश आर्थिक एवं वित्तीय रूप से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था सम्बंधित समस्याओं के समाधान के लिए 25 सितम्बर 1999 को औपचारिक रूप से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में **जी-20 समूह** की स्थापना एक मंच के रूप में की गई ।

जी-20 समूह द्वारा दिसम्बर 1999 में प्रथम बैठक जर्मनी की राजधानी **बर्लिन में** आयोजित की गयी थी। इसके पश्चात वर्ष 2008 के वित्तीय संकट एवं दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी के पश्चात् इस फोरम की मीटिंग को समिट स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने लगा। प्रतिवर्ष इस समूह द्वारा कुछ देशों को मेहमान देश के रूप में भी जी-20 समिट में आमंत्रित किया जाता है।

जी – 20 समूह के उद्देश्य

जी-20 समूह की स्थापना का मुख्य उदेश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास एवं वित्तीय एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन एवं स्थायित्व के लिए निर्मित जी-20 समूह द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही इस समूह के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श भी किया जाता है। जी-20 समूह में दुनिया के 20 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल किए गए हैं जो कि **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 % , वैश्विक व्यापार का 75% एवं दुनिया की कुल आबादी का दो/तिहाई भाग** कवर करते हैं । इस प्रकार से जी-20 समूह दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठनों में शामिल है।

जी -20 के सदस्य देश : जी-20 समूह में कुल 19 देश एवं यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। इस प्रकार से जी-20 के सदस्य देशों की कुल संख्या 20 है।

1. रूस	2. इटली
3. ब्राजील	4. जर्मनी
5. ऑस्ट्रेलिया	6. मैक्सिको
7. तुर्की	8. दक्षिण अफ्रीका
9. इंडोनेशिया	10. सऊदी अरब
11. जापान	12. कोरिया गणराज्य
13. फ्रांस	14. अर्जेंटीना
15. चीन	16. कनाडा
17. भारत	18. यूनाइटेड किंगडम
19. सयुंक्त राज्य अमेरिका	20. यूरोपीय संघ

जी-20 समूह का मुख्यालय : जी-20 समूह का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है ऐसे में प्रतिवर्ष जिस देश द्वारा जी-20 समिट की अध्यक्षता की जाती है, वही देश अनौपचारिक रूप से मुख्यालय का कार्य करने लगता है । जी-20 समूह द्वारा प्रतिवर्ष सदस्य देशों में से ही रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष देश का चुनाव किया जाता है एवं अध्यक्ष देश द्वारा ही जी-20 समिट की अध्यक्षता पूर्ण की जाती है। इसका आयोजन करने वाला देश पिछले और आगामी मेजबान के साथ मिलकर काम करता है । इस वर्ष जी-20 समिट की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है ।

विश्व पटल पर ये सम्मलेन इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की 60 फीसदी आबादी इन 20 देशों में निवास करती है । ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया की शक्ति जी-20 देशों के पास है । शुरुआत में जी-20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित था, परन्तु बाद में इसके एजेंडे

में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार -विरोध को शामिल किया गया। वैश्विक मुद्दों को लेकर जी-20 समूह द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जी-20 समूह का अत्यंत महत्व है। वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जी-20 समूह द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया के राजनैतिक एवं आर्थिक मुद्दों को लेकर विचार-विमर्श एवं योजनाएँ तय की जाती हैं। ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था एवं अन्य वैश्विक मुद्दों को लेकर जी-20 समूह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

जी – 20 शिखर सम्मेलनों की सूची :

देश	शहर	सम्मेलन तिथि
संयुक्त राज्य अमेरिका	वाशिंगटन डी सी	4-15 नवंबर 2008
यूनाइटेड किंगडम	लन्दन	2 अप्रैल 2009
संयुक्त राज्य अमेरिका	पिट्सबर्ग	24-25 सितंबर 2009
कनाडा	टोरंटो	26-27 जून 2010
कोरिया गणराज्य	सियोल	11-12 नवंबर 2010
फ्रांस	कान्स	3-4 नवम्बर 2011
मैक्सिको	लॉस काबोस	18-19 जून 2012
रूस	सेंट पीटर्सबर्ग	5-6 सितंबर 2013
ऑस्ट्रेलिया	ब्रिस्बेन	15-16 नवम्बर 2014
तुर्की	अंताल्या	15-16 नवम्बर 2015
चीन	हांग्जो	4-5 सितम्बर 2016
जर्मनी	हैम्बर्ग	7-8 जुलाई 2017
अर्जेंटीना	ब्यूनस आयर्स	30 नवम्बर – 1 दिसम्बर 2018
जापान	ओसाका	28-29 जून 2019
सऊदी अरब	रियाद	21-22 नवम्बर 2020
इटली	रोम	30-31 अक्तूबर 2021
इंडोनेशिया	बाली	15-16 नवम्बर 2022
भारत	नई दिल्ली	9-10 सितंबर 2023

जी 20 के कार्य

जी-20 प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए जी-20 एजेंडे को संचालित करती है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। जी-20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा की ओर से जी-20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के प्रासंगिक मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

वित्त ट्रैक का नेतृत्व मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रेसीडेंसी के पूरे कार्यकाल के दौरान ये कार्यकारी समूह नियमित रूप से मिलते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा मदों पर चर्चा करते हैं और जी-20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा, ऐसे संपर्क समूह हैं जो जी-20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचो, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नही है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है – पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता। वर्तमान में भारत की अध्यक्षता के दौरान, तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे।

भारत और जी 20 :

18वां जी-20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। यह शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी जी-20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर जी-20 नेताओं की एक घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को बताया जाएगा।

भारत के लिए, जी-20 अध्यक्षता "अमृतकाल" की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसकी मुख्य विशेषता मानव-केंद्रित दृष्टिकोण है, के लिए अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक 25 वर्ष की अवधि है।

जी-20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों - केसरिया, सफेद और हरे, एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। जी-20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में "भारत" लिखा है।

भारत का जी-20 अध्यक्षता का विषय - "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी · एक कुटुंब · एक भविष्य" - महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से, यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों - मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्मजीव - और पृथ्वी व व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है।

यह विषय (थीम) व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय और जिम्मेदार विकल्पों से संबद्ध जीवन शैली पर भी प्रकाश डालती है, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों के परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरे-भरे और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है।यह विषय सामाजिक और

व्यक्तिगत उत्पादन और उपभोग विकल्पों पर भी प्रकाश डालता है और पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहार्य और जिम्मेदार व्यवहार विकल्प अपनाने का आह्वान करता है जिससे वैश्विक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके ताकि मानवता को अपेक्षाकृत स्वच्छ, हरित और उज्जवल भविष्य प्राप्त हो।

लोगो और विषय (थीम) एक साथ भारत की जी-20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाता है। क्योंकि आज जब हम एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं तो ऐसे समय में ये जी-20 अध्यक्षता के लिए हमारे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवन से संबंधित हमारे विलक्षण भारतीय नजरिये को दर्शाते हैं।

भारत की प्राथमिकताएं :

- आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण विचार हैं जो दुनिया की सबसे उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जी-20 समूह में भारत की अध्यक्षता की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी-20 दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को व्यापक ध्रुवीकरण और भू-राजनीतिक कठोरता में वृद्धि होने पर वैश्विक राय बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत खंडित दुनिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करेगा।
- भारत खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे बहुआयामी संकट के इस दौर में अपनी जी-20 अध्यक्षता को परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का माध्यम मानता है। दुनिया के संघर्षों में फंसे होने के साथ, आम लोगों के जीवन को खतरे में न डालते हुए, भारत वैश्विक विकास को पुनर्जीवित करने, अधिक निर्णायक जलवायु कार्रवाई करने और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य संरचना जैसी विभिन्न चुनौतियों के रचनात्मक समाधान तक पहुंचने के लिए अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग करेगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा का समर्थन करना आवश्यक होगा क्योंकि महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में जकड़ रखा है।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में तेजी लाना और जीवन (पर्यावरण के लिए जीवन) के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए दुनिया का नेतृत्व करना आदि अगले कुछ महीनों में अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी मुख्य ताकत के साथ, भारत सामाजिक-आर्थिक विकास का एजेंट बनने के लिए समावेशी डिजिटल वास्तुकला बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जी-20 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपनी महिमा और विविधता को प्रदर्शित करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके पास सदस्य देशों को आर्थिक प्रगति से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट-अप तक के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को दिखाने का भी अवसर होगा। भारत 56 विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक जी-20 से संबंधित बैठकों की मेजबानी करेगा, जिससे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस जीवंत और विविधतापूर्ण देश की यात्रा पर आएंगे। सभी भारतीयों को दुनिया का स्वागत करने और उन्हें एक परिवार का अंग के रूप में मानने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है।

जी-20 भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच यूएनएससी के सभी पांच स्थायी सदस्यों, जी-7 के सभी सदस्यों और सभी ब्रिक्स देशों अपनी छत्रछाया में लाता है। यह मंच भारत को अपना विकास को प्रदर्शित करने और संभावित समाधानों के रूप में दुनिया के सामने अपने मॉडल पेश करने में मदद करेगा।

भारत के लिए चुनौतियाँ : जब दुनिया विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है, तब भारत ने अध्यक्ष पद को ग्रहण किया है। यह सदस्य देशों के लिए बहुआयामी चुनौतियां पेश करता है और वे प्रत्येक मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण जानने के लिए उत्सुक होंगे। भारत ने आर्थिक गिरावट, बढ़ती वैश्विक गरीबी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी के आसन्न परिणामों को स्वीकार किया।

भारत को वैश्विक मुद्दों का समाधान निकालना है। भारत को पहली बार व्यापक विस्तार वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने का मौका मिलेगा। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने और एक नेता के रूप में खुद को स्थापित करने का दायित्व भारत पर है।

भारत को विश्व अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को नकारने, अभिनव समाधान खोजने तथा सदस्य देशों से आपसी सहयोग के मुद्दे पर अपने प्रयासों को दोगुना करने की अपील करनी होगी । यूक्रेन संकट के कारण दुनिया दो भागों में बंट गई है। भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसके पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ ही घनिष्ठ संबंध हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस ने भारत को सस्ती दर पर क्रूड ऑयल की आपूर्ति जारी रखी है। कच्चे तेल ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बचाया है। रूस हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है और संबंध बिगड़ने पर अरबों डॉलर के हालिया समझौते खतरे में पड़ सकते हैं ।

निष्कर्ष : जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी दृष्टि व्यक्त की है कि शांति और सुरक्षा के बिना, हमारी अगली पीढ़ियां आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार से लाभान्वित नहीं हो पाएंगी। भारत की पहचान अब विश्वगुरु के रूप में है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्य-उन्मुख और दृढ़ अध्यक्ष पद के लिए जिस वादे पर जोर दिया, उस पर न केवल जी-20 के सदस्यों द्वारा, बल्कि यूएन, विचार मंचों, दुनिया भर के राजनयिकों, और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी बारीकी से नजर रखी जाएगी। भारत ने विशेष रूप से डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और उसके शासन के साथ प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता या आत्म निर्भर, वैक्सीन कूटनीति, और विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर अपनी दृढ़ता का दावा करते हुए पहले ही कुछ पहलुओं में बढ़त ले ली है, नतीजतन, भारत के लिए वैश्विक शांति, नियम-आधारित शासन और इस दुनिया में सभी के लिए विकास की दिशा में प्रयास करने के लिए मंच तैयार है।

ज्ञान के मोती

मोती

- जीवन की सबसे बड़ी शान कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

- नेल्सन मंडेला

- यदि जीवन की भविष्यवाणी की जा सकती है तो यह जीवन नहीं रहेगा, और न ही जीने में कोई स्वाद ।

- एलेनोर रोसवैल्ट

- यदि आपके लक्ष्य बहुत अधिक ऊंचे हैं तो आप असफल होकर भी दूसरों से अधिक असफल होंगे।

- जेम्स केमरोन

- आप जहां भी जाएं प्यार फैलाएं। कोई भी, कभी भी आपके पास से निराश हो कर न लौटे ।

- मदर टेरेसा

- भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं।

- एलेनोर रोसवैल्ट

- दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती हैं - उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए।

- हेलेन केलर

- हमें अपने सबसे अंधकार भरे दौर में प्रकाश देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- अरस्तू

- जो खुश है वो दूसरों को भी खुश रखेंगे । **- ऐन फ्रैंक**

- वहां मत जाओ जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाओ जहां कोई रास्ता नहीं है और अपने कदमों के निशान छोड़ जाओ।

- राल्फ वाल्डो इमर्सन

- जीवन में आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुद को कभी हारने मत दीजिये।

- माया एंजेलो

- अंत में, यह मायने नहीं रखता कि आप कितने वर्षों तक जीवित थे बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितने वर्षों को जिया ।

- अब्राहम लिंकन

- जीवन में असफल होने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे।

- थॉमस ए एडिसन

हंसी की फुलझड़ियाँ

एक शराबी ने रेडियो एफ़एम पर फोन किया
शराबी, "जी मुझे मेन रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें रूपये 15000 कैश, एक आई फोन और कुछ क्रेडिट कार्ड मिले हैं, जिन पर सीमा नाम लिखा हुआ है ।
रेडियो जॉकी, "वाह ! आप कितने ईमानदार हैं, सीमा जी का पर्स उन तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे !"
शराबी, "नहीं, मुझे पर्स वापस नहीं करना है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना चलाया जाए ।"

एक बच्चा गायब हो गया, किसी होनहार ने उसका फोटो घर के पते के साथ फेसबुक पर डाल दिया । सब सही रहा और बच्चा शाम तक घर भी आ गया । ये एक साल पहले की बात है । वो बच्चा आज भी कहीं जाता है तो लोग उसे पकड़ कर घर छोड़ जाते हैं।

लड़की : मेरे पापा कह रहे थे कि अगर फेल हो गई तो तुम्हारी शादी रिक्शे वाले से करवा देंगे ।
लड़का : मेरे पाप भी कह रहे थे कि अगर फेल हो गए तो रिक्शा खरीद देंगे, फिर वही चलाना ।

मरीज : डॉक्टर साहब मैं हर बात तुरंत ही भूल जाता हूँ, कोई कारगर दवा दीजिये ।
डॉक्टर: दवा तो मैं दे दूंगा लेकिन उस से पहले आप मुझे फीस दीजिये ।

शराबी डॉक्टर से : डॉक्टर साहब, मैंने आपका इश्तेहार देखा, आप सच में शराब छुड़वा सकते हैं ?
डॉक्टर : हाँ, बिलकुल छुड़वा सकता हूँ ।
शराबी : बलिया – बक्सर बॉर्डर पर पुलिस वालों ने मेरी 2 पेटी शराब पकड़ ली है, मेहरबानी करके छुड़वा दें ।

संता : अरे बंता, तेरा भाई क्या कर रहा है आज कल ?
बंता : कुछ दिन पहले दुकान खोली थी, लेकिन अब जेल में है ।
संता : लेकिन वो क्यूँ ?
बंता : अरे वो दुकान रात में हथौड़े से खोली थी न

विशेष आलेख

कंठस्थ 2.0

प्रेमचंद गुप्ता , सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय गोवा

इक्कसवीं सदी का आधुनिक विश्व भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट आदि से ओतप्रोत है । समस्त विश्व आज एक 'विश्व ग्राम' में तब्दील हो चुका है तथा पठन-पाठन एवं कार्य करने के पुराने तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन आ चुके हैं । आधुनिक युग में सब अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं । शनैः- शनैः यह निर्भरता और अधिक बढ़ती जाएगी । यह समय की मांग है कि राजभाषा हिन्दी को भी समय कि गति के साथ अग्रसर किया जाए । यद्यपि इस दिशा की ओर तमाम संगठन एवं संस्थाएं अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं तथापि भारत सरकार के अंग के रूप में तथा शासकीय प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सी-डैक पुणे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, कानपुर आदि संस्थाओं के माध्यम से कंप्यूटर संबंधी विकास कार्यों में राजभाषा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर बनवाए तथा उसे आधुनिक संयंत्रों एवं एवं उपकरणों पर काम करने में सक्षम करने का प्रयास किया है ।

राजभाषा हिन्दी में भी मशीनी अनुवाद को लेकर अनेक कार्य हुए हैं । बात मशीनी अनुवाद की करें तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट या कही गई बात को दूसरी प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट या वाक्य मे बदलने की प्रक्रिया को ही मशीनी अनुवाद कहते हैं ।

मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ग्रुप के माध्यम से मन्त्र-राजभाषा (Machine Assisted Translation Tool) सॉफ्टवेयर विकसित कराया है जो कि एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुवाद के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अगस्त 2018 में मॉरीशस में आयोजित 11 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित क्रांतिकारी टूल 'कंठस्थ' का लोकार्पण किया गया था । यह स्मृति पर आधारित अनुवाद करने में सहायता देने वाला टूल है तथा इसे भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सी डेक पुणे के सहयोग से तैयार किया गया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "आत्मनिर्भर भारत तथा स्थानीय के लिए मुखर हो" से प्रेरणा लेते हुए कंठस्थ 2.0 को आधुनिक सुविधाओं जैसे न्यूराल मशीन अनुवाद, वायस टाइपिंग, आदि के साथ कंठस्थ 2.0 को विकसित किया गया है । कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण दिनांक 14 सितंबर 2022 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मंत्री जी द्वारा किया गया ।

सी डैक के अनुसार "कंठस्थ एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक ढांचा प्रदान करता है, जो केंद्रीकृत भंडार पर पूरे भारत से द्विभाषी डेटा (अंग्रेजी-हिंदी) संग्रहीत करता है। अनुवाद मेमोरी, मौजूदा डेटा की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करती है । परिणामस्वरूप, अनुवाद की बढ़ी हुई सटीकता और दक्षता प्रदान करती है । इस टूल के माध्यम से अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है ।

'कंठस्थ' वस्तुतः ट्रांसलेशन मेमोरी (टी.एम.) पर आधारित मशीन अनुवाद सिस्टम को दिया गया एक नाम है । ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन-साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है जिससे अनुवाद की प्रक्रिया में सहायता मिलती है । ट्रांसलेशन मेमोरी वस्तुतः एक डेटाबेस है जिसमें स्रोत भाषा (Source language) के वाक्यों एवं लक्षित भाषा (Target language) में उन वाक्यों के अनुवादित रूप को एक-साथ रखा जाता है । ट्रांसलेशन मेमोरी पर आधारित इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अनुवादक पूर्व में किए गए अनुवाद को किसी नई फाइल के अनुवाद के लिए पुनः प्रयोग कर सकता है ।

यदि अनुवाद की नई फाइल का वाक्य टी.एम. के डेटाबेस से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मिलता है तो यह सिस्टम उस वाक्य के अनुवाद को टी.एम. से लाता है और अनुवाद करते समय जब उससे मिलता-जुलता अनुवाद फिर से सामने आता है तो यह बता देता है कि उसके पास कितने ऐसे वाक्य हैं, जो शत-प्रतिशत मेल खाते हैं और कितने ऐसे वाक्य हैं जो शत-प्रतिशत तों नहीं लेकिन 75 से 99 प्रतिशत तक मेल खाते हैं । इसमें किए गए अनुवाद कार्य को ग्लोबल मेमोरी में डाल देने पर सभी प्रयोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं । इससे न केवल अनुवाद, टाइपिंग, और जाँच कार्य में लगने वाले समय की बचत होती है बल्कि एक जैसे वाक्यों के लिए एकसमान शब्दावली का ही बारम्बार इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल पर कार्य करना बहुत ही आसान है । इसमें एम एस वर्ड, एक्सेल , पीपीटी जैसी अनेक प्रकार की फ़ाइलें खोलकर उनका अनुवाद किया जा सकता है ।

कंठस्थ 2.0 में पंजीकरण :

कंठस्थ में अनुवाद करने या इसके ट्रांसलेशन मेमोरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए नए प्रयोक्ता के तौर पर इसमें पंजीकरण कराना आवश्यक है । नए प्रयोक्ता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट

https://rajbhasha.gov.in पर जाकर ई-टूल्स टैब के अंदर कंठस्थ संस्करण-2 स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी सकते हैं । पंजीकरण पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड का चयन कर लेते हैं । ध्यान रहे पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए जिसमें एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, इसमें 0 से 9 में से कोई एक अंक तथा इसमें कोई एक विशेष अक्षर अवश्य होना चाहिए । मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी भर लें अब सत्यापन बटन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड ई-मेल पर ओटीपी आएगा तथा इसे भरकर और कैप्चा लिखकर पंजीकृत पर क्लिक करें । पंजीकृत पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा जिस पर लिखा होगा आपका पंजीकरण सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ अर्थात आप पुन: लॉगिन करके कंठस्थ पर कार्य कर सकते है । पंजीकरण की प्रक्रिया एक साधारण प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है ।

अनुवाद कार्य की शुरुआत :

कंप्यूटर पर पर कार्य करने के लिए जैसे हम D Drive या E Drive में उसमे फ़ाइल बनाकर कार्य करते हैं । ठीक उसी प्रकार कंठस्थ में कार्य करने के लिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है । प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोल्डर बनाते हैं तथा फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाते हैं । अब कंठस्थ संस्करण-2 स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके अनुवाद कार्य की शुरुआत कर सकते हैं । अब लॉगिन करके कंठस्थ के इनबॉक्स पेज पर आ जाते हैं ।

प्रोजेक्ट बनाना

प्रोजेक्ट बनाने के लिए बाई साइड प्रोजेक्ट पर तथा ऊपर में नया प्रोजेक्ट बनाएं पर क्लिक करके आवश्यकता व कार्य की प्रकृति के अनुसार इसे रीनेम कर देते हैं और यह नया प्रोजेक्ट बाई तरफ प्रोजेक्ट के नीचे दिखायी देगा ।

फ़ोल्डर बनाना

अब इस प्रोजेक्ट के भीतर एक फ़ोल्डर बनाना होता है । इसके लिए पहले बाईं तरफ प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं फिर ऊपर की तरफ टूल बार में नया फ़ोल्डर बनाएं । टैब पर क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाते हैं तथा कार्यानुसार इसे एक विशेष नाम देते हैं । इस प्रकार इसमें एक से अधिक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट के अंदर अनेक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं ।

उक्त बाक्स में यह उल्लेख करना होता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इस नए फ़ोल्डर को रख रहे हैं । अभी तक जितने भी फ़ोल्डर आपने बनाये होंगे वे सभी इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखायी देंगे और इनमें से जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं । अब इसी फ़ोल्डर बॉक्स में प्रोजेक्ट नाम के ठीक नीचे दो आइकॉन बने हुए हैं । एक ट्रांसलेशन मेमोरी बनाएं (Create TM) तथा दूसरा मौजूद ट्रांसलेशन मेमोरी को जोड़े (Add Existing TM) । कंठस्थ में जो कुछ भी अनुवाद कार्य किया जाता है वह वह ट्रांसलेशन मेमोरी में सेव हो जाता है ।

ट्रांसलेशन मेमोरी बनाना (Create TM): इसका अर्थ कि एक नई टीएम बनाएं और इसको रीनेम कर दें । माना इसे ग्लोब नाम दे दिया । इस प्रकार आपके पास ग्लोब टीएम है, जो आपके द्वारा किए गए सभी अनुवादों को अपनी मेमोरी में रखेगा । वहीं दूसरी तरफ मौजूदा ट्रांसलेशन मेमोरी को जोड़ें (Add Existing TM) का अर्थ है कि यदि

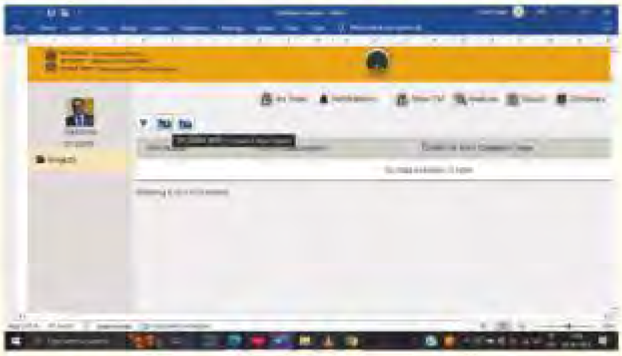

आपके पास पहले से दो-तीन टीएम है तो उनमें से चयन कर सकते हैं।

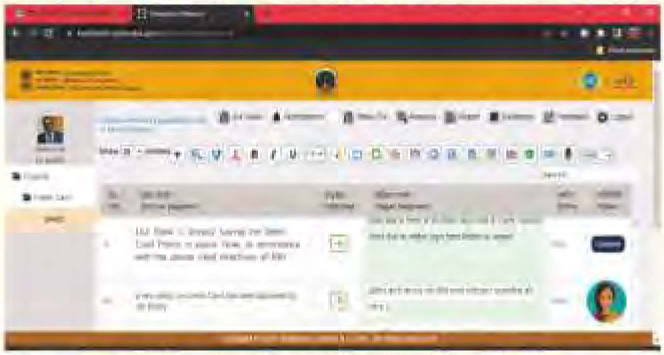

टीएम को जोड़ने के बाद इसी डायलॉग बाक्स में सबसे नीचे वह फ़ाइल ब्राउज करनी है जिसका अनुवाद करना चाहते हैं। जहां choose file लिखा है उस पर क्लिक करके Create Folder पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के नीचे फ़ोल्डर में फ़ाइल दिखायी देगी जो अनुवाद के लिए तैयार है। यह फ़ाइल एडिटर

में सेगमेंट के रूप में खुलती है। बाईं तरफ अंग्रेजी के वाक्य होते हैं तथा दायीं तरफ अनुवाद किया हुआ पाठ होता है। अनुवाद हो जाने पर सबमिट बटन को दबा देते हैं तथा इसे सेव कर लेते है। इस प्रकार यह अनुवाद सॉफ्टवेयर की मेमोरी में चला जाता है। अनूदित फ़ाइल को MS Word फ़ाइल में द्विभाषी रूप में डाउनलोड किया जा सकता है तथा कंप्यूटर के डाउनलोड में जाकर इन फ़ाइलों को देखा सकता है।

ट्रांसलेशन मेमोरी (TM) को आइकान के माध्यम से जोड़ना :

उपर्युक्त डायलॉग बॉक्स में टीएम जोड़ें/Add TM पर सीधे क्लिक करके अनुवाद की जाने वाली फ़ाइल जोड़ी जा सकती है और अनुवाद हेतु फाइल अपलोड की जा सकती है।

तुरंत अनुवाद (Instant Translation)

अगर आपको प्रोजेक्ट, फ़ोल्डर, फाईल नहीं बनाना है तथा किसी वाक्य या पैराग्राफ का तुरंत अनुवाद चाहिए तो कंठस्थ के होम पेज पर ही तुरंत अनुवाद (Instant Translation) के आइकन को क्लिक करते हैं तथा जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें अनुवाद किए जाने वाले टेक्स्ट को श्रोत

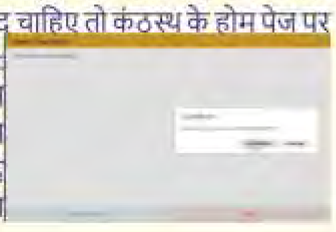

फ़ाइल से लेकर पेस्ट कर देते हैं या टाइप कर देते हैं तथा Open in Editor बटन पर क्लिक करके इसे कनफर्म कर देते है तो यह वाक्य एडिटर में ओपन हो जाता है तथा अनुवाद बटन पर क्लिक करने से इसका तत्काल अनुवाद प्राप्त हो जाता है।

ऑटोमैटिक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक (एएसआर)

स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक की सुविधा कंठस्थ 2.0 में उपलब्ध है। यह एक ऐसी तकनीक है जो मानव द्वारा बोले गए शब्दों को इनपुट की तरह लेता है और उन शब्दों को डिजिटल रूप में बदलता है तथा इसके माध्यम से आसानी से अनुवाद किया जा सकता है।

स्पीच रिकॉग्निशन के लाभ :

1. बोलना टाइपिंग की तुलना में अधिक तेज होता है।
2. शब्दों की त्रुटि और गलत वाक्य लिखने से बचा जा सकता है।
3. स्पीच रिकॉग्निशन का प्रयोग करके समय की बचत भी कर सकते हैं।

ऑटोमैटिक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग

1. मेन्यू बटन एएसआर पर क्लिक करें।
2. एक विंडो खुलेगी
3. आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं जिसमें आप बोलना चाहते हैं।
4. स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और बोलना शुरू करें।
5. स्टॉप बटन पर क्लिक करें, आउटपुट देखें।

इस प्रकार आसानी से ऑटोमैटिक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग करके अनुवाद हेतु टेक्स्ट को प्रविष्ट करा सकते हैं।

तैयार किए गए टीएम को संवीक्षाकर्ता के पास भेजना:

सभी अनुवादक अपना अनुवाद कार्य संवीक्षाकर्ता (संवीक्षाकर्ता) को भेजते हैं। संवीक्षाकर्ता वह व्यक्ति होता है जो अनुवादकों के अनुवादित वाक्यों की समीक्षा करता है। एक व्यक्ति संवीक्षाकर्ता और अनुवादक दोनों हो सकता है। इस मामले में, अनुवादक के

लिए मौजूद सभी कार्यमकताऐं संवीक्षाकर्ता के लिए भी लागू होती हैं। प्रत्येक संस्था को अपने कुछ अनुवादकों तथा राजभाषा अधिकारियों को संवीक्षाकर्ता के रूप में नामित करना होता है तथा राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त संवीक्षाकर्ता को अनुवादित कार्य की समीक्षा के लिए भेज सकते हैं। कंठस्थ के होम पेज पर मेन्यू बार में शो टीएम (Show TM) पर क्लिक

करने से यहाँ पर आपके द्वारा बनायी गई सभी टीएम दिखायी देगी। जिस अनुवाद को संवीक्षाकर्ता के पास भेजना है उस टीएम को सलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं जिससे वह टीएम खुल जाता है। फिर सभी वाक्यों को सलेक्ट कर लें। फिर इस पेज पर दी गए संवीक्षाकर्ता की सूची में से अपने संवीक्षाकर्ता का चयन करें तथा संवीक्षाकर्ता को भेजें (send to Vetter) पर क्लिक करें। ध्यान रहे सिर्फ सत्यापित प्रविष्टि को ही संवीक्षाकर्ता के पास भेज सकते है।

संवीक्षाकर्ता द्वारा अनुवाद की समीक्षा करना तथा ग्लोबल टीएम में अपलोड करना

संवीक्षाकर्ता कंठस्थ में लॉगिन करके देख सकता है कि उसके पास कितनी प्रविष्टियाँ समीक्षा के लिए आई हुई है। जब संवीक्षाकर्ता समीक्षा बटन पर क्लिक करता है, तो स्क्रीन पर निम्नलिखित डायलॉग बॉक्स खुलता है जो संवीक्षाकर्ता को विभिन्न अनुवादकों द्वारा समीक्षा के लिए भेजे गए खंडों की सूची प्रदान करता है। संवीक्षाकर्ता अनुवादक के नाम क्लिक करके भेजे गए फ़ाइल की समीक्षा कर सकता है।

संवीक्षाकर्ता अब सेगमेंट की समीक्षा कर सकता है और समीक्षा के दौरान उसे जो सेगमेंट सही लगता है उस सेगमेंट को चुनकर तथा SEND TO GLOBAL बटन दबाकर ग्लोबल टीएम में भेज सकता है। साथ ही ग्लोबल टीएम में भेजने से पहले, संवीक्षाकर्ता वाक्यों में परिवर्तन भी सकता है यदि वे वाक्य उसे उचित नहीं लगते है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। जिन पंक्तियों की समीक्षा की जाती है और वैश्विक टीएम को भेजी जाती है उन्हे हरे रंग की पृष्ठभूमि के रंग का उपयोग करके हाइलाइट किया जाता है।

चैटबॉट Chatbot का उपयोग:

कंठस्थ 2.0 चैटबॉट का उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। लॉगिन करने के बाद, उपयोगकता चैटबॉट को स्क्रीन के नीचे दाई ओर देख सकता है। चैटबॉट का उपयोग कंठस्थ की कार्यक्षमता को समझने के लिए या कंठस्थ के बारे में जानकारी सिर्फ चैटबॉट आइकन पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है।

विश्लेषण

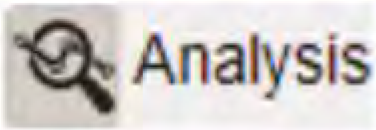

इस मेन्यू बटन के माध्यम से अनुवादित फ़ाइल की ट्रांसलेशन मेमोरी के साथ तुलना की जाती है तथा एक विश्लेषण रिपोर्ट बनायी जाती है। इस रिपोर्ट में कई सूचनाएं होती है जैसे अनुवादित फ़ाइल में कुल कितने शब्द एवं वाक्य है, कितने वाक्यों का ट्रांसलेशन मेमोरी के साथ पूर्णत: अथवा आंशिक मिलान हुआ है इत्यादि।

रिपोर्ट

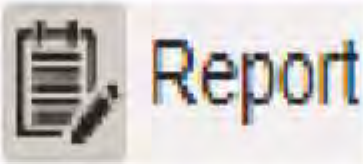

इस मेन्यू बटन के माध्यम से प्रयोगकर्ता यह जान सकता है कि एक समय विशेष में उसने कितने एवं कौन से पैकेज, प्रोजेक्ट, फ़ाइल एवं ट्रांसलेशन मेमोरी पर कार्य किया है। रिपोर्ट देखने के लिए क्विक टूल्स के मेन्यू बटन को दबाएं उसके बाद रिपोर्ट बटन को दबाएं। जिन दो दिनांकों के बीच की रिपोर्ट देखनी है, उन्हे चुने तथा पैकेज, प्रोजेक्ट फ़ाइल एवं ट्रांसलेशन मेमोरी में से जिसकी रिपोर्ट जाननी है उसे चुनकर गेट डाटा बटन दबाएं।

निष्कर्ष:

निश्चित रूप से अनुवाद जैसे जटिल कार्य को आसान, त्रुटि रहित बनाने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत भारत सरकार उठाया गया एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक कदम है। इस अनुवाद प्रणाली से अनुवाद के कार्य में समय की बचत होगी तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक दूसरे द्वारा किए गए अनुवाद कार्य से लाभान्वित भी होंगे। आज अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारी अन्तराष्ट्रीय कंपनिया जैसे- गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट इत्यादि आज नि:शुल्क सेवा प्रदान करती हैं लेकिन ऐसी आशंका है कि भविष्य में इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। अत: समय की मांग है कि स्वदेशी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित क्रांतिकारी अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के ग्लोबल अनुवाद डेटाबेस को सुदृढ़ करने के लिए अपना हर संभव योगदान दें ताकि भविष्य में ये आपके अनुवाद संबंधी कार्यों में सटीकता और दक्षता के साथ मदद कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह आपके द्वारा किए हुए अनुवाद को दोबारा प्रस्तुत कर सकता है इससे न केवल अनुवाद, टाइपिंग और वेटिंग में खराब होने वाला समय बचेगा बल्कि एक जैसे वाक्यों के लिए एकसमान शब्दावली का ही बारम्बार इस्तेमाल किया जा सकेगा तथा इस टूल का प्रयोग करने वाला हर एक प्रयोक्ता इससे लाभान्वित हो सकेगा।

क्यों नहीं किसी को अपत्ति है ?

देखा आज अजीब सा मंजर
था रिक्शेवाला अस्थियों का पंजर
थी उसके चेहरे पर बेबसी
नहीं मिली थी उसे कई दिनों से रूखी-सूखी
ढूंढ रहा था बेचैन नज़रों से सवारी
क्योंकि पेट की चिंता थी भारी
तभी उसको दिखे दो मोटे सोच में
नर थे या नर वेश में धरती के बोझ थे
खा रहे थे एमएनसी का पिज्जा
चेहरे पर नहीं थी तनिक भी लज्जा
पेट जैसे फुटबॉल के मैदान हों
नर नहीं आप मेरे लिए नारायण समान हो
यही सोच आगे बढ़ा रिक्शेवाला
शायद आज कुछ मिल जाए निवाला
बाबूजी कहाँ जाएंगे? बोला वो बड़े प्यार से
खींच पाओगे हमें बोले वो दुत्कार के
पेट में जल रही है जो ज्वाला
वजन कितना है इसका नही हवाला
बैठ गए वो दोनों हाथी के जैसे बच्चे
थी उम्र ज्यादा पर मन के थे कच्चे
खींचने लगा उनको जैसे ठेले पर हो हिमालय
दाना लेकर जाना था उसको अपने आलय
भूख से घर में बच्चे थे व्याकुल
इसी दुख में हो रहा था शोकाकुल
तभी सामने आई चढ़ाई
फिन भी उन्हें अक्ल न आई
जान जा रही थी रिक्शेवाली की
और ये तारीफ कर रहे थे पिज्जेवाले की
हाय, कैसा ये दुर्भाग्य है!
कोई खाते-खाते मरे कोई बिन खाए मर जाए
अंततोगत्वा पहुंचा किसी लक्ष्य पर
हो गया बहस मूल्य के पक्ष पर
बोले बीस रुपए से ज्यादा हम न देंगे
लेते हो तो लो वरना हम चलते हैं
सुन कर रिक्शेवाला रह गया दंग
जैसे हो कोई डोर से टूटी पतंग
बोला बाबूजी क्यों करते हो कष्ट
टिप समझ कर रख लो क्यों कर रहे हो नष्ट
हम न खाएं तो भी चलेंगे
तुम जो खाओ तो भी न चलोगे
हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे
हम बिन खाए मरेंगे, तुम खाते-खाते मरोगे
यह कहकर उसने चिलम जलाई जबरदस्त
चल दिया अपने रास्ते होकर मस्त
हाय, जीवन की कैसी ये त्रासदी है!
इंसान ही इंसान को खाए
क्यों नहीं किसी को आपत्ति है ॥

सत्य प्रकाश पाण्डेय
प्रबन्धक
सूचना प्रद्योगिकी विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और एमएसएमई

पंकज कुमार मालपानी, लिपिक, उदयपुर शाखा, जयपुर क्षेत्र

1. भूमिका:

सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती हैं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत की सकल घरेलू उत्पाद मात्र 2256 डॉलर हैं और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में भारत की रैंकिंग 194 अर्थव्यवस्थाओं में से 144 वें स्थान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की जनसंख्या विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है और शायद 2023 तक भारत चीन को धकेल कर नंबर 1 जगह पर भी आ सकता है। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था होने के बाद भी भारत में गरीबो की संख्या लगभग 16.4 प्रतिशत है। गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए और भारत का सम्पूर्ण विकास करने के लिए 2006 में भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की अवधारणा रखी गयी। एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है।

2. एमएसएमई की परिभाषा:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षेप में एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई दो प्रकार के होते हैं - उत्पादन उद्यम यानी उत्पादन करने वाली इकाई, दूसरा है सेवा इकाई, यह मुख्य रूप से सेवा देने का काम करती हैं।

सूक्ष्म उद्योग: सूक्ष्म उद्योग में वह उद्यम आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपये का निवेश और टर्न ओवर 5 करोड़ तक हो। यहां निवेश से मतलब यह है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है। यह उत्पादन और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है.।

लघु उद्योग: उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और कारोबार 50 करोड़ रुपये तक है।

मध्यम उद्योग: उत्पादन और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ कारोबार है वह मध्मम उद्योग में आएंगे।

3. एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण इस प्रकार है:

- चमड़े के सामान उद्योग से संबंधित व्यवसाय
- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सेवाएं
- प्राकृतिक सुगंध उद्योग से संबंधित व्यवसाय
- इंजीनियरिंग और निर्माण
- प्रशिक्षण संस्थान
- आयुर्वेदिक उत्पाद
- ब्यूटी पार्लर सेवाएं
- खादी सामग्री और उत्पाद
- हस्तशिल्प - कताई और बुनाई
- फर्नीचर और लकड़ी के उत्पादों का निर्माण
- मुर्गी पालन
- कंप्यूटर आधारित डेटा प्रोसेसिंग व्यवसाय
- सिरेमिक और कांच उत्पादों की बिक्री
- खुदरा और थोक व्यापार
- ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

4. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक से एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न योजनाओ में दिए जाने वाले ऋण इस प्रकार है:

सावधि ऋण: यह ऋण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को उनकी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यह एक जरूरत-आधारित ऋण है। बैंक 10 लाख तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है इस ऋण का लाभ व्यवसाय के लिए दीर्घावधि अचल संपत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि के अधिग्रहण के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों की स्थापना, विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए लिया जा सकता है।

आइओबी एसएमई ईज़ी ऋण: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एसएमई ईज़ी ऋण एमएसएमई क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर व्यवसाय चलाने से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। इस ऋण योजना के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि 5 करोड़ है।

आइओबी एसएमई महिला प्लस: आइओबी एसएमई महिला प्लस एमएसई क्षेत्र में छोटे व्यवसायों के लिए है। यह ऋण महिलाओं द्वारा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए लिया जा सकता है जहां प्रबंधन महिलाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है और साझेदारी में जहां अधिकांश भागीदार महिलाएं हैं।

पेशेवरों और स्व-रोज़गार के लिए ऋण: पेशेवर और स्व-नियोजित के लिए आइओबी ऋण सीए, सीएस, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, इंजीनियरों आदि के लिए कार्यालय की खरीद या निर्माण, उपकरणों की खरीद या इकाई के विस्तार आदि के लिए है। यह एक जरूरत-आधारित ऋण है और इस ऋण के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि

उधारकर्ता की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर निर्भर करती है।

❋ **डॉक्टरों के लिए संजीवनी योजना:** इण्डियन ओवरसीज़ बैंक संजीवनी ऋण उन चिकित्सकों के लिए है जिन्हें अपनी कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद आदि से योग्य चिकित्सक इस ऋण के लिए पात्र हैं यदि उनके पास व्यवसाय चलाने का अनुभव है। इस ऋण को लेने के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस आदि है।

❋ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :** यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ रुपये के कोष और 3,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष के साथ शुरू की गई थी। इस योजना में तीन मुख्य उत्पाद शामिल हैं ।

I. **शिशु :** 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना ।

II. **किशोर:** 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना ।

III. **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना ।

5. एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

यहाँ ध्यान देने लायक एक बात यह है कि जर्मनी और चीन की जीडीपी में एमएसएमई की भागीदारी क्रमशः 55% और 60% है । जो इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है । एमएसएमई की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं:

o **वित्तीय सहायता:** सबसे आम समस्या जिसका सभी छोटे पैमाने के व्यवसायों ने सामना किया है और अभी भी सामना कर रहे हैं, वह क्रेडिट की है। संपार्श्विक की अनुपस्थिति, लंबी कागजी कार्रवाई, और ऋण चुकौती क्षमताओं में विश्वास की कमी जैसे कई कारकों के कारण एमएसएमई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं ।

o **विपणन:** उत्पादों की बिक्री क्षमता बढ़ाना न केवल एमएसएमई के लिए बल्कि बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए भी एक मुश्किल काम है। जब छोटे पैमाने के व्यवसायों की बात आती है, तो संसाधनों की कमी समय, धन और कुशल कर्मचारियों के कारण गुणवत्तापूर्ण लीड उत्पन्न करना असंभव हो जाता है ।

o **तकनीकी:** तकनीक उन्नयन के साथ नई तकनीकों को अपनाना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना न केवल कठिन है, बल्कि महंगा भी है विशेष रूप से विनिर्माण व्यवसायों के लिए जहां दायरा न केवल सॉफ्टवेयर के संदर्भ में है, बल्कि उत्पादन इकाइयों के संदर्भ में भी है।

o **व्यापार विशेषज्ञता:** उद्यमियों के पास उनके सामान और सेवाओं के लिए प्रासंगिक विषय वस्तु विशेषज्ञता हो सकती है । उनके पास उद्यम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल का अभाव रहता है।

o **समग्र प्रबंधन:** अपर्याप्त प्रबंधन कौशल व्यवसाय के विस्तार में बाधा डालते हैं और अक्सर छोटे उद्यमों की गैर-प्रतिस्पर्धात्मकता का कारण बनते हैं। एक सफल व्यवसाय को कार्यबल बढ़ाने, विविध ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने, इन्वेंट्री का प्रबंधन करने, नए प्रतिस्पर्धियों से निपटने, आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने और कंपनी की संस्कृति को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।

6. एमएसएमई को मजबूत करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है?

o **निर्यात को बढ़ावा देना:** एमएसएमई क्षेत्र कुल निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, और हमें इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

o **दस्तावेज़ीकरण, अनुपालन बोझ:** यदि जीएसटी और करों को दाखिल करने की प्रक्रिया को कम जटिल बनाने के लिए अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी।

o **बिजली आपूर्ति की एक उन्नयन प्रौद्योगिकी:** यदि ऐसा किया जाता है, तो हम पूंजीगत लागत, परिचालन लागत, रखरखाव लागत पर बचत करते हैं इससे उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि होगी क्योंकि कोई भी श्रम या मशीनरी निष्क्रिय नहीं रहेगी ।

7. निष्कर्ष:

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं । ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29 फीसदी का योगदान करते हैं. । एमएसएमई क्षेत्र देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है. करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है । 2024 तक सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए, इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाकर 50% तक करने की जरूरत है । यदि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एमएसएमई क्षेत्र में अधिकतम ऋण देता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार करने में एक बड़ा हिस्सा बनता है तो यह हमारे बैंक के लिए गर्व की स्थिति होगी। इसके लिए हमें कड़ा प्रयास करना चाहिए। हमें बैंकिंग बाजार में अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

देश के मज़बूत आर्थिक भविष्य के लिये एमएसएमई के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत को ऐसे ही और उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में एमएसएमई की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होगी।

विश्व हिंदी सम्मेलन

हिंदी को अंतरराष्ट्रीय रूप में प्रसारित तथा संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने हेतु 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष मॉरिशस के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम थे। संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व: श्री पी वी नरसिंह राव तथा विदेश मंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। अभी तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन विभिन्न देशों आयोजित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते समय महासचिव माननीय बान की मून ने कहा था कि हिंदी भारत की एक सुंदर भाषा है, यह दुनियाभर की संस्कृतियों के बीच पुल का कार्य कर रही है। विश्व के विभिन्न देशों में शोध कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। राजभाषा से संबन्धित कुछ प्रश्न यहाँ आपके ज्ञानवर्धन के लिए दिए जा रहे हैं।

1) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
   क) अनुच्छेद 346 ख) अनुच्छेद 343
   ग) अनुच्छेद 348 घ) अनुच्छेद 351

2) राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?
   क) बी जी खेर ख) नुपुर चतुर्वेदी
   ग) अमिताभ कांत घ) अरुण मेहेरा

3) राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था ?
   क) 27 मई 1949 ख) 27 मई 1950
   ग) 27 मई 1951 घ) 27 मई 1955

4) राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है ?
   क) केवल हिंदी में ख) केवल अंग्रेजी में
   ग) हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में घ) इनमे से किसी भी भाषा में नहीं

5) राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ है ?
   क) नौ ख) दस
   ग) ग्यारह घ) बारह

6) राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है ?
   क) चार ख) तीन
   ग) दो घ) इनमें से कोई नहीं

7) किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है ?
   क) नियम 2 ख) नियम 3
   ग) नियम 9 घ) नियम 12

8) किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है ?
   क) नियम 7 ख) नियम 8
   ग) नियम 10 घ) नियम 5

9) राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं ?
   क) छ ख) बारह
   ग) ग्यारह घ) दस

10) वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
   क) तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता
   ख) तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरण सिंह
   ग) तत्कालीन गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई
   घ) इनमें से कोई नहीं

11) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है ?
   क) चार बार ख) दो बार
   ग) तीन बार घ) एक बार

12) हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उपसमितियाँ बनाई गई है ?
   क) चार उपसमितियाँ ख) तीन उपसमितियाँ
   ग) एक उपसमिति घ) इनमें से कोई नहीं

13) विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
   क) अनुच्छेद 120 ख) अनुच्छेद 343
   ग) अनुच्छेद 210 ग) अनुच्छेद 220

14) संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है ?
   क) अंग्रेजी ख) फारसी
   ग) नेपाली घ) भूटिया

15) इनमें से कौन से दस्तावेज़ धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं ?
   क) सामान्य आदेश ख) करार
   ग) संकल्प घ) सभी

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 23 देखें

संकलनकर्ता:
बरुन चौधरी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

प्रतिस्पन्दन

बैंक की गृह पत्रिका वाणी का 134वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद । हमेशा की तरह आकर्षणीय कलेवर एवं साज-सज्जा से लैस, पत्रिका का नवीनतम अंक अवलोकन करने के लिए प्रेरित कर रहा है ।

पत्रिका के आवरण-पृष्ठ पर हमारे एमडी व सीईओ महोदय को गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार लेते हुए दर्शाया गया है, जो कि गौरवान्वित करने वाला पल है। यह पुरस्कार हम सभी को राजभाषा कार्यान्वयन और अधिक मेहनत एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है । आशा है कि साझा प्रयास से हम राजभाषा कार्यान्वयन में और भी नए कीर्तिमान रचेंगे ।

पत्रिका के माध्यम से प्राप्त कार्यपालकों का संदेश हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपना बैंकिंग कार्य उत्साह एवं सतर्कता के साथ करें । श्री सुरेश कुमार रूंगटा, अंशकालिक निदेशक द्वारा लिखित 'डिजिटल रूपये का क्रांतिकारी दौर विषयक आलेख सारगर्भित है और श्री नटराज कार्यमपुडि, महा प्रबन्धक द्वारा लिखित 'बैंकों में अनुपालन संस्कृति' विषयक आलेख समकालीन समय की मांग को दर्शाता है । पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेख, स्थायी स्तम्भ, कविताएँ पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं । सभी रचनाकारों को अशेष शुभकामनाएँ ।

(राजेश एम. एस)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
कांचीपुरम क्षेत्र

सर्वप्रथम गृहमंत्रालय की ओर से हमारे बैंक को प्राप्त राजभाषा कीर्ति - द्वितीय पुरस्कार के लिए राजभाषा विभाग का हार्दिक अभिनंदन । आशा है कि भविष्य में भी राजभाषा विभाग,हम आईओबियन्स का इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करते हुए ,हमारा मान बढाएँगे ।

वर्ष 2021- 22 हेतु माननीय गृह राज्यमंत्री, भारत सरकार , श्री निशिथ प्रामाणिक से राजभाषा कीर्ति -द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी के चित्र से सुसज्जित आवरण पृष्ठ वाली वाणी का "134 -वां "अंक मिला जो कि राजभाषा विशेषांक था । हर बार की तरह इस बार भी विविध लेखों से ओत-प्रोत वाणी का हर एक लेख सूचनापरक और जानकारियों से भरा हुआ था । राजभाषा विशेषांक होने कारण हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई । साथ ही साथ आज विश्व पटल पर हिंदी की स्थिति के बारे में पता चला ।

हम वाणी के अगले अंक में इसी तरह के रोचक लेखों की उम्मीद करते हैं ।

(अंजनी कुमार)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक,
मुंबई क्षेत्र

वाणी का सितंबर का 134वाँ अंक प्राप्त हुआ । एतदर्थ सादर धन्यवाद । सबसे पहले बैंक को वित्तीय वर्ष 2012-22 हेतु माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री निशीथ प्रामाणिक जी से राजभाषा कीर्ति- द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हार्दिक बधाई । निःसंदेह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन का एक सशक्त हस्ताक्षर है । पत्रिका वैधव्यता में एकता को पोषित करती है । पत्रिका का विषय वैधिक्य पूर्ण समावेशन निश्चित रूप से अनुकरणीय है । वाणी का विषय वैधक्य इसकी एक विशेषता है जो कि इसे अन्य पत्रिकाओं से अलग बनाती है । प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक-गण एवं विशेष रूप से महा प्रबन्धक जी का संदेश अत्यंत मार्गदर्शक एवं प्रेरक था । श्री सुरेश कुमार रूंगटा जी, अंशकालिक निदेशक का आलेख 'डिजितक रूपये का क्रांतिकारी दौर' एवं श्री नटराज करियमपुडि, महा प्रबन्धक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी का आलेख 'बैंकों में अनुपालन संस्कृति –समय की आवश्यकता' काफी ज्ञानवर्धक एवं युगानुरूप हैं । श्री नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्धक की समीक्षा "जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है" एवं श्री कश्मीर सिंह जी का आलेख "सिक्कों में ढलते लोग" रूचिकर एवं गागर में सागर भरने वाले आलेख रहे एवं इस प्रकार के आलेख पत्रिका की भाषायी समृद्धता को और भी विस्तृत कर देते हैं । मैं पत्रिका के कुशल सम्पादन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाईयां देता हूँ ।

(संजय किशोर)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक,
लखनऊ क्षेत्र

मुझे इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक गृह पत्रिका 'वाणी' प्राप्त हुई। पढ़कर बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि भारत के कोने-कोने से प्रतिनिधित्व करते हुए लेखकों के आलेख इसमें समाहित हैं। हिन्दीतर क्षेत्रों में आइओबी की भाषायी सक्रियता को रेखांकित करता लेख 'हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आइओबी का योगदान' रुचिकर और ज्ञानवर्धक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समसामयिक विषयों पर आधारित आलेख भी पठनीय हैं। 60 पृष्ठों में साहित्यिक रचनाओं से पोषित इस सतरंगी पत्रिका के बनने में राजभाषा विभाग एवं संपादक मंडल का कठिन योगदान सराहनीय है एवं विभिन्न पदाधिकारियों का सन्देश हिंदी भाषा के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रस्तुति वाणी गृह पत्रिका में होती रहेगी।

(डॉ. राज शेखर)
हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक
लोयला महाविद्यालय चेन्नै - 34.

बैंक की गृह पत्रिका वाणी के 134 वें अंक का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण

नराकास चेन्नै (बैंक एवं वित्तीय संस्थान) से वर्ष 2021-22 हेतु उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए
द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए महा प्रबन्धक श्री शुभेन्दु कुमार वर्मा एवं साथ में हैं
श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक – राजभाषा

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आइओबी बचत बैंक खाता

बचत बैंक जमा योजनाएँ – सब की जरूरत के मुताबिक खाता
घर बैठे वीडियो केवाइसी के माध्यम से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में बचत खाते खोलें ।

मुख्य बचत खाता योजनाएँ

एसबी गोल्ड

- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर – 5 लाख
- किसी भी बैंक के एटीएम का निशुल्क प्रयोग
- प्रभार रहित एनईएफ़टी/ आरटीजीएस
- मुद्रित नाम वाली निशुल्क चेक बुक
- स्वीप सुविधा उपलब्ध आवश्यक औसत शेष – 50000/-

एसबी सिल्वर

- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर – 1 लाख
- आवश्यक औसत शेष – 5000/-
- प्रभार रहित एनईएफ़टी/ आरटीजीएस
- सिल्वर-2 के तहत स्वीप सुविधा भी उपलब्ध
- वेतनभोगी वर्ग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध

एसबी आरोग्य महिला

- स्वतंत्र आय स्त्रोत वाली 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाएँ
- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर – 1 लाख
- मुफ्त एसएमएस अलर्ट की सुविधा
- प्रभार रहित एनईएफ़टी/ आरटीजीएस
- प्रति वर्ष 60 पन्नों की मुद्रित नाम वाली निशुल्क चेक बुक
- तिमाही आवश्यक औसत शेष – 5000/-

एसबी लिटिल स्टार

- अब नवजात भी आइओबी में अपना खाता खोल सकते हैं
- पात्रता -1 दिन से 10 वर्ष की आयु के सभी बच्चे
- अभिभावक/ संरक्षक के साथ संयुक्त खाते के रूप में खोले जाने की सुविधा
- संयुक्त रूप से संचालन पर अधिकतम शेष की कोई सीमा नहीं
- अभिभावकों के लिए चेकबुक की सुविधा भी उपलब्ध
- स्वीप सुविधा उपलब्ध
- न्यूनतम शेष राशि 100/-

एसबी-प्लैटिनम

- पात्रता- सभी वैयक्तिक
- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर - 75000/-
- एनईएफ़टी/ आरटीजीएस प्रभारों में 75% की रियायत
- प्रति वर्ष 60 पन्नों की वैयक्तिक निशुल्क चेक बुक
- आवश्यक न्यूनतम शेष राशि 750/-

एसबी ट्रेंडी

- आयु समूह 21 से 38 वर्ष
- वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर – 5 लाख
- निशुल्क एसएमएस अलर्ट
- प्रभार रहित एनईएफ़टी/ आरटीजीएस
- प्रति वर्ष 50 पन्नों की मुद्रित नाम वाली निशुल्क चेक बुक
- ईसीएस/ एनएसीएच/ स्थायी निर्देश हेतु निशुल्क पंजीकरण
- दैनिक न्यूनतम शेष राशि 10000/-

हम आपका और आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं
हमारे साथ बचत बैंक खाता खोलें और निर्बाध बैंकिंग का आनंद लें ।

खाता खोलने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

हमसे जुड़ें

www.iob.in

सभी योजनाओं पर नियम तथा शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आइओबी शाखा से संपर्क करें।

टोल फ्री नंबर : 18008904445